खण्ड २ — अंक ३८
१२ अप्रैल, १९५६, (गुरुवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha
(XII Session)

(खण्ड २ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

चार आने (देश में)

एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३८६ से १३८८, १३९०, १३९२, १३९८, १४०१, १४०४, १४०६, १४०८, १४१० से १४१२, १४१६ से १४१८, १३९७, १४००, १४०९, १४१३ और १४१४ ... १३६६–८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० और ११ १३८४–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १३८९, १३९१, १३९३, १३९४, १३९६, १३९९, १४०२, १४०३, १४०५ और १४०७ ... ... १३८८–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३१ और ९३३ से ९५२ १३९१–९८

दैनिक संक्षेपिका १३९९–१४००

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

गुरुवार, १२ अप्रैल, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हूए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हुटी की सोने की खानें

†*१३८६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि हैदराबाद के रायचूर ज़िले में हुटी की सोने की खानों का अभी हाल ही में निरीक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो वहाँ कार्य कैसे प्रगति कर रहा है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** (क) जी, हाँ ।

(ख) यह खबर मिली है कि उन खानों में एक सुयोग्य प्रबन्धक के अधीन बड़े अच्छे ढंग से काम किया जा रहा है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या वहाँ की खानों में सोने के अयस्क का कोई भंडार है; यदि हाँ, तो क्या उसे निकालने के लिये कोई योजना है ?

†**श्री क० डी० मालवीय :** जी हाँ, सोने के अयस्क का अनुमान लगाया जा चुका है । ५ बड़ी बड़ी चट्टानों में— जोलगभग ३,००० फुट तक पाई गई हैं—लगभग २ करोड़ टन तक अयस्क भंडार होगा । १९५५ के दौरान में उन खानों में ८६,००० टन तक अयस्क की खुदाई हो चुकी है और उसमें से १६,९१४ औंस सोना मिला है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** उन खानों में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ।

†**श्री के० डी० मालवीय :** मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

भूतपूर्व सैनिक

*१३८७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ऐसी कोई शिकायतें आई हैं कि असैनिक विभागों के अधिकारी भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी देने की ओर विशेष ध्यान नहीं देते और न उनकी पिछली नौकरी को जोड़ कर उनकी आयु निर्धारित करते हैं, जिसके कारण उनमें से अनेक व्यक्ति बेकार रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि अभी हाल ही में प्रतिरक्षा मंत्री डा० काटजू जब पटियाला गये थे तब उनके सामने भूतपूर्व सैनिकों ने इस तरह की शिकायत की थी और उन्होंने उनकी शिकायतों को देखने और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था ?

सरदार मजीठिया : यह मुझे मालूम नहीं है । लेकिन होम मिनिस्ट्री ने हिदायतें दी हैं बाकी गवर्नमेंट आफ इंडिया के मंत्रालयों को कि वे पुलिस में, एक्साइज में, फारेस्ट में, होम गार्ड में, रेलवे के वाच एण्ड वार्ड में, ट्रांसपोर्ट सर्विस में, आर्म्ड कांस्टैबलरी इत्यादि में एक्स-सर्विसमैन को, जहां और सब चीजें बराबर हों, तरजीह दें । जहां तक स्टेट गवर्नमेंट का ताल्लुक है, उनके अपने रूल्ज हैं और उनके मुताबिक ही वे भर्ती करती हैं । मगर मैं इस बात पर विचार करूंगा कि उनको एक चिट्ठी लिखूं कि वे भी उन्हीं हिदायतों को मान लें जो कि होम मिनिस्टरी ने सैंट्रल गवर्नमेंट के दूसरे महकमों को भेजी हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस बात का पता लगाने की कोशिश की गई है कि अब तक कितने भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिलाया जा चुका है और कितनों के नाम अभी तक एम्पलायमेंट एक्सचेंजिज़ में दर्ज हैं और वे बेरोजगार हैं ?

सरदार मजीठिया : आंकड़े तो इस वक्त मेरे पास नहीं हैं, लेकिन अगर माननीय सदस्य नोटिस दें तो इसका जवाब दिया जा सकता है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस सुझाव पर भी विचार किया गया है या किया जायगा कि बनिस्बत सिविलियन विभागों में स्वयं डिफेंस मिनिस्ट्री के अन्तर्गत बहुत से दफ्तर हैं जिन में कि भूतपूर्व सैनिकों को अच्छी तरह से खपाया जा सकता है ?

सरदार मजीठिया : जहां तक डिफेंस मिनिस्ट्री का ताल्लुक है एक्स-सर्विसमैन को लाज़मी तौर पर तरजीह दी जाती है और कोशिश की जाती है कि इनको पहले रखा जाय । जैसे-जैसे जगहें निकलती जाती हैं वैसे-वैसे हम कोशिश करते रहते हैं कि इन को रखा जाय । इस वक्त मैं यह नहीं कह सकता कि और कितनों को रखा जा सकता है ।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या मंत्री महोदय को खबर है कि आंध्र में भूतपूर्व सैनिकों को बस्तियां बनाने के लिये पहले जमीनें दे दी गईं और फिर जब वे वहां पर् बस गये तो उनसे वे जमीनें वापिस ले ली गई हैं; इस तरह वे बेचारे अब फिर बेकार हो गये हैं ?

†**सरदार मजीठिया** : यह प्रश्न तो इस प्रश्न में से नहीं उत्पन्न होता है । किन्तु फिर भी मैं अनायास यह कह सकता हूं कि हम उन्हें कुछ निश्चित शर्तों पर जमीनें देते हैं, उदाहरणतया, वे पहले अवश्य ही भूस्वामी होने चाहियें और उनके पास ५ एकड़ से कम भूमि हो । उनको 'अच्छे चाल चलन'

†मूल अंग्रेजी में

वाले व्यक्ति कह कर ही नौकरी से मुक्त किया गया हो। यह काम हम कर रहे हैं अर्थात् प्रतिरक्षा मंत्रालय यह कार्य कर रहा है। यह काम आन्ध्र की सरकार नहीं कर रही है।

†**श्री बी० डी० पांडे** : अभी-अभी कुमायूं जिले के भूतपूर्व सैनिकों द्वारा एक स्मृतिपत्र भेजा गया था कि उनको बसने के लिये भूमि दी जाय क्योंकि असैनिक अधिकारी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सरकार ने उस पर क्या विचार किया है ?

†**सरदार मजीठिया** : यह प्रश्न भी इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है। मैं इसका बिना तैयारी के ही उत्तर दे रहा हूं। इसकी प्रक्रिया यह है कि हम राज्य सरकार को कहते हैं कि वह हमें कुछ ऐसी भूमि दे जो कि जोती नहीं जाती हो। हम अपने संसाधनों से उस भूमि का विकास करते हैं और फिर उस भूमि पर भूतपूर्व सैनिकों को बसाने का प्रयत्न करते हैं।

श्रीमती खोंगमेन उठीं

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस सम्बन्ध में भूमि सम्बन्धी प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा। यह इस प्रश्न में से उत्पन्न नहीं होते हैं।

†**श्री बी० एस० मूर्त्ति** : मगर रोजगारी के बारे में।

†**अध्यक्ष महोदय** : हाँ, नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों को अधिमान दिये जाने के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

लोक व्यय

†*१३८८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री २८ नवम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोक व्यय की जांच करने के लिये एक उच्चाधिकार समिति नियुक्त करने के प्रश्न पर कोई विनिश्चय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार की समिति होगी ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) तथा (ख). इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य का ध्यान वित्त मंत्री के बजट भाषण में की गई घोषणा की ओर दिलाना चाहता हूँ जिस में यह कहा गया था कि भारत सरकार ने इस कार्य के लिये, मंत्रियों तथा योजना आयोग के उप-सभापति की एक उच्चाधिकार समिति बनाने का निश्चय कर लिया है। उसकी विस्तृत रूप रेखा पर अभी विचार हो रहा है।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : इस समिति के मुख्य निर्देश पद क्या होंगे। क्या उनका निश्चय हो गया है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : जैसे मैंने अभी कहा है सविस्तार विवरण तैयार किया जा रहा है। वह समिति मुख्यतया केंद्र तथा राज्यों में विकास कार्यों सम्बन्धी व्यय की देख-भाल करेगी।

†**श्री श्रीनारायण दास** : यह समिति कब तक कार्य करना शुरू कर देगी ?

†**श्री एम० सी० शाह** : जल्दी ही, इसमें अधिक देर नहीं लगेगी।

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : यह मामला अभी राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने रखा जायेगा जिसकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के सम्बन्ध में अभी शीघ्र ही बैठक होने वाली है। इसके बाद हम इस मामले को अपने हाथ में लेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत** : क्या माननीय मंत्री हमें अनुमानत: यह बताने की कृपा करेंगे कि केंद्रीय स्तर पर आज के तथा १९४७ के विकास कार्य के व्यय में क्या अनुपात है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : इसके लिये मुझे नोटिस चाहिये ।

†**श्री कामत** : इस वृद्धि का कितना अंश.....

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह सब बातें पुस्तकालय में रखे हुय बजट पत्रों में नहीं उपलब्ध हैं ?

†**श्री कामत** : इस वृद्धि का कितना अंश सरकार के कर्त्तव्यों के बढ़ जाने के संगत है और कितना भ्रष्टाचार, अपव्यय और अक्षमता के कारण है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न इस प्रश्न में से उत्पन्न नहीं होता है ।

†**श्री विभूति मिश्र** : क्या सरकार ने कोई तारीख निश्चित की है कि इतने दिनों के अन्दर यह कमेटी जांच पड़ताल करके अपनी रिपोर्ट दे दे और बता दे कि इतने रुपये की बचत हो सकती है?

†**श्री एम० सी० शाह** : हम इस प्रश्न का इस समय कोई उत्तर नहीं दे सकते हैं क्योंकि अभी हमें इसके विवरण तथा निर्देश-पद आदि बनाने हैं । जैसे कि वित्त मंत्री महोदय ने कहा है अभी तो यह प्रश्न राष्ट्रीय विकास परिषद में रखा जायेगा और फिर हम इसे हाथ में लेंगे ।

†**श्री डी० सी० शर्मा** : राज्यों की आवश्यकताओं को कैसे आंका जायेगा – क्या इसमें राज्यों के मंत्री भी लिये जायेंगे अथवा समिति उनकी आवश्यकताओं को आंकने के लिये राज्यों का दौरा करेगी ?

†**श्री एम० सी० शाह** : ये सभी विस्तार के विषय हैं और इनकी चर्चा राष्ट्रीय विकास परिषद में की जायेगी ।

जाली करेंसी नोट

†*१३९०. **श्री गिडवानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अभी हाल ही में कई राज्यों में लाखों के मूल्य के जाली १०० रुपये के नोट पकड़े गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में तथा कितनी राशि के; और

(ग) केंद्र ने इस विषय में राज्य सरकारों को क्या अनुदेश दिये हैं ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) तथा (ख). जी हां, १०० रुपये के जाली नोटों के मिलने की दो बड़ी घटनाओं की सूचना मिली है । आन्ध्र और मद्रास में ४ लाख रुपये के सौ-सौ रुपये के जाली नोट छापे तथा चलाये गये हैं ।

(ग) ऐसे मामलों में केंद्र द्वारा अनुदेश देने की कोई आशा नहीं की जाती है । क्योंकि इस विषय में राज्य सरकार को सब कुछ करने का पूर्ण अधिकार है । यह विषय आन्ध्र और मद्रास की पुलिस के हाथ में है और वह इस सम्बन्ध में छान-बीन कर रही है ।

†**श्री गिडवानी** : क्या इस सम्बन्ध में कोई व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं, यदि हां, तो कितने ?

† **श्री अरुण चन्द्र गुह** : १० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और एक लापता है ।

†**श्री गिडवानी** : क्या पुलिस को कोई ऐसी वस्तु मिली है जिस से ये लोग नोट छापते थे ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : मेरे विचार में उन्हें कुछ नोट मिले हैं । मुझे अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है जिस से यह पता लग सके कि उनको नोट छापने की प्रैस आदि भी मिली है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गिडवानी** : क्या सभी जाली नोट हस्तगत कर लिये गये हैं ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह** : मेरे विचार में ४,००० से कुछ अधिक नोट ही जाली थे । अभी तक हमें यह सूचना मिली है कि आन्ध्र में ६८९ नोट पकड़े गये हैं और मद्रास में ५८६ ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस निदेशालय

†*१३९२. **श्री राधा रमण** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गंगा घाटी के सभी तेल संग्रहों में से व्यापक रूप से तथा ठीक ढंग से तेल की खोज करने के लिये एक नये तेल तथा प्राकृतिक गैस निदेशालय की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस निदेशालय का मुख्य कार्यालय कहां पर है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में न केवल गंगा घाटी में वरन् देश के अन्य भागों में भी सरकार द्वारा खोज के कार्यक्रम को त्रियान्वित करने के प्रयोजन से तेल तथा प्राकृतिक गैस निदेशालय स्थापित किया गया है ।

(ख) देहरादून ।

†**श्री राधा रमण** : इस निदेशालय में कितने कर्मचारी होंगे और वहां के काम के लिये किस अनुभव और अर्हता की आवश्यकता होगी ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : अनेक टेकनिशियनों के शीघ्र ही नियुक्त किये जाने की संभावना है । इसलिये यदि माननीय सदस्य प्रश्न को लगभग दो मास बाद पूछें तो वह इसके सम्बन्ध में बहुत कुछ जान सकेंगे ।

†**श्री राधा रमण** : क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय कर लिया है कि इस निदेशालय का प्रधान कार्यालय कहां स्थित होगा ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : मैं पहले बता चुका हूं कि यह देहरादून में होगा ।

†**श्री एन० एम० लिंगम** : इस निदेशालय में नियुक्त किये जाने वाले विदेश परामर्शदाताओं, विशेषज्ञों तथा अन्य लोगों की क्या स्थिति होगी ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : इस निदेशालय में हमें अनेक परामर्शदाताओं की आवश्यकता होगी और हम उन्हें तब तक रखेंगे जब तक उनकी आवश्यकता होगी ।

†**श्री राधा रमण** : किन खास कारणों से सरकार ने देहरादून को प्रधान कार्यालय चुना है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : केंद्रीय सरकार से निकटता तथा उन अनेक क्षेत्रों से निकटता जहां हम इस समय तेल की खोज कर रहे हैं ।

आन्ध्र को सहायता

†*१३९८. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ में आन्ध्र राज्य को लम्बाडियों के कल्याणार्थ कितनी सहायता दी गई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (१९५५–५६) में आन्ध्र सरकार को विशेष रूप से लम्बाड़ियों के कल्याणार्थ कोई सहायक अनुदान नहीं दिया गया था । किन्तु लम्बाडियों को उन्हीं आदिम जातियों का सदस्य समझा जाता है जो आन्ध्र के कुछ जिलों में अपराधी आदिम जातियां समझी

†मूल अंग्रेजी में

जाती हैं। १९५५–५६ के दौरान में इन्हीं आदिम जातियों के कल्याण के लिये आन्ध्र सरकार को २·०७ लाख रुपया सहायक अनुदान के रूप में दिया गया था।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : इन अनुदानों का लम्बाडियों के पुनः स्थापन में किस तरह से प्रयोग किया जा रहा है ?

†**श्री दातार** : ये विभिन्न प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त किये जा रहे हैं—मकान बनाने के लिये, शिक्षा के लिये तथा अन्य कामों के लिये।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : लम्बाडियों के बच्चों को शिक्षा देने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री दातार** : उनके लिये छात्रावासों के रूप में विशेष सुविधायें दी जा रही हैं।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या आन्ध्र में लम्बाडियों का चिन्तल देवी शिविर अब भी चल रहा है, यदि हां, तो क्या उस शिविर को विशेष अनुदान दिये जा रहे हैं ?

†**श्री दातार** : कुछ सीमा तक उनकी स्थिति वही है जो अन्य अनेक अपराधी आदिम जातियों की है इसलिये इस समस्या को एक सामान्य आधार पर सुलझाया जा रहा है।

†**डा० रामा राव** : २·०७ लाख रुपये के सहायक अनुदान में से आन्ध्र राज्य द्वारा कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**श्री दातार** : आन्ध्र सरकार से अभी हमें इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

अरबी तथा संस्कृत पांडुलिपियाँ

†*१४०१. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाडक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५५–५६ में अरबी तथा फारसी पाण्डुलिपियों के संकलन व संरक्षण के लिये कितनी राशि स्वीकृति की गयी;

(ख) इस दिशा में किये गये कार्य का क्या परिणाम रहा; और

(ग) क्या आगामी बजट में सरकार ने प्राचीन संस्कृत तथा प्राकृत पाण्डुलिपियों के संकलन एवं संरक्षण के लिये उपबन्ध किया है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) और (ख). सन् १९५५-५६ में अरबी और फारसी की १८१ पाण्डुलिपियों को प्राप्त करने के लिये २९,२०५ रु० ९ आ० स्वीकृत किये थे।

(ग) किसी विशिष्ट भाषा या भाषाओं में पांडुलिपियों के संकलन तथा संरक्षण के लिए सरकार कोई उपबन्ध नहीं करती।

†**ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाडक** : क्या मैं जान सकता हूं कि इन पाण्डुलिपियों के संकलन में कितनी राशि व्यय की गयी है ?

†**डा० एम० एम० दास** : सन् १९५५–५६ में अपने राष्ट्रीय संग्रहालय तथा राष्ट्रीय कला भवन के लिये ३,८४५ रु० के मूल्य की १२६ हिन्दी व संस्कृत पाण्डुलिपियां क्रय की गयी हैं।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या मैं जान सकता हूं कि मूल अरबी तथा फारसी पाण्डुलिपियों को भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिन्दी और संस्कृत में अनुवादित करने के लिये कोई प्रयास किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० एम० एम० दास** : यह प्रश्न इससे नहीं उठता ।

†**श्री कामत** : सभासचिव ने बतलाया कि इस बजट में किसी भी भाषा की पाण्डुलिपियों के संकलन तथा संरक्षण के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया गया है । किन्तु उनके भाग (क) के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि सन् १९५५–५६ में संस्कृत तथा पाली पाण्डुलिपियों के संकलन और संरक्षण के लिये कोई राशि स्वीकृत की गयी थी ?

†**डा० एम० एम० दास** : संस्कृत, प्राकृत तथा पाली पाण्डुलिपियों के लिये कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं था । अपने राष्ट्रीय संग्रहालय तथा राष्ट्रीय कला भवन के लिये कला की वस्तुएँ खरीदने के लिये ४,००,००० रु० का उपबन्ध किया गया था । इसमें पाण्डुलिपियां भी शामिल हैं ।

†**श्री कामत** : सभासचिव ने बतलाया कि अरबी और फारसी की पाण्डुलिपियों के लिये एक पृथक् राशि दी गयी थी । क्या संस्कृत और प्राकृत की पाण्डुलिपियों के लिये भी कोई पृथक् राशि स्वीकृत की गयी है ।

†**डा० एम० एम० दास** : किसी विशिष्ट भाषा की पाण्डुलिपियों के लिये कोई पृथक् स्वीकृति नहीं दी जाती । अपने पुरालेख निदेशालय के लिये ऐतिहासिक पाण्डुलिपियां खरीदने के लिये बजट में ५,००० रु० का उपबन्ध किया गया था ।

†**श्री कामत** : अरबी व फारसी के लिये पृथक् रूप से नहीं ?

†**डा० एम० एम० दास** : पृथक् रूप से नहीं ।

†**श्री बी० डी० पांडे** : क्या सरकार को विदित है कि तिब्बत में संस्कृत की अनेक पुस्तकें हैं ? क्या सरकार ने उनका संकलन करने के लिये कोई कदम उठाया है ?

†**डा० एम० एम० दास** : अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है ।

पदातिसेना निदेशालय

†***१४०४. श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९५४ में अस्थायी रूप से बनाये गये पदातिसेना निदेशालय ने किस प्रकार का कार्य किया है;

(ख) क्या यह निदेशालय स्थायी बनाया जायगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या निदेशालय के कार्यों में कोई परिवर्तन किया जायगा ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) पदातिसेना निदेशालय ने उपयोगी कार्य किया है ।

(ख) इस प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ग) इस समय इसके कार्यों में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : सरकार ने इस निदेशालय को खोलने में क्या कोई अतिरिक्त व्यय किया है ?

†**सरदार मजीठिया** : कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ क्योंकि कुछ अन्य स्थानों को त्याग दिया गया तथा वहाँ के पदाधिकारियों को यहाँ नियुक्त कर दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एस० सी० सामन्त** : पदातिसेना निदेशालय की टेकनीकल आवश्यकताओं को निश्चित करने के लिये क्या युद्ध संचालन सम्बन्धी गवेषणा पर विचार किया गया था ?

†**सरदार मजीठिया** : इस प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे मालूम नहीं, किन्तु इस निदेशालय के चार्ज में ये कार्य हैं : (१) सर्वाधिकारिगण अधिपति (चीफ ऑफ जनरल स्टाफ) को प्रशिक्षण की प्रकृति, उपकरण तथा प्रादेशिक सेना के पदाति एककों सहित समस्त विभिन्न एककों की युद्ध के लिये योग्यता के सम्बन्ध में जानकारी देना; (२) सेना के प्रधान कार्यालय के स्टाफ को पदातिसेना सम्बन्धी नीति सहित समस्त मामलों पर मंत्रणा देना; (३) पदातिसेना के हितों को बढ़ाना तथा कमांडरों और सभी स्तरों के पदाधिकारियों के विचार तथा सुझाव प्राप्त करना है जिससे कि यह ज्ञान सबको उपलब्ध कराया जा सके ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस नये डाइरेक्टोरेट (निदेशालय) को स्थापित करने की कौन सी विशेष आवश्यकता थी जब कि यह काम और दूसरी मैशिनरी (व्यवस्था) के द्वारा हो ही रहा था ?

सरदार मजीठिया : यह काम पहले नहीं हो रहा था और इसके लिये खास डाइरेक्टोरेट बनाया गया है । लेकिन, जैसा कि मैंने कहा, जो पहले ऑफिसर्स थे उनमें से ही इस डाइरेक्टोरेट के लिये आफिसर्स लिये गये हैं । कोई दूसरा फालतू खर्चा नहीं किया गया है ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या इस निदेशालय के पास यूनिट बनाने का कार्य था और यदि हां, तो इसने कितनी यूनिटें बनाईं ?

†**सरदार मजीठिया** : जी, नहीं । इस निदेशालय का यह कार्य नहीं है । यह काम पूर्णतया जनरल स्टाफ का है ।

आसाम की नागा पहाड़ियों में उपद्रव

†*१४०६. **श्री पी० एल० कुरील** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम की दुर्गम तथा दुशवार नागा पहाड़ियों के क्षेत्र में कार्य करने वाले पदाधिकारियों तथा अन्य वर्गों के जीवनों की रक्षा के लिये क्या विशेष उपाय किये गये हैं; और

(ख) वर्त्तमान कार्यवाही के प्रारम्भ होने से अब तक दोनों ओर के हताहतों की कुल संख्या ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी है ।

(ख) २८ मृत, १७ घायल ।

†**श्री पी० एल० कुरील** : निर्दोष नागाओं को अन्धाधुन्ध न मारा जाये इसके लिये वहाँ कार्य कर रहे सेना पदाधिकारियों तथा अन्य वर्गों को क्या विशेष आदेश दिये गये हैं ?

श्री दातार : इस बात का सदा ध्यान रखा जाता है कि निर्दोष व्यक्ति न मारे जायें ।

इंग्लैंड के लिये पोलो खिलाड़ियों का दल

†*१४०८. **डा० रामा राव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंग्लैंड को जाने वाले पोलो खिलाड़ियों के दल पर होने वाले खर्चे के सम्बन्ध में क्या सरकार ने कोई राशि स्वीकृत की है;

(ख) यह दल भारत से कब प्रस्थान करेगा तथा किन-किन देशों को जायगा; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सरकार द्वारा क्या सुविधायें तथा कितना अंशदान दिया है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) अभी नहीं, किन्तु ३५,००० रु. का तदर्थ अनुदान देने के लिये पग उठाये जा रहे हैं।

(ख) जुलाई, १९५६ के आस-पास। दल के प्रस्थान करने की ठीक-ठीक तिथि तथा कार्यक्रम ज्ञात नहीं है।

(ग) जैसा ऊपर (क) में बतलाया गया है।

†**डा० रामा राव** : इस दल का नेता कौन होगा और दल का चुनाव किस प्रकार किया जायगा ?

†**डा० एम० एम० दास** : एक पोलो संघ है। यह सारी सूचना मेरे पास नहीं है। मूल उत्तर में मैंने बतलाया है कि विस्तृत ब्योरा ज्ञात नहीं है।

†**श्री वी० पी० नायर** : यदि सरकार ३५,००० रु० का अनुदान देने का विचार कर रही है, तो क्या उसे कम से कम यह सूचना है कि भारत में पोलो के कितने खिलाड़ी हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : हमें कोई सूचना नहीं है।

†**श्री कासलीवाल** : क्या सरकार को मालूम है कि भारत में विश्व के कुछ सर्वोच्च पोलो खिलाड़ी हैं और यदि हाँ, तो क्या इसको प्रोत्साहन देने के लिये सरकार का पर्याप्त अनुदान देने का विचार है ?

†**डा० एम० एम० दास** : सरकार को अच्छी तरह मालूम है कि भारत में केवल पोलो ही के नहीं अपितु अन्य खेलों के भी अच्छे दल हैं। इस विशिष्ट प्रश्न का सम्बन्ध वित्तीय अनुदान से है जो कि इंग्लैंड को जाने वाले पोलो दल को दिया जायगा।

†**श्री कामत** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि स्वास्थ्य मंत्री ने खेल प्रशिक्षण स्कीम की व्यवस्था की है, क्या मैं जान सकता हूं कि खेल का विषय क्या स्वास्थ्य तथा शिक्षा दोनों मंत्रालयों में बराबर-बराबर बंटा हुआ है ?

†**डा० एम० एम० दास** : इस समय यह बंटा हुआ है किन्तु यह मैं नहीं जानता कि बराबर-बराबर या कम ज्यादा।

†**श्री वी० पी० नायर** : माननीय सभासचिव ने बतलाया कि पोलो संघ को अनुदान दिया जा रहा है। यह संघ कितने अरसे से कार्य कर रहा है ? इसका अध्यक्ष कौन है तथा सचिव कौन है ? सरकार द्वारा ३५,००० रु० के अनुदान का निश्चय किये जाने से पूर्व इस सूचना का होना आवश्यक है।

†**डा० एम० एम० दास** : मार्च के प्रथम सप्ताह में हमें लन्दन स्थित अपने उच्चायुक्त से प्रार्थना प्राप्त हुई कि लन्दन में आगामी जुलाई में होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में एक भारतीय दल भाग ले तथा सरकार उस दल को वित्तीय सहायता प्रदान करे ? हमने इस मामले पर विचार किया और इसके लिये हम ३५,००० रु० की स्वीकृति देने जा रहे हैं। ब्योरा हमें अभी मालूम नहीं है।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या मैं यह समझूं कि मूलतः प्रार्थना उच्चायुक्त से प्राप्त हुई और तब सरकार इस बात का पता लगाने निकली कि इस अनुदान को प्राप्त करने के लिये कोई पोलो संघ है या नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सब तर्क की बात है ।

†**श्री कामत** : क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ ?

†**अध्यक्ष महोदय** : पोलो पर मैं छः प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूँ ।

अमरिकी विनियोग प्रत्याभूत स्कीम

†***१४१०. श्रीमति तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमेरिकी विनियोग प्रत्याभूत स्कीम के सम्बन्ध में भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में जो बातचीत चल रही थी उसका क्या परिणाम निकला;

(ख) क्या कोई समझौता हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उसकी शर्तें सभा पटल पर रखेगी; और

(घ) यदि बातचीत असफल रही है तो इसका कारण ?

†**राजस्व और असैनिक-व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)**: (क) प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : भारत में कुल अमेरिकी विनियोग की राशि कितनी है ? और इस देश में अब तक प्राप्त कुल वैदेशिक सहायता का यह विनियोग कितने प्रतिशत है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : विनियोग सुविधा तथा निजी उपक्रम को सुविधायें देने के लिये अमेरिका ने २० करोड़ डालर आपने प्रत्याभूत कार्यक्रम में रखे हैं.....

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मेरा प्रश्न यह नहीं है । मेरा प्रश्न यह है कि भारत में विनियोजित कुल अमेरिकी पूंजी कितनी है तथा इस देश में विनियोजित कुल विदेशी पूंजी से उसका क्या अनुमान है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : हम अभी से यह नहीं कह सकते कि कितनी पूंजी विनियोजित की जाय तथा कौन सा देश विनियोजित करेगा ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : भारत के रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित सर्वेक्षण विवरणों में ये आंकड़े उपलब्ध हैं । उसने सन् १९४८ में और मेरा ख्याल है अभी सन् १९५३ में विदेशी विनियोगों का सर्वेक्षण किया है । माननीय सदस्या उन आंकड़ों को वहां से देख सकती हैं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह पुस्तकालय में उपलब्ध है । मंत्री जी से यह मांगने की आवश्यकता नहीं ।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं केवल तकरीबन आंकड़े दे सकता हूं और तब माननीय सदस्य कहेंगे कि ये आंकड़े सही नहीं हैं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : वहां कुल राशि हो सकती है, लेकिन प्रतिशत कितना है ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : प्रतिवेदन में देखने की अपेक्षा इसका हिसाब लगाना अधिक सरल है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** इस प्रश्न पर विचार करने के पश्चात क्या सरकार इस सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट करेगी कि योजना के भविष्य के ढांचे में अमेरिकी विनियोग क्या होगा ?

†**श्री सी० डी० देशमुख :** जी नहीं, किसी देश विशेष के विनियोग के सम्बन्ध में हमारा कोई नीति घोषणा करने का विचार नहीं है ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** इस स्कीम में अब तक कितने देशों ने भाग लिया है ? और क्या इस योजना के परिणामस्वरूप उन देशों में अमेरिकी विनयोग में कोई वृद्धि हुई है । यदि हां, तो प्रतिशत क्या है ?

†**श्री एम० सी० शाह :** यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

पब्लिक स्कूलों में निरीक्षण

†*१४११. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरीक्षक दलों ने सिन्धिया स्कूल, ग्वालियर, हैदराबाद पब्लिक स्कूल, बेगमपेट् तथा डैली कालिज, इन्दौर के कार्य संचालन का निरीक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या विचार प्रकट किये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) :** (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या २२**]

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि यह पब्लिक स्कूल स्वायत्तशासी निकाय है, यह निरीक्षण क्यों किया गया ?

†**डा० एम० एम० दास :** इन स्कूलों का स्तर तथा आर्थिक और सामान्य स्थिति निश्चित करने के लिये यह निरीक्षण आवश्यक था ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी :** गत तीन वर्षों में केंद्रीय सरकार ने इन सारे स्कूलों को कुल कितना अनुदान दिया है ?

†**डा० एम० एम० दास :** १९५३–५४, १९५४–५५ तथा १९५५–५६ में क्रमशः ७,७५,५०० रुपये, ६,६०,००० रुपये तथा ५,१७,५०० रुपये दिये गये ।

†**श्री एन० बी० चौधरी :** लारेंस स्कूल, लवडेल तथा सनावर को गत वर्ष कितनी धनराशियां दी गईं ?

†**डा० एम० एम० दास :** १९५५–५६ में लारेंस स्कूल सनावर को २,०४,५०० रुपये तथा लारेंस स्कूल लवडेल को १,९०,००० रुपये दिये गये ।

†**श्री एन० एम० लिंगम :** क्या सरकार की यह मानी हुई नीति है कि इन पब्लिक स्कूलों के अनुदान धीरे धीरे कम किये जायें जिस से कि यह माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसार पांच वर्षों में आत्म-निर्भर हो जायें ।

†**डा० एम० एम० दास :** जी हां । सरकार की यही नीति है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

छावनी बोर्ड

*१४१२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १४ दिसम्बर, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ८३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और शिलांग की छावनियों के अतिरिक्त तदर्थ समितियों की सिफारिशों के अनुसार अब तक किन-किन छावनी बोर्डों के बारे में अन्तिम निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) क्या उन सिफारिशों और उन पर सरकारी निर्णयों की प्रतियां टेबल पर रखी जायेंगी ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जबलपुर, फीरोजपुर और महो छावनियां ।

(ख) जबलपुर, फीरोजपुर और महो छावनियों से सम्बन्धित एडहाक कमेटियों की सिफारिशों और उनके सम्बन्ध में सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के छोटे-छोटे विवरण सभा पटल पर रख दिये गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २३]**

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे देश में जो कुल ५६ छावनियां हैं उनमें से कितनों के सम्बन्ध में यह ऐडहाक कमेटियां नियुक्त की गई थीं और छावनियों के सम्बन्ध में जो उन्होंने सिफारिशें की थीं, उन में से कितनों पर विचार कर लिया गया है ?

सरदार मजीठिया : छावनियां ५६ नहीं हैं बल्कि २ और हैं । उनमें से २५ तो ऐसी हैं जिन में कि सिविल एरिया है ही नहीं, ६ ऐसी हैं जिन के लिये कि ऐडहाक कमेटीज ने सिफारिश की कि उन में कोई फर्क नहीं आना चाहिये और उनकी यह सिफारिश मानी गई । ५ के बारे में फैसला हो गया है और २२ छावनियां अभी बाकी बचती हैं जिन के बारे में अभी निर्णय होना बाकी है ।

श्री भक्त दर्शन : अभी मंत्री महोदय ने बतलाया कि २२ छावनियों के बारे में अभी निर्णय नहीं हो पाया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस निर्णय के होने में इतनी देरी क्यों हो रही है जब कि ऐडहाक कमेटियों को रिपोर्टस दिये एक साल से ज्यादा का समय हो चुका है ?

सरदार मजीठिया : देरी इसलिये हो रही है कि कई ऐडहाक कमेटीज ने कुछ ऐसी सिफारिशें की हैं कि उनके टर्म्स आफ रेफ्रेंस के बाहर चली जाती हैं और कुछ सिफारिशें ऐसी हैं जिन के बारे में हम आहिस्ता-आहिस्ता गौर कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि बहुत सी छावनियों में जब तक कि असैनिक क्षेत्र अर्थात् बाजार एरिया को नहीं बढ़ाया जाता तब तक उनका विकास संभव नहीं हो सकता और इस कारण से इस कार्य में और भी अधिक शीघ्रता करने की आवश्यकता है ?

सरदार मजीठिया : यह चीज सरकार के ध्यान में है मगर बिना पूरी तरह विचार किये हुए सिविल एरिया को बढ़ाना मुनासिब नहीं होगा ।

मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिये छात्रवृत्तियां

†*१४१६. **डा० सत्यवादी** : क्या **शिक्षा** मंत्री मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिये निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की प्रस्थापित योजना की रूप रेखा बताने की कृपा करेंगे ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : माननीय सदस्य का ध्यान ३१-३-१९५६ को सर्वश्री गाडिलिंगन गौड तथा एस० सी० सामन्त द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०१२ के उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमावर्ती क्षेत्रों में बन्दूकों के लाइसेंस

*१४१७. **श्री भक्त दर्शन :** क्या गृह-कार्य मंत्री २३ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में बन्दूकों के लाइसेंस देने की नीति में ढील देने के प्रश्न पर कोई निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस निश्चय की एक प्रति टेबल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां ।

(ख) १७ फरवरी १९५६ को एक प्रति सदन के सामने पहिले ही रखी जा चुकी है ।

श्री भक्त दर्शन : जहां तक पाकिस्तान की सीमा का सम्बन्ध है, चूंकि इस समय स्थिति पहले से बिगड़ गई है, इसलिये क्या गवर्नमेंट इस बारे में पुनर्विचार करने का विचार रखती है ?

†**श्री दातार :** सरकार की राय में कहीं भी कोई विशेष असुरक्षित परिस्थितियां विद्यमान नहीं हैं । यदि वह कहीं विद्यमान हों तो उन पर उचित ढंग से विचार किया जायंगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट यह समझती है कि जब सीमा पर एकदम से आक्रमण हो जाये तब उस पर विचार हो, और क्या पहले से उस पर कोई कार्रवाई करना वह उचित नहीं समझते हैं ?

†**श्री दातार :** यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है । परन्तु सरकार हर घटना के लिये तैयार है ।

†**श्री आर० पी० गर्ग :** क्या सरकार को मालूम है कि गत पांच अथवा छः वर्षों से पंजाब में बन्दूक की लाइसेंस न देने की नीति अपनाई जा रही है ?

†**श्री दातार :** माननीय मंत्री जिस शिकायत का जिक्र कर रहे हैं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या सीमावर्ती इलाकों के लोगों से कोई प्रार्थना पत्र आये हैं जिन में प्रार्थना की गई है कि उन्हें आत्म-रक्षण के लिये बन्दूकें रखने की लाइसैंस दी जायें ?

†**श्री दातार :** प्रार्थना पत्र जिलाधीशों के पास आते हैं । जब कभी यह प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं, सब तरह की परिस्थितियों को तथा विद्यमान स्थितियों को ध्यान में रखा जाता है तथा लाइसैंस या तो जारी की जाती है या उनका नवीकरण होता है । इस धारणा का कोई आधार नहीं कि इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही नहीं की जाती है ।

श्रीमति कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि पहाड़ी एरिया में बहुत से जानवर होने के कारण वहां के किसानों को लाइसेंस की बहुत आवश्यकता है, फिर भी उनको लाइसेंस मिलने में बहुत दिक्कत होती है, और क्या केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस सम्बन्ध में कोई हिदायत भेजेगी ?

†**श्री दातार :** प्रश्न के इस पहलू पर भी ध्यान दिया जायगा और यदि राज्य सरकार आवश्यकता समझें कि इस में कुछ ढील होनी चाहिये, तो इस पर भी विचार होगा ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि लाइसेंस की मंजूरी के सम्बन्ध में अभी वही ब्रिटिश टाइम की प्रथा लागू है, यानी कोई कितना ही मातबर आदमी दख्वास्त दे, लेकिन उसको लाइसेंस नहीं मिल सकता जब तक कि थानेदार से ले कर सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस तक उसकी तस्दीक न करें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार :** अनुदेश पहले ही दिये जा चुके हैं कि सरकार की उदार नीति सभी जिला अधिकारियों तथा अन्य लोगों द्वारा अपनाई जानी चाहिये। यदि कोई विशिष्ट शिकायतें होंगी तो उन पर अवश्य ही ध्यान दिया जायगा।

बुनियादी और सामाजिक शिक्षा

*१४१८. **डा० सत्यवादी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुनियादी और सामाजिक शिक्षा की उन्नित के लिये १९५५–५६ में पंजाब और पेप्सू को कितनी राशि अनुदान में दी गयी और १९५६–५७ में कितनी राशि दी जाने वाली है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : १९५५–५६ में १०,७६,१०६ रुपये की राशि बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षा के लिये मंजूर की गई थी।

जो राशि १९५६–५७ में मंजूर की जायगी, वह राज्यों के प्रस्तावों पर निर्भर है।

†**श्री एन० बी० चौधरी :** क्या सरकार के पास इस तरह के आंकड़े हैं कि स्वीकृत राशि में से कितना निर्माण कार्यों पर व्यय हुआ है तथा कितना वेतनों आदि पर व्यय हुआ है ?

†**डा० एम० एम० दास :** वर्ष १९५५–५६ अभी समाप्त हुआ है तथा राज्य सरकार से अभी सविस्तार विवरण प्राप्त नहीं हुआ है।

डा० सत्यवादी : क्या सरकार ने कोई ऐसी मशीनरी बनाई है जो यह देख सके कि बुनियादी तालीम के सिलसिले में जो रुपया दिया जा रहा है उससे स्टेट्स में संतोषजनक काम हो रहा है ?

†**डा० एम० एम० दास :** इन मामलों में हम बड़ी हद तक राज्य सरकारों पर निर्भर हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न अब समाप्त हुए।

†**डा० रामा राव :** मुझे प्रश्न संख्या १३९७ जो कि श्री टी० बी० विट्ठल राव के नाम पर है, पूछने का प्राधिकार प्राप्त है।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य एक के बाद एक अपनी जगहों पर खड़े हो जायेंगे। वह सूची को स्वयं देखें तथा उसी क्रम में खड़े हो जायें जो उस में दिया है।

†**डा० रामा राव :** प्रश्न संख्या १३९७।

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** परन्तु और भी प्रश्न हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** किन्तु वह उठे नहीं हैं। मैं उन्हें क्रम से फिर बुलाऊंगा।

हैदराबाद में ताम्र अयस्क

†*१३९७. **डा० रामा राव (श्री टी० बी० विट्ठल राव की ओर से) : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत के भूतत्वीय परिमाप विभाग द्वारा हैदराबाद के मलयारम और खमामामेट जिलों में तांबे के अयस्क की खानों की खोज की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :** (क) जी, हां।

(ख) मलयारम क्षेत्र में कोई ऐसी सफलता नहीं मिली है जिस से यह पता लग सके कि वहां पर कोई खनिज पदार्थ उपलब्ध है। पुराने स्थानों पर भी जो खोज का काम हो रहा है उससे भी कोई

†मूल अंग्रेजी में

उत्साहप्रद बात नहीं दीखती है। वहां पर तांबे के प्रारम्भिक निक्षेपों के मिलने की बहुत कम सम्भावना है। भारत के भूतत्वीय परिमाप विभाग ने वहां पर अब और कोई भूभौतिकीय कार्य न करने की सिफारिश की है।

†**डा० रामा राव :** लगभग कितना अयस्क मिला है और वह किस किस्म का है ? उससे कितने प्रतिशत धातु निकलने की आशा है ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** इस क्षेत्र से ?

†**डा० रामा राव :** जी, हां !

†**श्री के० डी० मालवीय :** रिपोर्ट के अनुसार वहां केवल कुछ प्राकृतिक ताम्बे के कारबोनेट के हरे टुकड़े ही मिले हैं। ५० फुट की गहराई तक खोदने पर भी वहां कोई धातविक वस्तु नहीं मिली है। इसलिये जब कि यह अयस्क भी बहुत कम है वहां पर अधिक खोज करने से कोई लाभ नहीं है।

†**श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या यह योजना इसलिये छोड़ी जा रही है क्योंकि वह अयस्क ठीक नहीं साबित हुआ है ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** वर्तमान में तो भारत के भूतत्वीय परिमाप विभाग की ऐसी ही सिफारिश है।

†**श्रीमति कमलेन्दुमति शाह :** क्या यह सत्य है कि टेहरी गढ़वाल में तांबे का ऐसा अयस्क मिला है जिस में से बहुत तांबा निकल सकता है ? सरकार उनकी खोज के लिये क्या कर रही है ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** जब मुझे वहां के अयस्क के सम्बन्ध में और जानकार मिले तभी मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा।

†**श्री वी० पी० नायर :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस क्षेत्र में तांबे का अयस्क मिला है, क्या सरकार ने इस विशेष स्थान के आस-पास सभी स्थानों पर भूतत्वीय खोज करवाई है ?

†**श्री के० डी० मालवीय :** मैंने भारत के भूतत्वीय परिमाप विभाग की रिपोर्ट का उल्लेख किया है और शायद उसमें हैदराबाद राज्य का वह सभी क्षेत्र शामिल हैं जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है। किन्तु यदि उनका तात्पर्य अन्य किन्हीं क्षेत्रों से है तो मैं पता लगा कर उनको सूचित कर दूंगा। यह सूचना केवल इस प्रश्न में वर्णित दो क्षेत्रों के सम्बन्ध में ही है।

प्रादेशिक भाषायें

*१४००. **डा० सत्यवादी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कुछ भाषाओं को प्रादेशिक भाषाओं का स्थान देने के विषय में कोई ज्ञापन आये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन भाषाओं के नाम क्या हैं और उनके विषय में क्या निर्णय किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). सिन्धी, नैपाली और उर्दू को प्रादेशिक भाषाओं के रूप में मान्यता देने के बारे में कुछ समितियों और व्यक्तियों से आवेदन पत्र आये हैं। चूंकि संविधान के अनुच्छेद ३४७ के अन्तर्गत इस मामले में राष्ट्रपति द्वारा निदेश जारी करने का कोई उचित कारण नहीं समझा गया, इसलिये इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो प्रादेशिक भाषायें हैं उन्हें उन इलाकों के इन्तजामी मामलों में क्या दर्जा हासिल है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री दातार : जहां तक प्रादेशिक भाषाओं का सम्बन्ध है यह इस पर निर्भर है कि उनके लिये प्राइमरी स्कूल कहां तक खोले जाते हैं और उन का प्रयोग प्रशासन में कहां तक होता है।

†**श्री नारायण दास :** जिन तीन भाषाओं के सम्बन्ध में ज्ञापन प्राप्त हुये हैं, क्या उन्हें भेजने वाली समितियों में से किसी ने यह भी बताया है कि वे भाषायें किन-किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं ?

†**श्री दातार :** सिन्धियों ने यह इच्छा प्रकट की है कि बम्बई, सौराष्ट्र, दिल्ली, अजमेर, कच्छ, मध्यभारत, मध्यप्रदेश और राजस्थान में सिन्धी को प्रादेशिक भाषा स्वीकार किया जाय। उर्दू के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि उसे उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक भाषा माना जाय पंजाब के दो व्यक्तियों ने इसे पंजाब की प्रादेशिक भाषा मानने के लिये भी कहा है।

†**श्री मुहीउद्दीन** : राष्ट्रपति को उर्दू के सम्बन्ध में जो याचिका भेजी गई है उसमें कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किये हैं ?

†**श्री दातार :** मुझे उनकी ठीक-ठीक संख्या तो ज्ञात नहीं है, किन्तु मुझे इतना अवश्य पता है कि इस सम्बन्ध में कुछ संस्थाओं ने जैसे आल इंडिया उर्दू कांफ्रेंस तथा अजमन-ए-तरक्कीए उर्दू ने अभ्यावेदन दिया है।

विज्ञान मन्दिर

†***१४०९. श्री देवगम** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने विज्ञान मन्दिर बनाने के प्रस्ताव का स्वागत किया है;

(ख) किन-किन राज्यों ने इस उद्देश्य के लिये भूमि, भवन तथा अन्य आवश्यक सुविधायें देने की बात कही है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में योजना आयोग की इस सिफारिश पर कि इन में से कुछ मन्दिर आदिम-जाति क्षेत्रों में बनाये जायें कोई विशेष ध्यान दिया जायेगा ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) तथा (ख). मद्रास, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, मध्य भारत, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर-कोचीन और बिहार की सरकारों ने अपने-अपने राज्य में विज्ञान मन्दिर बनाये जाने का स्वागत किया है और इनके लिये आवश्यक स्थान देने का वचन दिया है।

(ग) जी, हां।

श्री देवगम : कप्पासरा गांव के विज्ञान मन्दिर की सफलता को देखने के लिये इस प्रतिष्ठित सदन के सदस्यों को या कम से कम मंत्रालय की इनफार्मल कंसलटेटिव कमिटी के सदस्यों को, कोई सुविधा दी जायेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, अगर कोई माननीय सदस्य हमारे विज्ञान मन्दिरों को देखना चाहता हो या कुछ सलाह देना चाहता हो तो हम उनको बड़ी खुशी से हर प्रकार की सुविधा देने को तैयार हैं।

श्री देवगम : कौन-कौन से आदिवासी क्षेत्रों में तथा किन-किन स्टेटों में विज्ञान मंदिर स्थापित करने का फैसला किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी और आप को चाहिये कि आप नोटिस दें।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट ने कोई निश्चित योजना तैयार की है कि अगले पांच सालों में किन-किन इलाकों में विज्ञान मन्दिर खोले जायेंगे और क्या इसके लिये कोई सारे देश का सर्वेक्षण किया गया है या किया जा रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : अगली पंचवर्षीय योजनामें लगभग १२० विज्ञान मन्दिर खोले जायेंगे और जिन स्टेट गवर्नमेंट्स से सहयोग हमारी शर्तों के अनुसार प्राप्त होगा और उनकी सहायता हमें मिलेगी वहां पर इनकी स्थापना की जायेगी। विशेषत: यह हमारी नीति है कि हम कम्युनिटी प्राजेक्ट एरियाज़ में और सामूहिक योजना क्षेत्रों में इन्हें खोलें ताकि वहां के शिक्षा केंद्रों के साथ इनका समन्वय हो सके और वहां अधिक लाभ पहुंचाया जा सके।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या सरकार विज्ञान मन्दिरों की योजना में भूतत्वीय अथवा प्राणकीय संग्रहालय भी बनाना चाहती है, ताकि लोगों को इन वस्तुओं के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हो सके ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : अभी तक हमारा इस प्रकार का कोई विचार नहीं है।

†**श्री पुन्नूस** : यह योजना कब चालू की जायेगी ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : यह योजना प्रारम्भ हो चुकी है। अभी हाल ही में चार विज्ञान मन्दिरों ने काम करना भी शुरू कर दिया है। हम इनकी त्रुटियों का अध्ययन कर रहे हैं। अगले कुछ सप्ताह में ही हम इसके लिये एक विशेषाधिकारी नियुक्त कर रहे हैं। वह इस कार्य को अधिक व्यवस्थित ढंग से करेगा।

†**डा० रामा राव** : मालूम पड़ता है कि बहुत थोड़े राज्यों ने इस योजना का स्वागत किया है। क्या मैं जान सकता हूं किन-किन राज्यों ने इसको स्वागत नहीं किया है।

†**श्री के० डी० मालवीय** : यदि कोई सरकार विज्ञान मन्दिरों की स्थापना के लिये आगे नहीं आती है तो हम विज्ञान मन्दिरों को उनके पास नहीं भेज सकते, क्योंकि पहली शर्त यह है कि राज्य सरकारों का सहयोग मिलना चाहिये। तभी राज्यों में विज्ञान मन्दिरों की स्थापना हो सकती है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : राज्य सरकारों को किस प्रकार का सहयोग देना होता है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : हम उन से इमारत तथा कुछ छोटे मोटे व्यय के लिये रुपया चाहते हैं। और पांच साल के बाद उनको विज्ञान मन्दिर के सभी खर्चे बर्दाश्त करने होंगे।

†**श्री कामत** : क्योंकि हम ने इन संस्थाओं को विज्ञान मन्दिर का नाम दिया है क्या वहां पर कार्य भी मन्दिर की तरह श्रद्धा भाव से ही होगा ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : श्रद्धा भाव से काम करने से बड़ा अच्छा फल प्राप्त होता है अत: केवल विज्ञान मन्दिरों में ही नहीं अपितु सभी जगह श्रद्धा भाव से ही काम किया जाना चाहिये।

भारतीय भाषाओं के अध्यापक

†*१४१३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने भारत सरकार से यह प्रार्थना की है कि उनके बच्चों को भारतीय भाषायें पढ़ाने के लिये कुछ अध्यापक वहां भेजे जायें;

(ख) यदि हां, तो किस-किस देश में ऐसी प्रार्थना प्राप्त हुई है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अभी तक इस उद्देश्य से कितने भारतीय अध्यापक बाहर भेजे गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) ब्रिटिश वेस्ट इंडीज, ब्रिटिश गयाना, सरीनाम और मदगास्कर ।

(ग) दो ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या भारत सरकार के सामने उन देशों में अध्यापक भेजने की कोई योजना है, जहां कि उनकी आवश्यकता है ?

†**डा० एम० एम० दास** : जिन देशों का मैंने उल्लेख किया है, वहां से हमें हिन्दी अध्यापक भेजने की प्रार्थना की गई थी । हमारे दो सांस्कृतिक प्राध्यापक पहले ही वहां हैं । हम उन क्षेत्रों में हिन्दी के कुछ और अध्यापक भेजने का विचार कर रहे हैं ।

†**श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या विदेशों में रहने वाले हिन्दी अध्यापकों को कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है ?

†**डा० एम० एम० दास** : जहां तक सांस्कृतिक प्राध्यापकों का सम्बन्ध है, उन्हें भारतीय संस्कृति परिषद् की ओर से वेतन दिया जाता है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या वहां की कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं ने भी सरकार को भारतीय अध्यापक भेजने के लिये प्रार्थना की है ? यदि हां, तो सरकार ने उनकी प्रार्थना पर क्या विचार किया है ?

†**डा० एम० एम० दास** : सरीनाम की सनातन धर्म सभा ने एक अध्यापक भेजने की प्रार्थना की है । इसी प्रकार मदगास्कर के शांति भवन स्कूल ने भी एक अध्यापक के लिये प्रार्थना की है ।

श्री भक्त दर्शन : अभी माननीय पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी ने कहा कि चूंकि बाहर से मांग आई थी इस लिये दो अध्यापक वहां भेजे गये थे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट यह अपना कर्त्तव्य नहीं समझती कि वह स्वयं ही विदेशों में भारतीय भाषाओं का तथा हिन्दी का प्रचार करने के लिये कोई कार्यक्रम बनाये तथा अध्यापकों को वहां भेजे ?

†**डा० एम० एम० दास** : हम केवल अध्यापक ही नहीं भेज रहे हैं । उन क्षेत्रों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये और कार्यवाही भी की जा रही है । उन क्षेत्रों में भारतीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां भी दी जा रही हैं और पुरस्कार भी दिये जाते हैं ।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या हिन्दी के अतिरिक्त किसी और भाषा के अध्यापकों के लिये भी कहा गया है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या किया गया है ?

†**डा० एम० एम० दास** : वहां पर अधिकतर अवध और बिहार के लोग गये हुये हैं, अतः उन्होंने हिन्दी के अध्यापकों के लिये ही प्रार्थना की है । हां मदगास्कर से ऐसी प्रार्थना आई है कि एक ऐसा अध्यापक होना चाहिये जो हिन्दी गुजराती और संगीत जानता हो और जिसकी पत्नी भी शिक्षित हो ।

†**श्री राधा रमण** : प्रश्न संख्या १४१४ की महत्ता की दृष्टि में इसका उत्तर दिया जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गांधी महापुराण

†*१४१४. **श्री संगण्णा :** क्या **शिक्षा** मंत्री ९ दिसम्बर, १९५५ को गांधी महापुराण के बारे में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि इस कृति के प्रकाशन के लिये भारत सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जा सकती ।

†**श्री राधा रमण** : यदि सरकार वित्तीय सहायता नहीं दे रही है तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रकाशन के लिये सरकार का अन्य क्या सहायता देने का विचार है ?

†**डा० एम० एम० दास** : जहां इस विशिष्ट प्रकाशन का प्रश्न है, हम किसी भी प्रकार की सहायता देने नहीं जा रहे हैं । यदि आप इजाजत दें तो मैं कारण बता सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न सब समाप्त हो चुके हैं । मैं प्रत्येक प्रश्न की अनुमति देने को बाध्य नहीं हूं । कुछ माननीय सदस्य जो प्रश्न की सूचना देते हैं, यहां मौजूद नहीं रहते । और यदि मैं अन्य माननीय सदस्यों को उन प्रश्नों के पूछने के लिये प्रोत्साहित करूं तो प्रश्न की सूचना देने वाले कोई भी सदस्य अपने स्थान पर मौजूद नहीं रहेंगे । मैं इस प्रकार की चीज की अनुमति नहीं दे सकता ।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

उत्तर प्रदेश में बिक्री कर

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १०. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नमक, खाद्यान्न एवं अन्य जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बिक्री कर (सेल्स टेक्स) लगा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया था और स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी थी ?

श्री सी० डी० देशमुख : (क) तथा (ख). जी, हां ।

†**श्री फीरोज गांधी** : बिक्री कर लगाने के लिये अध्यादेश जारी करने की स्वीकृति क्या सामान्य शब्दों में दी गयी थी अथवा वे सब चीजें जिन पर कर लगाने की अपेक्षा थी वित्त मंत्री को बतायी गयीं थीं ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : कानून के अनुसार स्वीकृति विशिष्ट मदों के सम्बन्ध में दी जाती है ।

†**श्री फीरोज गांधी** : क्या यह सत्य है कि भारत सरकार गेहूं, चावल तथा मोटे अनाज आदि खाद्यान्नों के मूल्य के सम्बन्ध में सहायता दे रही है ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : जी, हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का मूल प्रश्न से क्या सम्बन्ध है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : मूल प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा था "जी हां"। क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार ने देश की राज्य सरकारों से कहा है कि यदि वे चाहें तो वहां इस प्रकार अध्यादेश जारी किया जा सकता है ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : हमने ऐसा नहीं किया है। यह राज्य सरकारों पर है कि उन में से जो इन आवश्यक सामानों पर बिक्री कर लगाना चाहें वे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये केंद्रीय सरकार से कहें।

†**श्री ए० एम० थामस** : राज्य सरकार की सिफारिश के अलावा, क्या केंद्रीय सरकार ने इस प्रश्न पर स्वयं अपने स्वतन्त्र विचारों के अनुसार सोचा है और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : जी हां, कर जांच समिति द्वारा इस सम्बन्ध में भी की गयी सिफारिशों के अनुसार इस प्रश्न पर विचार किया गया था।

श्री आर० एन० सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस आर्डिनेंस (अध्यादेश) को लागू करने से पहले क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने राष्ट्रपति से आज्ञा ले ली थी और अगर ले ली थी तो कब ?

श्री सी० डी० देशमुख : फरवरी में ले ली थी।

श्री आर० एन० सिंह : किस डेट (तारीख) को ?

अध्यक्ष महोदय : डेट नहीं। †यह १०, ११ या १२ तारीख हो, इससे क्या फर्क पड़ता है ?

†**श्री सी० डी० पांडे** : जब उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्यादेश जारी करने की अनुमति मांगी थी तब क्या यह भी बतलाया गया था कि यह कर किस प्रकृति का होगा तथा जनता पर इसका आपात क्या होगा ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मेरी सूचना के अनुसार उसके प्रस्तावों में दरों का होना आवश्यक था। मैं समझता हूं कि जनता पर सम्भाव्य आयात का जिक्र नहीं किया गया था।

†**श्री सी० डी० पांडे** : राज्यों द्वारा करारोपण बढ़ाने की प्रवृत्ति की दृष्टि में, क्या करारोपण के सम्बन्ध में कोई समन्वित नीति अपनाई जायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्नों के समय इस पर चर्चा नहीं हो सकती।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : श्रीमान्, यदि आप की इजाजत हो तो मैं इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : *कर जांच समिति की सिफारिशों में एक यह भी सिफारिश थी कि कुछ वस्तुओं पर बिक्री कर की दर एक विशिष्ट दर से अधिक न हो तथा इन में से कुछ वस्तुओं पर एक स्थानीय कर हो। (**एक माननीय सदस्य** : ऐसा नहीं है) इसलिये राष्ट्रपति की अनुमति के साथ हमने यह भी शर्त लगा दी थी कि इन वस्तुओं के विक्रय पर कर एक-स्थानीय हो, क्रय या विक्रय के अन्तिम चरण पर, तथा दर रुपये में एक पैसे से अधिक न हो जैसा कि कर जांच समिति ने प्रस्तावित किया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

*यह उत्तर बाद में वित्त मंत्री द्वारा संशोधित किया। [**देखिये वाद-विवाद भाग २ ता:१४-४-५६ पृष्ठ भाग**]

श्री सिंहासन सिंह : क्या मंजूरी देते समय इस बात पर विचार किया गया था कि साल्ट टैक्स (नमक कर) और गल्ले पर टैक्स, ये गरीबों पर ज्यादा असर करते हैं, और इसी कारण महात्मा गांधी ने साल्ट टैक्स को दूर करने के लिये आन्दोलन चलाया था ?

श्री सी० डी० देशमुख : जी हां, विचार तो जरूर किया गया था । अभी बहुत से प्रदेश हैं जिन में इन वस्तुओं के ऊपर सम्प्रति कर है, जैसे कि धान्य के ऊपर बिहार, मद्रास, आंध्र और हैदराबाद में, गुड़ के ऊपर बिहार, मद्रास, आन्ध्र, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सू, पंजाब, ट्रावनकोर-कोचीन और विन्ध्य-प्रदेश में, और नमक के ऊपर मद्रास, आन्ध्र, पेप्सू और ट्रावनकोर-कोचीन में ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : श्री फीरोज गांधी ने मूल्य में सहायता करने सम्बन्धी नीति के बारे में प्रश्न किया था । क्या मैं जान सकती हूं कि खाद्यान्नों के मूल्य में सहायता देने के बावजूद केंद्रीय सरकार ने इस कर की अनुमति कैसे दी ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : यह सम्भव है कि यदि कर अत्यधिक हो तो यह मूल्य में सहायता देने अथवा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा मूल्य समिति करने सम्बन्धी उपायों के रास्ते में बाधा डाल सकता है । यह शायद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस विशिष्ट चीज के सम्बन्ध में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से विशेष रूप से मंत्रणा नहीं की गयी थी ।

†**श्री फीरोज गांधी** : क्या आपने खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से मंत्रणा की थी ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैंने अभी बतलाया कि नहीं की गयी थी । मैंने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सम्बन्धित मंत्रालयों को खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से मशविरा करने का ख्याल नहीं आया क्योंकि मंत्रिमंडल ने कर जांच समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के पक्ष में इस पर एक सामान्य निर्णय कर लिया था ।

†**श्री फीरोज गांधी** : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में इन खाद्यान्नों के मूल्य की वृद्धि को रोकने के लिये भारत सरकार केंद्रीय स्टाक में से गेहूं और चावल दे रही है ?

†**श्री सी० डी० देशमुख** : मैं समझता हूं यह सही है किन्तु मेरे माननीय मित्र अधिक अच्छी तरह जानते होंगे ?

†**एक माननीय सदस्य** : खाद्य तथा कृषि मंत्री यहां मौजूद हैं ।

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन)** : जी हां, हम खाद्यान्न दे रहे हैं; और गेहूं के बारे में मैं निश्चय कह सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न का उत्तर विस्तार रूप से दिया जा चुका है । अब मैं अगला प्रश्न लूंगा ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : यह महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ।

†**श्री फीरोज गांधी** : अभी प्रश्नों का समय भी समाप्त नहीं हुआ है ।

त्रावनकोर-कोचीन राज्य में जल-विद्युत् कारखाने में आग

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११. श्री पुन्नूस** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य में पल्लीवसल के जल-विद्युत् कारखाने में आग लग गयी थी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा आग के कारणों की जांच की जा रही है; और

(ग) आग से कितनी हानि हुई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां, १४ मार्च, १९५६ को ।

(ख) जी हां, राज्य सरकार द्वारा । यह सूचना मिली है कि पल्लीवसल और सेंगुलम के बीच की अंतर-सम्बन्धित सहायक सेवा लाइन पर बिजली गिरने के कारण यह आग लगी थी ।

(ग) लगभग दो लाख रुपये ।

†**श्री पुन्नूस** : क्या सरकार को ज्ञात है कि अखबारों में यह समाचार तथा स्थानीय नागरिकों के यह वक्तव्य छपे हैं कि जिस सप्ताह आग लगी थी उस सप्ताह कोई बिजली नहीं गिरी ? और क्या यह भी सच नहीं है कि देश के उस भाग में कभी बिजली नहीं गिरी ?

†**श्री दातार** : प्रेस के इस समाचार के विषय में तो मुझे मालूम नहीं है, किन्तु हमारे पास जो सूचना है कि १४ मार्च, १९५६ को ३ बजे सुबह बिजली गिरी थी वह सब से बाद की और सही सूचना है ।

†**श्री पुन्नूस** : क्या यह सच नहीं है कि त्रावनकोर-कोचीन जैसे राज्य में स्थित होने के कारण इन तमाम वर्षों जल विद्युत् कारखाने के बिजली निरोधक यंत्र बहुत अच्छी तरह काम कर रहे थे । तब क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह कैसे हुआ ?

†**श्री दातार** : ऐसा समझने का मेरे पास कोई कारण नहीं है कि उसमें कोई दोष आया था । यह भगवान की मर्जी थी ।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या सरकार के पास इस बात का कोई अंतरिक्ष शास्त्रीय साक्ष्य है कि बिजली गिरी थी ? क्योंकि हमें अच्छी तरह ज्ञात है कि एक मास पूर्व अथवा एक मास बाद तक उस विशिष्ट पहाड़ी इलाके में कोई बिजली नहीं गिरी थी ।

†**श्री दातार** : मैं समझा नहीं कि मुख्य प्रश्न से माननीय सदस्य के इस प्रश्न का क्या सम्बन्ध है ।

†**श्री वी० पी० नायर** : मैं इसे स्पष्ट कर दूंगा । मैं समझता था कि उन्हें भाषा आती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । यह कटाक्ष किस लिये किया जा रहा है ? वह यही कह रहे थे कि प्रश्न उनकी समझ में नहीं आया ।

†**श्री वी० पी० नायर** : मैं केवल यह पूछ रहा था कि इस कथन के सम्बन्ध में कि बिजली गिरी थी, क्या कोई अंतरिक्षशास्त्रीय साक्ष्य मौजूद है ?

†**श्री दातार** : इस मामले में मुझे किसी अंतरिक्षशास्त्रीय साक्ष्य के सम्बन्ध में कुछ नहीं मालूम । मैं केवल यह जानता हूं कि यह तथ्य है कि बिजली गिरी थी ।

†**श्री ए० एम० थामस** : क्या बिजली गिरने का समाचार उस समय पत्रों में भी छपा था ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि आवश्यक मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है और क्या इस से पल्लीवसल जल विद्युत कारखाने की बिजली पैदा करने की शक्ति बढ़ाने की योजना पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : मरम्मत का काम तत्काल ही प्रारम्भ कर दिया गया था तथा इंजीनियरिंग स्टाफ ने तीन दिन बराबर रात दिन काम किया और अब सब ठीक कर दिया गया है ।

†**श्री कामत** : क्या माननीय मंत्री उस दिन की तथा उससे एक सप्ताह पूर्व एवं एक सप्ताह बाद की अंतरिक्षशास्त्रीय रिपोर्टें सभा पटल पर ,रखेंगे ?

†**श्री दातार** : चूंकि इस प्रश्न को इतनी महत्ता दी गयी है, मैं देखूंगा कि अंतरिक्षशास्त्रीय रिपोर्टें क्या कहती हैं ।

†**श्री वी० पी० नायर** : क्या यह सच नहीं है कि इस कारखाने में जो आग लगी थी उसके परिणामस्वरूप अब भी बिजली में कटौती जारी है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि यह कटौती कब तक जारी रहेगी ?

†**श्री दातार** : मुझे किसी भी कटौती के सम्बन्ध में नहीं मालूम । दूसरी ओर, मैं सदन को बतला दूं कि बिजली पहले की तरह फिर दी जा रही है ।

†**श्री पुन्नूस** : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जांच किसने की थी और क्या भारत सरकार का कोई पदाधिकारी इस जांच से सम्बन्धित था ?

†**श्री दातार** : राज्य सरकार से हमें पूरी सूचना प्राप्त है । और जांच किये जाने का प्रश्न नहीं उठता । सारे तथ्यों का सार प्रश्न के उत्तर में दे दिया गया है ।

†**श्री वेलायुधन** : माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहले की तरह बिजली देना प्रारम्भ कर दिया गया है । इसमें विशिष्ट रूप से यह नहीं बतलाया गया है कि बिजली के उपभोग की मात्रा में कोई कमी की गयी है या नहीं । इसीलिये कठिनाई उपस्थित हुई थी । बिजली की मात्रा में कमी की गयी थी । मरम्मत की जा रही है; किन्तु लोगों को पहले की मात्रा में बिजली नहीं मिल रही ।

†**श्री दातार** : अन्य ब्यौरे के सम्बन्ध में मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

कुछ माननीय सदस्य उठे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं काफी प्रश्नों की अनुमति दे चुका हूं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक गवेषणा संस्था, मैसूर

†***१३८९. श्री शिवमूर्त्ति स्वामी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक गवेषणा संस्था, मैसूर कन्नड भाषा में एक पत्रिका प्रकाशित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या हैं; तथा

(ग) यह कब प्रकाशित होगी ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २४**] ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलसी में प्राप्त पुरातत्वीय वस्तुयें

†*१३९१. **श्री गाडलिंगन गौड** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २७ जनवरी, १९५६ को कलसी (उत्तर प्रदेश) में अशोक के शिलालेख के समीप कुछ सिक्के पाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या पुरातत्वीय विभाग ने इन सिक्कों का कोई अध्ययन किया है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

निकिल

†*१३९३. **श्री बंसीलाल** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोधपुर डिवीजन, राजस्थान के पाली जिले में कुछ ऐसी चट्टाने मिली हैं जिन में निकिल पाया गया है; तथा

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में खोज करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) जी हां ।

(ख) राजस्थान सरकार ने अपने खान तथा भूतत्व विभाग द्वारा खोज कराने के लिये इस क्षेत्र को रक्षित रखा है । इस क्षेत्र से जो नमूने एकत्र किये गये हैं उनका सविस्तार परिमात्रिक विश्लेषण राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा है । वह सविस्तार रूप से इस सम्बन्ध में अनुसंधान करने का विचार कर रही है और यदि आवश्यकता पड़ी तो वह बरमे द्वारा खुदाई भी करवायेगी ताकि इस क्षेत्र की संभाव्य उपलब्धियों का पता लगाया जा सके ।

लौह-अयस्क निक्षेप

†*१३९४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने भारतीय भूतत्वीय परिमाप संस्था से प्रार्थना की है कि वह गुडगांव जिले में लौह-अयस्क निक्षेपों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करें; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हुये हैं ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)**: (क) जी हां ।

(ख) भूतत्व विशेषज्ञों की रिपोर्ट शीतकाल की समाप्ति पर जो कि अक्टूबर से अप्रैल तक होता है प्राप्त होगी । इसके पश्चात् परिणामों का पता लग जायगा ।

केन्द्रीय वानस्पतिक प्रयोगशाला

†*१३९६. **श्री इस्लामुद्दीन** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इलाहाबाद में एक केंद्रीय वानस्पतिक प्रयोगशाला खोलने का विचार करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोगशाला के लिये जगह चुन ली गई है; तथा

(ग) इस सम्बन्ध में काम कब शुरू होगा और कब पूरा होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) से (ग). केंद्रीय वानस्पतिक प्रयोगशाला पहले ही स्थापित की जा चुकी है तथा इस समय केंद्रीय औषधि गवेषणा संस्था, लखनऊ के अहाते में स्थित है।

मणिपुर में सहायक सचिवों की नियुक्ति

†*१३९९. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ तथा १९५५–५६ में मणिपुर सरकार में कुल कितने सहायक सचिव नियुक्त किये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि नियुक्तियां बिना किसी विज्ञापन के की गई हैं, तथा इस में वरिष्ठता का कोई लिहाज नहीं रखा गया; तथा

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं तथा यह नियुक्तियां किस आधार पर की गई हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसूचित क्षेत्र

†*१४०२. **श्री भीखा भाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय राज्य सरकारों से अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं करता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसे नियमित प्रथा बनाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यह प्रतिवेदन किन कारणों से पटल पर नहीं रख दिये जाते हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) यह सत्य नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) संविधान में इस बात का उपबन्ध नहीं रखा गया है कि ऐसे प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जायें ।

पाकिस्तान के साथ अनिर्णीत वित्तीय मामले

†*१४०३. **श्री एल० एन० मिश्र** :
श्री रामानन्द दास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच के अनिर्णीत वित्तीय मामलों को तय करने के लिये हाल ही के मासों में कोई नया प्रयत्न किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रयत्न क्या है, और इस के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)**: (क) और (ख). भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने अनिर्णीत वित्तीय मामलों पर चर्चा करने और वित्त मंत्रियों की एक आगामी बैठक के लिये तैयारी करने के हेतु नई दिल्ली में सचिवीय स्तर पर एक बैठक करना स्वीकार किया है। प्रस्थापित बैठक की तिथि और कार्यावलि पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा को ऋण

†*१४०५. **श्री संगण्णा** : क्या **वित्त** मंत्री उड़ीसा सरकार को दिये जाने वाले चार करोड़ रुपये के ऋण के सम्बन्ध में १४ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या परिणाम है ?

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : (क) और (ख). यह मामला अभी विचाराधीन है ।

अनुसूचित जातियों के लिये समुद्र-पार जाने की छात्र-वृतियां

†*१४०७. **श्री आई० ईयाचरण** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितनी विदेशी छात्र-वृत्तियां अलग रखी गई हैं; और

(ख) क्या उम्मेदवारों को चुन लिया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) असूचित जातियां ४; अनुसूचित आदिम जातियां ४;

(ख) छात्रवृत्तियां देने के लिये संघ लोक-सेवा आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं और आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद उम्मेदवारों से छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव किया जायेगा ।

तम्बाकू उत्पादन-शुल्क

†९३१. **श्री भीखा भाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़ जिलों से तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क के रूप में कुल कितनी राशि वसूल हुई;

(ख) क्या उपरोक्त जिलों में से किन्हीं जिलों में तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क से विमुक्ति दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो किन जिलों में ?

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)**: (क) १९५५–५६ में राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर उदयपुर और प्रतापगढ़ जिलों से तम्बाकू पर लगाये गये केंद्रीय उत्पादन शुल्क से कुल ४५.९४२ रुपये की आय हुई ।

(ख) और (ग). तम्बाकू उत्पादन शुल्क से विमुक्ति बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जिलों और उन नगरों को छोड़ कर जहां मंडियां हैं, चित्तौड़गढ़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील में, जहां बहुत कम तम्बाकू बहुत छोटे-छोटे खेतों में मुख्यतया उगाने वालों के घरेलू उपयोग के लिये उगाया जाता है, दी गई है ।

सामाजिक शिक्षा कार्यकर्त्ता

†९३३. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ से १९५६ तक त्रिपुरा में कुल कितने सामाजिक शिक्षा कार्यकर्त्ता नियुक्त किये गये;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनमें से आदिम जातियों के कितने हैं, और

(ग) १९५५–५६ में सामाजिक शिक्षा सेवा कार्यकर्त्ता के पदों के लिये त्रिपुरा के अनुसूचित आदिम जातियों के कुल कितने उम्मीदवार थे ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) ५१८ ।

(ख) १०१ ।

(ग) ६८ ।

पश्चिम बंगाल में बहुप्रयोजनीय स्कूल

†९३४. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में पश्चिम बंगाल के उन बहुप्रयोजनीय स्कूलों के नाम बताये गये हों जिन्हें १९५५–५६ और १९५६–५७ में केंद्रीय सहायता दी गई है या दी जायेगी और प्रत्येक को दी जाने वाली राशि बताई गई हो ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : १९५५–५६ में बहुप्रयोजनीय स्कूलों की योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल सरकार के लिये ६०,६८,०८८ रुपये की मंजूरी दी गई थी । चूंकि उन स्कूलों का चुनाव जिन्हें बहुप्रयोजनीय स्कूलों में परिवर्तित किया जाना है, सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, इसलिये बहुप्रयोजनीय स्कूलों के नामों के सम्बन्ध में जानकारी राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और बाद में उपलब्ध करा दी जायेगी ।

२. १९५६–५७ के लिये पश्चिम बंगाल सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए ।

स्वेच्छिक शिक्षा संस्थाओं को अनुदान

†९३५. **श्री झूलन सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में बिहार राज्य में शिक्षा सम्बन्धी काम करने वाली ऐच्छिक संस्थाओं को क्या सहायता दी गई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में बिहार सरकार द्वारा किन-किन संस्थाओं की सिफारिश की गई है और उनमें से किन-किन को केंद्रीय सरकार ने सहायता दी है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) १,६६,२९७ रुपये ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २५**]

सशस्त्र बलों में मद्यनिषेध

†९३६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २८ फरवरी, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात का प्रबन्ध करने के लिये कि सशस्त्र बलों के समस्त मैसों में टोस्ट इन पेयों का पिया जाये जो मद्यरहित हों, सरकार ने क्या अग्रेतर कार्यवाही की है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : जून १९५५ में जारी किये गये आदेशों के अनुसार, सेना के मैसों में टोस्टों के लिये अब केवल मद्यरहित पेयों का उपयोग किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पारिवारिक पेंशनें

९३७. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २२ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय विश्व युद्ध से सम्बन्धित विकलांगता (डिसएबिलिटी) तथा पारिवारिक पेंशनों के जो ४४१ दावे अनिर्णीत थे उनमें से कितने दावों का निपटारा किया जा चुका है; और

(ख) शेष दावों का निपटारा कब तक हो जाने की आशा है ?

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) १ मार्च १९५६ को १३० ।

इसके अतिरिक्त ८९ दावे समाप्त हुये समझे जायेंगे क्योंकि दावेदारों का कोई पता नहीं मिलता ।

(ख) रुके हुये दावों का फैसला करने की पूरी-पूरी कोशिश की जा रही है; इनमें से अधिकतर दावेदारों के विषय में असैनिक अधिकारियों से और सूचना की प्रतीक्षा हो रही है ।

विदेशों में भेजे गये वित्त-पदाधिकारी

†**९३८. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने वित्त सेवा (कर्मचारी जैसे लेखा-परीक्षा और लेखा, समवाय विधि प्रशासन, और सम्पदा शुल्क प्रशासक) प्रशिक्षण और उच्च अध्ययन के लिये १९५५ में विदेशों में भेजे गये थे;

(ख) जिन देशों को वह भेजे गये उनके नाम और प्राप्त किये गये प्रशिक्षण का स्वरूप क्या है; और

(ग) इसी अवधि में उच्च अध्ययन के लिये विदेशों से ऐसे कितने कर्मचारी भारत आये ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) और (ख) पांच पदाधिकारी प्रशिक्षण और उच्च अध्ययन के लिये १९५५ में विदेशों को भेजे गये थे । इनका विवरण इस प्रकार है :

जिन देशों को भेजे गये उनके नाम	भेजे गये पदाधिकारियों की संख्या	प्रशिक्षण का स्वरूप
अमरीका	१	वाशिंगटन स्थित पुनर्निर्माण और विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक की आर्थिक विकास संस्था में प्रशिक्षण ।
न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया	१	राज्य बीमा योजनाओं का अध्ययन
इंग्लैंड	३	ब्रिटिश परिषद् द्वारा चलाये जाने वाले कराधान सम्बन्धी पाठ्यक्रम में भाग लेने और कर के अपवंचन का पता लगाने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये ।

(ग) विदेशों के दो पदाधिकारी उच्च अध्ययन के लिये इसी अवधि में भारत आये थे ?

मंत्री का विवेक-कोष

†**९३९. श्री इब्राहीम** : क्या **शिक्षा** मंत्री ९ अगस्त, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्री के विवेक कोष में से १९५५-५६ में अब तक दिये गये अनुदानों की कुल राशि कितनी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वर्ष १९५४-५५ के आंकड़ों की तुलना में यह आंकड़े कैसे हैं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) : २,४५,३४९ रुपये ३ आने ।

(ख) १९५५–५६ में २,४५,३४९ रुपये ३ आने मंजूर किये गये थे जब कि १९५४–५५ के लिये मंजूर की गयी राशि २४९·५७५ रुपये ४ आने थी ।

दया याचिकायें

†१४० { **श्री इब्राहीम** :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दोष सिद्ध बन्दियों से अथवा उनकी ओर से विभिन्न राज्यों से १६ दिसम्बर, १९५५ से ३१ मार्च, १९५६ तक मृत्यु दंड के विरुद्ध कुल कितनी दया-याचिकायें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) इन में से कितने दोष सिद्ध बन्दियों को क्षमा किया गया था ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) ४५ ।

(ख) किसी भी दोष सिद्ध बन्दी को क्षमा नहीं किया गया, परन्तु १३ बन्दियों के मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास दंड में बदल दिया गया ।

राज्य सरकारों को अनुदान

†१४१. **श्री इब्राहीम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व घाटों को पूरा करने के लिये १९५५–५६ में विभिन्न राज्यों को वास्तव में कुल कितने अनुदानों का भुगतान किया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : भुगतान इस प्रकार किया गया है :

अजमेर	१·७७	लाख रुपये (लगभग)
भोपाल	२·०३	,,
दिल्ली	३०	,,
हिमाचल प्रदेश	१·३७	,,
विंध्य प्रदेश	१·९०	,,
कुल जोड़	७·३७	लाख रुपये (लगभग)

भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा

†१४२. **श्री वीरस्वामी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये एक परीक्षा ली गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या क्या थी और उनमें से कितने अनुसूचित जातियों के थे; और

(ग) उनमें से कितनों को चुना गया और उनमें से कितने अनुसूचित जातियों के हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)**: (क) जी हां, सितम्बर–अक्तूबर, १९५५ में ।

(ख) परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या २,७७७

परीक्षा में बैठने वाले अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की संख्या ५३

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर अड़सठ अभ्यर्थी भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिये अर्ह सिद्ध हुये हैं। इन में से एक अनुसूचित जाति का और एक अनुसूचित आदिम जाति का अभ्यर्थी है।

हवलदार क्लर्कों का सेवामुक्त किया जाना

†१९४३. **श्री रामकृष्ण** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पदावनतियोजना के अन्तर्गत १९५३ में भारतीय सेना के ४,००० हवलदार क्लर्कों को सेवामुक्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके लिये नयी निवृत्ति वेतन संहिता के अन्तर्गत निवृत्ति-वेतन मंजूर किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) जी नहीं; इस योजना के अन्तर्गत कुल केवल २,९०० क्लर्क सेवामुक्त किये गये थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इन क्लर्कों को जिन शर्तों पर सेवामुक्त किया गया था वह नवम्बर १९५२ में, अर्थात् नयी निवृत्ति-वेतनसंहिता के लागू किये जाने से पहले, प्रकाशित कर दी गयी थीं और इन शर्तों में स्पष्ट शब्दों में यह उपबन्ध किया गया था कि बाद की किसी तिथि पर उनका पुनरीक्षण **नहीं** किया जा सकेगा।

अवकाश प्राप्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति

†१९४४. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर सरकार द्वारा राज्य में कुल कितने सेवा-निवृत्ति वेतन भोगी (अवकाश-प्राप्त) कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति की गयी है;

(ख) इन पदाधिकारियों की सेवा-अवधि कितनी बार बढ़ायी गयी है; और

(ग) इसके कारण क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) पांच।

(ख) एक पदाधिकारी के बारे में एक बार और दूसरे के बारे में दो बार, तीन तीन महीनों के लिये।

(ग) स्थानीय रूप से उपयुक्त कर्मचारियों के उपलब्ध न होने और राज्य के बाहर सेवा युक्त कर्मचारियों की राज्य में कार्य करने में अनिच्छा प्रकट किये जाने के कारण।

भू-भौतिकीय तथा भू-रचना विज्ञान में प्रशिक्षण

†१९४५. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में भू-भौतिकीय और भूमाप विद्या में कितने व्यक्तियों ने विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है;

(ख) इस समय यह प्रशिक्षित कर्मचारी किन विभागों में कार्य कर रहे हैं; और

(ग) इनमें से कितनों को व्यावहारिक ज्ञान सम्बन्धी वरिष्ट-छात्रवृत्तियां प्राप्त थीं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) ६।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ३ भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण कलकत्ता में, और भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था, खड़गपुर बंगाल इंजीनियरिंग कालिज, शिबपुर कलकत्ता तथा भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून में से प्रत्येक में एक एक ।

(ग) किसी को नहीं ।

भारत के राष्ट्रपति के लिये विमान

†१४६. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संघ के राष्ट्रपति के लिये मंगाया गया 'विमान' इंग्लैंड से आ गया है;

(ख) इस विमान पर कुल कितना धन व्यय किया गया है; और

(ग) क्या रूस-सरकार द्वारा राष्ट्रपति के लिये दिया गया 'विमान' भी प्राप्त कर लिया गया है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) और (ख). भारतीय वायुसेना के संचार स्क्वैड्रन के लिये ६४ लाख रुपयों की लागत पर दो वाइकाउन्ट विमान खरीदे गये हैं ।

(ग) जी हां, सोवियत समाजवादी संघराज्य की सरकार द्वारा भारत सरकार को दिसम्बर १९५५ में एक विमान भेंट किया गया था ।

निर्वाचक नामावलियां

†१४७. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र में १९५१–५६ के लिये निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसूचित जातियों के मतदाताओं की कुल संख्या में कोई वृद्धि हुई है अथवा कमी हुई है; और

(ग) क्या यह सम्पूर्ण राज्य में हुई वृद्धि अथवा कमी के अनुरूप ही है ?

†**विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : (क) आंध्र राज्य की स्थापना अक्तूबर १९५३ में हुई थी । १९५४ और १९५५ की निर्वाचक नामावलियां सम्बन्धित वर्षों में ही पूरी कर ली गयीं थी । १९५६ की निर्वाचक नामावली को तैयार करने का कार्य किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). निर्वाचक नामावलियों में मतदाताओं के सम्बन्ध में यह नहीं दिखाया जाता है कि अमुक मतदाता अनुसूचित जाति का है अथवा नहीं । इस लिये यह बताना संभव नहीं है कि अनुसूचित जातियों के मतदाताओं की संख्या में कोई वृद्धि हुई है अथवा कमी हुई है।

पब्लिक स्कूलों में योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियां

†१४८. **डा० डी० रामचन्द्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पब्लिक स्कूलों में योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियां देने की योजना के अन्तर्गत १९५६ में छात्रवृत्तियां देने के लिये छात्रों का चुनाव करने के उद्देश्य से केंद्रीय चुनाव-समिति द्वारा किन-किन विभिन्न केंद्रों का दौरा किया गया है और यह केंद्र किन राज्यों में स्थित हैं;

(ख) यात्रा भत्ते आदि के रूप में केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा कुल कितना धन व्यय किया गया है;

(ग) माता पिता अथवा अभिभावकों की कुल कितनी मासिक आय उनके पुत्र अथवा प्रतिपाल को इस छात्रवृत्ति को पाने का अधिकारी बनायेगी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) मद्रास राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के कितने छात्रों को यह छात्रवृत्तियां दी गयी हैं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) १९५५–५६ में पब्लिक स्कलों में योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियां देने के लिये चुनाव करने के उद्देश्य से केंद्रीय चुनाव समिति ने इन केंद्रों का दौरा किया था । उन राज्यों के नाम, जिन से मिल कर प्रत्येक केंद्र बना है, प्रत्येक केंद्र के सामने दिये गये हैं ।

केंद्र का नाम	**राज्य**
१. अजमेर	अजमेर, दिल्ली, राजस्थान ।
२. इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश, बिहार (का एक भाग), विंध्य प्रदेश और मध्य भारत (का एक भाग) ।
३. अम्बाला	पंजाब, पेप्सू, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर ।
४. बम्बई	बम्बई, हैदराबाद (का एक भाग) ।
५. कलकत्ता	पश्चिम बंगाल, बिहार (का एक भाग), उड़ीसा, अंडमान और नीकोबार ।
६. गौहाटी	आसाम, मनीपुर, त्रिपुरा, सिक्किम ।
७. हैदराबाद	हैदराबाद और मैसूर, आन्ध्र और कुर्ग (के भाग) ।
८. मद्रास	मद्रास, त्रावनकोर-कोचीन, मैसूर, आन्ध्र (का एक भाग), कुर्ग ।
९. नागपुर	मध्य प्रदेश, भोपाल, मध्य भारत (का एक भाग) ।
१०. राजकोट	राजकोट, सौराष्ट्र, राजस्थान (का एक भाग), कच्छ ।

(ख) केंद्रीय चुनाव समिति के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते पर ३,६४३ रुपये व्यय आया है और लगभग ८५० रुपयों के शीघ्र ही और व्यय किये जाने की संभावना है ।

(ग) छात्रवृत्ति का मूल्य अभ्यर्थियों के माता-पिता । अभिभावकों की आय पर निर्भर करता है । विभिन्न आय-समूहों के लिये छात्रवृत्तियों का राशि को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २६]**

(घ) १९५५–५६ में अनुसूचित जातियों का केवल एक ही अभ्यर्थी था ।

विदेशी विनियोजन

†**९४९. डा० रामा राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ३१ दिसम्बर, १९५५ को कुल कितनी प्राक्कलित विनियोजित विदेशी पूंजी थी;

(ख) कौन-कौन से मुख्य देशों ने भारत में पूंजी लगायी हुई है और ३१ दिसम्बर, १९५५ को प्रत्येक बड़े विनियोजक द्वारा कुल कितनी पूंजी लगायी हुई थी; और

(ग) क्या इन राशियों में संयुक्त भारतीय विदेशी निकायों के उनके अंश भी शामिल हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : (क) से (ग). ३१-१२-१९५३ तक भारत में विनियोजित विदेशी पूंजी की पूरी सूचना रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा अपने सर्वेक्षण प्रतिवेदन में प्रकाशित की गयी थी । उसकी एक प्रति सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है । उसके बाद की अवधि की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनाथालय

†९५०. **डा० रामा राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा १९५६–५७ में कुल कितने अनाथालयों को सहायता दी गयी थी, और १९५६–५७ में उनको कितनी सहायता देने की प्रस्थापना की गयी है; और

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा कुल कितने अनाथालय चलाये जा रहे हैं; यह किन स्थानों पर स्थित हैं, और इन संस्थाओं में रहने वाले अनाथों की कुल संख्या कितनी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). यह सूचना एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसूचित जातियों के आवास के लिये अनुदान

†९५१. **डा० सत्यवादी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ी हुई जातियों की आवास समस्या को हल करने के लिये केंद्रीय सरकार द्वारा १९५५–५६ में राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २७]**

दिल्ली पुलिस दल

९५२. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस दल में इस समय अनुसूचित जातियों के कितने लोग हैं; और

(ख) गत वर्ष से अब तक उनकी संख्या में कितनी वृद्धि हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) ५७८ ।

(ख) ११ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, १२ अप्रैल, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर ...	१३६६–८८
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१३८६	हुटी की सोने की खानें ...	१३६६
१३८७	भूतपूर्व सैनिक	१३६७–६८
१३८८	लोक व्यय ...	१३६८–६९
१३९०	जाली करेंसी नोट	१३६९–७०
१३९२	तेल तथा प्राकृतिक गैस निदेशालय ...	१३७०
१३९८	आन्ध्र को सहायता ...	१३७०–७१
१४०१	अरबी तथा संस्कृत पाण्डु लिपियां	१३७१–७२
१४०४	पदातिसेना निदेशालय	१३७२–७३
१४०६	आसाम की नागा पहाड़ियों में उपद्रव ...	१३७३
१४०८	इंग्लैंड के लिये पोलो खिलाड़ियों का दल ...	१३७३–७५
१४१०	अमरीकी विनियोग प्रत्याभूत स्कीम ...	१३७५–७६
१४११	पब्लिक स्कूलों में निरीक्षण	१३७६
१४१२	छावनी-बोर्ड	१३७७
१४१६	मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिये छात्रवृत्तियां ...	१३७७
१४१७	सीमावर्ती क्षेत्रों में बन्दूकों के लाइसेंस ...	१३७८–७९
१४१८	बुनियादी और सामाजिक शिक्षा	१३७९
१३९७	हैदराबाद में ताम्र अयस्क	१३७९–८०
१४००	प्रादेशिक भाषायें	१३८०–८१
१४०९	विज्ञान मन्दिर	१३८१–८२
१४१३	भारतीय भाषाओं के अध्यापक	१३८२–८३
१४१४	गांधी महापुराण	१३८४
	अल्प सूचना प्रश्न संख्या	
१०	उत्तर प्रदेश में बिक्री कर	१३८४–८६
११	त्रावनकोर-कोचीन राज्य में जल-विद्युत् कारखाने में आग ...	१३८६–८८
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	१३८८–९८
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१३८९	केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक गवेषणा संस्था, मैसूर ...	१३८८
१३९१	कलसी में प्राप्त पुरातत्वीय वस्तुयें ...	१३८९

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१३६३	निकिल	१३८६
१३६४	लौह-अयस्क निक्षेप ...	१३८६
१३६६	केंद्रीय वानस्पतिक प्रयोगशाला ...	१३८६–६०
१३६६	मणिपुर में सहायक सचिवों की नियुक्ति	१३६०
१४०२	अनुसूचित क्षेत्र	१३६०
१४०३	पाकिस्तान के साथ अनिर्णीत वित्तीय मामले	१३६०
१४०५	उड़ीसा को ऋण	१३६१
१४०७	अनुसूचित जातियों के लिये समुद्र-पार जाने की छात्र-वृत्तियां	१३६१

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६३१	तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क ...	१३६१
६३३	सामाजिक शिक्षा कार्यकर्त्ता ...	१३६१–६२
६३४	पश्चिम बंगाल में बहु प्रयोजनीय स्कूल	१३६२
६३५	स्वेच्छिक शिक्षा संस्थाओं को अनुदान ...	१३६२
६३६	सशस्त्र बलों में मद्यनिषेध ...	१३६२
६३७	पारिवारिक पेंशनें ...	१३६३
६३८	विदेशों में भेजे गये वित्त-पदाधिकारी	१३६३
६३६	मंत्री का विवेक-कोष	१३६३–६४
६४०	दया याचिकायें ...	१३६४
६४१	राज्य सरकारों को अनुदान ...	१३६४
६४२	भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा	१३६४–६५
६४३	हवलदार क्लर्कों का सेवामुक्त किया जाना ...	१३६५
६४४	अवकाश प्राप्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति ...	१३६५
६४५	भू-भौतिकीय तथा भू-रचना-विज्ञान में प्रशिक्षण ...	१३६५–६६
६४६	भारत के राष्ट्रपति के लिये विमान	१३६६
६४७	निर्वाचक नामावलियां	१३६६
६४८	पब्लिक स्कूलों में योग्यता के आधार पर छात्र-वृत्तियां ...	१३६६–६७
६४६	विदेशी विनियोजन	१३६७
६५०	अनाथालय	१३६८
६५१	अनुसूचित जातियों के आवास के लिये अनुदान	१३६८
६५२	दिल्ली पुलिस दल	१३६८

M38LSD—13-6-57—190—GIPF.

गुरुवार
12 अप्रैल 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २---प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड ३, १९५६

(२८ मार्च से १७ अप्रैल, १९५६)

1st Lok Sabha
(XII Session)

Preservation Unit
Parliament Library

सत्यमेव जयते

बारहवाँ सत्र, १९५६

(खण्ड ३ में अंक ३१ से अंक ४५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

M117LSD—4

विषय-सूची

[भाग--२ वाद-विवाद, खण्ड ३--२८ मार्च से १७ अप्रैल, १९५६]

अंक ३१--बुधवार, २८ मार्च, १९५६

	पृष्ठ
स्थगन-प्रस्ताव	१५१७–२०
सदस्य का बन्दीकरण	१५२०
सदस्य का ज़मानत पर रिहाई ...	१५२०–२१
सभा का कार्य	१५२१, १५२२–२३, १५६८–६९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१५२१
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१५२२
ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
अड़तालिसवां प्रतिवेदन.	१५२२
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१५२२
अनुदानों की मांगें	१५२४–६७
मांग संख्या २२--आदिम जाति क्षेत्र	१५२४–६७
मांग संख्या २३--वैदेशिक कार्य ...	१५२४–६७
मांग संख्या २४--पांडिचेरी राज्य	१५२४–६७
मांग संख्या २५--वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१५२४–६७
मांग संख्या ११९--वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	१५२४–६७
त्रावणकोर-कोचीन आय-व्ययक, १९५६-५७ ...	१५६७–६८
दैनिक संक्षेपिका	१५७०–७१

अंक ३२--गुरुवार, २९ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१५७३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं की स्थिति और वहां से उनका प्रव्रजन	१५७३
सभा का कार्य	१५७४
अनुदानों की मांगें	१५७४–१६०५
मांग संख्या २२--आदिम जाति क्षेत्र	१५७४–१६०५
मांग संख्या २३--वैदेशिक कार्य	१५७४–१६०५
मांग संख्या २४--पाण्डिचेरी राज्य	१५७४–१६०५
मांग संख्या २५--वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१५७४–१६०५
मांग संख्या ११--वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ...	१५७४–१६०५
त्रावनकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प	१६०५–३१
लेखानुदानों की मांगें--त्रावनकोर-कोचीन	१६३१–३३
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक	१६३३–३४
दैनिक संक्षेपिका	१६३५

पृष्ठ

अंक ३३—शनिवार, ३१ मार्च, १९५६

सदस्य का बन्दीकरण तथा दोषसिद्धि १६३७

स्थगन-प्रस्ताव

श्री बरलाम दास टंडन का अनशन ... १६३८–३९

अनुदानों की मांगें १६३७, १६३८–७५

मांग संख्या ९२—पुर्नावास मंत्रालय ... १६३८–७५

मांग संख्या ९३—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय १६३८–७५

मांग संख्या ९४—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १६३८–७५

मांग संख्या १३९—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय ... १६३८–७५

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अड़तालिसवां प्रतिवेदन १६७५

मद्य-निषेध के लिये अन्तिम तारीख नियत करने के बारे में संकल्प ... १६७५–८५

औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के

बारे में संकल्प १६८५–९४

दैनिक संक्षेपिका १६९५

अंक ३४—सोमवार, २ अप्रैल, १९५६

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १६९७

विधान मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक के बारे में याचिका १६९७

अनुदानों की मांगें ... १६९७–१७५८

मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय

मांग संख्या ९३—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय

मांग संख्या ९४—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय

मांग संख्या १३९—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय

मांग संख्या ६७—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय

मांग संख्या ६८—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनायें

मांग संख्या ६९—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध

विभाग तथा व्यय

मांग संख्या १३४—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी व्यय

मांग संख्या १३५—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय

दैनिक संक्षेपिका ... १७५९

अंक ३५—मंगलवार, ३ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र १७३१

अतारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि १७३१

अनुदानों की मांगें १७३२–१८१५

मांग संख्या ६७—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय १७६२–१८०९

मांग संख्या ६८—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाएं १७६२–१८०९

मांग संख्या ६९—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध

विभाग तथा व्यय १७६२–१८०९

पृष्ठ

मांग संख्या १३४—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी व्यय १७६२–१८०६

मांग संख्या १३५—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १७६२–१८०६

मांग संख्या ४७—स्वास्थ्य मंत्रालय १८१०–१५

मांग संख्या ४८—चिकित्सा सेवाएं १८१०–१५

मांग संख्या ४९—लोक स्वास्थ्य १८१०–१५

मांग संख्या ५०—स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १८१०–१५

मांग संख्या १३०—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय १८१०–१५

दैनिक संक्षेपिका १८१६

अंक ३६—बुधवार, ४ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ... १८१७

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिकायें १८१७

अनुदानों की मांगें १८१७–७९

मांग संख्या ४७—स्वास्थ्य मंत्रालय १८१७–४२

मांग संख्या ४८—चिकित्सा सेवायें १८१७–४२

मांग संख्या ४९—लोक स्वास्थ्य १८१७–४२

मांग संख्या ५०—स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १८१७–४२

मांग संख्या १३०—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ... १८१७–४२

मांग संख्या १०१—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय १८४३–७९

मांग संख्या १०२—सम्भरण १८४३–७९

मांग संख्या १०३—अन्य असैनिक निर्माण कार्य १८४३–७९

मांग संख्या १०४—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण ... १८४३–७९

मांग संख्या १०५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४३—नई दिल्ली पूंजी व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४४—भवनों पर पूंजी व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४५—निर्माण, आवास और संम्भरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १८४३–७९

दैनिक संक्षेपिका १८८०

अंक ३७—गुरुवार, ५ अप्रैल, १९५६

अनुदानों की मांगें १८८१–१९४६

मांग संख्या १०१—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय १८८१–९१

मांग संख्या १०२—सम्भरण १८८१–९१

मांग संख्या १०३—अन्य असैनिक निर्माण कार्य १८८१–९१

मांग संख्या १०४—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण १८८१–९१

मांग संख्या १०५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८८१–९१

पृष्ठ

मांग संख्या १४३—नई दिल्ली पूंजी व्यय १८८१–९१
मांग संख्या १४४—भवनों पर पूंजी व्यय १८८१–९१
मांग संख्या १४५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १८८१–९१
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय १८९२–१९४६
मांग संख्या ८८—नमक १८९२–१९४६
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन १८९२–१९४६
मांग संख्या ९०—सरकारी कोयला-खानें १८९२–१९४६
मांग संख्या ९१—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८९२–१९४६
मांग संख्या १३८—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय १८९२–१९४६
दैनिक संक्षेपिका १९४७

अंक ३८—शुक्रवार, ६ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १९४९
प्राक्कलन समिति—
चौबीसवां प्रतिवेदन १९५०
अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक १९५०
कतिपय मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों के वितरण में विलम्ब ... १९५०–५१
अनुदानों की मांगें १९५१–८३
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय १९५१–५७
मांग संख्या ८८—नमक ... १९५१–५७
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन १९५१–५७
मांग संख्या ९०—सरकारी कोयला-खानें १९५१–५७
मांग संख्या ९१—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... १९५१–५७
मांग संख्या १३८—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय १९५१–५७
मांग संख्या ७८—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय ... १९५८–८३
मांग संख्या ७९—भारतीय भू-परिमाप १९५८–८३
मांग संख्या ८०—वानस्पतिक सर्वेक्षण १९५८–८३
मांग संख्या ८१—प्राणकीय सर्वेक्षण १९५८–८३
मांग संख्या ८२—भूतत्वीय सर्वेक्षण १९५८–८३
मांग संख्या ८३—खानें १९५८–८३
मांग संख्या ८४—वैज्ञानिक गवेषणा ... १९५८–८३
मांग संख्या ८५—तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज ... १९५८–८३
मांग संख्या ८६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १९५८–८३
मांग संख्या १३७—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय १९५८–८३

पृष्ठ

बाल सन्यास दीक्षा रोक विधेयक १९८३

विधान मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक १९८३–२०००

विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव १९८३–२०००

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (**धारा ४२९ का संशोधन**) २०००–०६

विचार करने का प्रस्ताव २०००

दैनिक संक्षेपिका २००७

अंक ३९—सोमवार, ९ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २००९

कतिपय मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों के वितरण में विलम्ब २००९–१०

अनुदानों की मांगें २०१०–७९

मांग संख्या ७८—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय २०१०–२४

मांग संख्या ७९—भारतीय भू-परिमाप २०१०–२४

मांग संख्या ८०—वानस्पतिक सर्वेक्षण २०१०–२४

मांग संख्या ८१—प्राणकीय सर्वेक्षण २०१०–२४

मांग संख्या ८२—भूतत्वीय सर्वेक्षण २०१०–२४

मांग संख्या ८३—खानें २०१०–२४

मांग संख्या ८४—वैज्ञानिक गवेषणा २०१०–२४

मांग संख्या ८५—तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज २०१०–२४

मांग संख्या ८६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय २०१०–२४

मांग संख्या १३७—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय २०१०–२४

मांग संख्या ४२—खाद्य और कृषि मंत्रालय २०२५–७९

मांग संख्या ४३—वन २०२५–७९

मांग संख्या ४४—कृषि ... २०२५–७९

मांग संख्या ४५—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें ... २०२५–७९

मांग संख्या ४६—खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय २०२५–७९

मांग संख्या १२७—वनों पर पूंजी व्यय २०२५–७९

मांग संख्या १२८—खाद्यान्नों का क्रय २०२५–७९

मांग संख्या १२९—खाद्य और कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय २०२५–७९

दैनिक संक्षेपिका २०८०

अंक ४०—मंगलवार, १० अप्रैल, १९५६

अनुदानों की मांगें ... २०८१–२१३९

मांग संख्या ७०—श्रम मंत्रालय २०८१–२१३३

मांग संख्या ७१—मुख्य खान निरीक्षक २०८१–२१३३

मांग संख्या ७२—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २०८१–२१३३

मांग संख्या ७३—काम दिलाऊ दफ्तर तथा पुनःसंस्थापन २०८१–२१३३

मांग संख्या ७४—असैनिक प्रतिरक्षा २०८१–२१३३

पृष्ठ

मांग संख्या १३६—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय २०८१–२१३३
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय ... २१३३–३९
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल २१३३–३९
मांग संख्या ५३—दिल्ली २१३३–३९
मांग संख्या ५४—पुलिस २१३३–३९
मांग संख्या ५५—जनगणना ... २१३३–३९
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते २१३३–३९
मांग संख्या ५७—अन्दमान तथा निकोबर द्वीप २१३३–३९
मांग संख्या ५८—कच्छ २१३३–३९
मांग संख्या ५९—मनीपुर २१३३–३९
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा २१३३–३९
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध ... २१३३–३९
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २१३३–३९
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय २१३३–३९

दैनिक संक्षेपिका २१४०

अंक ४१—बुधवार, ११ अप्रैल, १९५६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनचासवां प्रतिवेदन २१४१

अनुदानों की मांगें २१४१–२२०३
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय ... २१४१–२२०३
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल २१४१–२२०३
मांग संख्या ५३—दिल्ली २१४१–२२०३
मांग संख्या ५४—पुलिस २१४१–२२०३
मांग संख्या ५५—जनगणना २१४१–२२०३
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते २१४१–२२०३
मांग संख्या ५७—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह... २१४१–२२०३
मांग संख्या ५८—कच्छ २१४१–२२०३
मांग संख्या ५९—मनीपुर २१४१–२२०३
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा २१४१–२२०३
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध २१४१–१२०३
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २१४१–२२०३
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ... २१४१–२२०३

दैनिक संक्षेपिका २२०४

अंक ४२—गुरुवार, १२ अप्रैल, १९५६	पृष्ठ
अनुदानों की मांगें	२२०५–५८
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय	२२०५–१५
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल	२२०५–१५
मांग संख्या ५३—दिल्ली	२२०५–१५
मांग संख्या ५४—पुलिस	२२०५–१५
मांग संख्या ५५—जनगणना ...	२२०५–१५
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	२२०५–१५
मांग संख्या ५७—अन्दमान और निकोबर द्वीप समूह	२२०५–१५
मांग संख्या ५८—कच्छ	२२०५–१५
मांग संख्या ५९—मनीपुर	२२०५–१५
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा	२२०५–१५
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध	२२०५–१५
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ...	२२०५–१५
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२०५–१५
मांग संख्या ६६—लोहा और इस्पात मंत्रालय ...	२२१५–४१
मांग संख्या १३३—लोहा और इस्पात मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२१५–४१
मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	२२४१–५८
मांग संख्या २—उद्योग	२२४१–५८
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े ...	२२४१–५८
मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२४१–५८
मांग संख्या ११३—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२४१–५८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	२२३५
दैनिक संक्षेपिका ...	२२५९

अंक ४३—शनिवार, १४ अप्रैल, १९५६	
अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	२२६१–६२
अनुदानों की मांगें	२२६२–८७
मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	२२६२–८७
मांग संख्या २—उद्योग ...	२२६२–८७
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े	२२६२–८७
मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२२६२–८७
मांग संख्या ११३—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२६२–८७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उनचासवां प्रति-वेदन...	२२८७–८९
औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प	२२८८–२३०६
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प	२३०७
दैनिक संक्षेपिका	२३०८

अंक ४४—सोमवार, १६ अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

दिल्ली पुलिस द्वारा कथित लाठी चार्ज २३०९—११

सभा का कार्य ... २३११—१२

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २३१२

जीवन बीमा विधेयक ... २३१२

अनुदानों की मांगें ... ... २३१३—८२

मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय २३१३—२३

मांग संख्या २—उद्योग ... २३१३—२३

मांग संख्या ३—वाणिज्य सूचना तथा आंकड़े ... २३१३—२३

मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २३१३—२३

मांग संख्या ११३—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय २३१३—२३

मांग संख्या १७—शिक्षा मंत्रालय २३२४—७७

मांग संख्या १८—पुरातत्व विद्या २३२४—७७

मांग संख्या १९—अन्य वैज्ञानिक-विभाग २३२४—७७

मांग संख्या २०—शिक्षा २३२४—७७

मांग संख्या २१—शिक्षा-मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २३२४—७७

मांग संख्या ११८—शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय २३२४—७७

मांग संख्या २६—वित्त मंत्रालय २३७७—८२

मांग संख्या २७—सीमा शुल्क २३७७—८२

मांग संख्या २८—संघ उत्पादन शुल्क २३७७—८२

मांग संख्या २९—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर ... २३७७—८२

मांग संख्या ३०—अफीम २३७७—८२

मांग संख्या ३१—स्टाम्प ... ... २३७७—८२

मांग संख्या ३२—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान २३७७—८२

मांग संख्या ३३—लेखा परीक्षण २३७७—८२

मांग संख्या ३४—चल-मुद्रा २३७७—८२

मांग संख्या ३५—टकसाल ... २३७७—८२

मांग संख्या ३६—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें २३७७—८२

मांग संख्या ३७—वार्धक्य भत्ता तथा निवृत्ति वेतन ... ... २३७७—८२

मांग संख्या ३८—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २३७७—८२

मांग संख्या ३९—राज्यों को सहायक अनुदान २३७७—८२

पृष्ठ

मांग संख्या ४०—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन २३७७–८२
मांग संख्या ४१—विभाजन-पूर्व के भुगतान ... २३७७–८२
मांग संख्या १२०—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय २३७७–८२
मांग संख्या १२१—चल-मुद्रा तथा टंकण पर पूंजी व्यय २३७७–८२
मांग संख्या १२२—टकसालों पर पूंजी व्यय २३७७–८२
मांग संख्या १२३—निवृत्ति-वेतनों का राशिकृत मूल्य ... २३७७–८२
मांग संख्या १२४—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान २३७७–८२
मांग संख्या १२५—वित्त-मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय ... २३७७–८२
मांग संख्या १२६—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन २३७७–८२

दैनिक संक्षेपिका २३८३

अंक ४५—मंगलवार, १७ अप्रैल, १९५६

कार्य मंत्रणा समिति—

बत्तीसवां प्रतिवेदन २३८५

तारांकित प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि २३८५–८७

अनुदानों की मांगें २३८७–२४२७

मांग संख्या २६—वित्त-मंत्रालय २३८७–२४२५
मांग संख्या २७—सीमा शुल्क २३८७–२४२५
मांग संख्या २८—संघ उत्पादन शुल्क ... २३८७–२४२५
मांग संख्या २९—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३०—अफीम २३८७–२४२५
मांग संख्या ३१—स्टाम्प २३८७–२४२५
मांग संख्या ३२—अभिकरण-विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान २३८७–२४२५
मांग संख्या ३३—लेखा-परीक्षा २३८७–२४२४
मांग संख्या ३४—चल-मुद्रा २३८७–२४२५
मांग संख्या ३५—टकसाल ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३६—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३७—वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३८—वित्त-मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३९—राज्यों को सहायक अनुदान ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ४०—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ४१—विभाजन-पूर्व के भुगतान २३८७–२४२५

	पृष्ठ
मांग संख्या १२०——भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२१——चल-मुद्रा तथा टंकण पर पूंजीव्यय ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२२——टकसाल पर पूंजी व्यय	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२३——निवृत्ति-वेतनों का राशिकृत मूल्य ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२४——छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२५——वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२६——केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन	२३८७—२४२५
मांग संख्या ६३——सूचना और प्रसारण मंत्रालय	२४२५—२७
मांग संख्या ६४——प्रसारण ...	२४२५—२७
मांग संख्या ६५——सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या १३२——प्रसारण पर पूंजी व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या ७५——विधि मंत्रालय	२४२५—२७
मांग संख्या ७६——न्याय-व्यवस्था	२४२५—२७
मांग संख्या ७७——विधि मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या १०६——अणुशक्ति विभाग	२४२५—२७
मांग संख्या १०७——अणुशक्ति गवेषणा	२४२५—२७
मांग संख्या १४६——अणुशक्ति विभाग का पूंजी व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या १०८——संसद्-कार्य विभाग	२४२५—२७
मांग संख्या १०९——लोक-सभा ...	२४२५—२७
मांग संख्या ११०——लोक-सभा के अधीन विविध व्यय ...	२४२५—२७
मांग संख्या १११——राज्य-सभा ...	२४२५—२७
मांग संख्या ११२——उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	२४२५—२७
वित्त विधेयक	२४२७—३०
विचार करने का प्रस्ताव	२४२७
दैनिक संक्षेपिका	२४३१

M117LSD—190—25-3-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

गुरुवार, १२ अप्रैल, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये** भाग १)

११-३३ म० पू०

अनुदानों की मांगें*

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में अब गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों पर विचार होगा। माननीय गृह-मंत्री उत्तर देंगे।

†**श्री देवेश्वर सर्मा** (गोलाघाट-जोरहाट) : श्रीमान्, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कल श्री रिशांग किशिंग ने कुछ गलत तथ्यों को बताया था तो क्या उनको स्पष्ट करने के लिये मुझे कुछ समय मिल सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानकारी माननीय मंत्री को बता सकते थे जिस से कि वह उत्तर में वह बता देते।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त)** : मैंने गृह-मंत्रालय की मांगों पर कल तथा परसों हुये भाषणों को ध्यान से तथा दिलचस्पी से सुना। मैं वास्तव में उन सदस्यों का कृतंज्ञ हूं जिन्होंने मेरी प्रशंसा की है। जिस रचनात्मक तथा सहायताप्रद रूप में मांगों पर विचार किया गया तथा मंत्रालय के कृत्यों का पुनरीक्षण किया गया उससे हमको गृह-कार्य मंत्रालय का काम करने के लिये प्रोत्साहन मिला मैंने विभिन्न सुझाओं को लिख लिया है। मैं उनकी सराहना करता हूं तथा यह बताना चाहता हूं कि मैं उनमें से अधिकांश से सहमत हूं। इस समय, इस सम्बन्ध में, मैं इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। यदि मुझे समय मिला तो अवसर मिलने पर, मैं फिर कुछ कहूंगा।

गृह-मंत्रालय के बहुत से तथा विभिन्न प्रकार के काम हैं। कुछ वास्तव में बहुत ही नाजुक हैं। परन्तु यह बड़े ही संतोष का विषय है कि हमारी कमियों तथा भूलों ने हमारे उन थोड़े से कामों की महत्ता को कम नहीं किया है जिनको हमने इतनी सफलता से करने का प्रयत्न किया है तथा जोकि इस सभा के माननीय सदस्यों की सहकारिता से ही किया जा सकता था। वास्तव में गृह-मंत्रालय पर उन सभी

*राष्ट्रपति की सिफारिशों से प्रस्तुत

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित जी० बी० पन्त]

कार्यों का उत्तरदायित्व है जो अन्य मंत्रालयों के अन्तर्गत नहीं आते हैं । इस लिये एक प्रकार से सब मंत्रालयों का 'अविशिष्ट' है । आप इसका कोई भी अर्थ लगा सकते है ।

एक वक्ता ने यहां गृह-मंत्रालय के दांतों तथा पंजों का जिक्र किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि वह अब भी प्राचीन युग में रह रहे हैं । हम ऐसे परिवर्तनशील युग में रह रहे हैं जब दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहे हैं । इसमें संदेह नहीं है कि गृह-मंत्रालय शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने तथा जनता के प्रतिनिधियों द्वारा पारित विधियों को लागू करने के लिये जिम्मेदार है । परन्तु हमने ऐसा विचार कर लिया है कि यह जनता की शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने पर भी उन्हीं पर आश्रित है, जैसा कि लोकतंत्र में होता है । लोकतंत्रीय अनुशासन तथा नागरिक जिम्मेदारी की उचित भावना के द्वारा ही, उचित मर्यादा से शांति स्थापित की जा सकती है । इसलिये यदि माननीय सदस्य कृपा करके, गृह-मंत्रालय द्वारा, गत बारह मास में प्रस्तुत तथा पारित विभिन्न अधिनियमों को देखें तो उनको यह जानकारी होगी कि गृह-मंत्रालय की शक्ति प्रतिबन्ध लगाने की ओर न हो कर, वैयक्तिक स्वतंत्रता के विस्तार की ओर अधिक रही है । पुराने समय में गृह-मंत्रालय प्रतिबन्ध लगाने की सभी विधियों तथा अध्यादेशों को जिनसे नागरिकों की मूलभूत स्वतंत्रता समाप्त होती थी, जारी करने वाला माना जाता था ।

यदि हम नये वातावरण में अपनी स्थिति पर विचार करें तो हमें देखना पड़ता है कि देश में शांति स्थापित करने के कार्य को जनता स्वयं कर रही है । कोई भी सरकार तथा विशेषतया लोकतंत्रीय सरकार, जनता की सहकारिता अथवा इच्छा के बिना शांति नहीं रख सकती है । हम इस सामाजिक उद्देश्य को आगे ले कर बढ़ रहे हैं । हमने अपने देश में समाजवादी ढंग का समाज स्थापित करने का निर्णय कर लिया है जिससे सभी नागरिक समान हो जायेंगे । इस प्रकार के समाज का उद्देश्य न केवल देश के संसाधनों से प्राप्त लाभों को समान रूपों से बांटना है वरण् अन्य कर्त्तव्यों को पूरा करने में जनता को बराबर भागीदार बनाना है । इसलिये हमने नागरिक को उन सभी बन्धनों से मुक्त करने का प्रयत्न किया है जोकि उसको आगे बढ़ने से रोक रहे थे । हमें आशा है कि हमारे इस कार्य के परिणामस्वरूप, उसमें कर्त्तव्य पालन की उच्च भावना विकसित हो जायगी ।

कुछ दिन पूर्व किसी सदस्य ने प्रेस (आपत्तिजनक विषय) अधिनियम, १९५१ जोकि अब संविधि पुस्तक में नहीं है, की ओर निर्देश किया है । जब वह अधिनियम पारित हुआ था तब सभा में बड़ा वाद-विवाद हुआ था । इसको देश के प्रेस के सिर पर लटकने वाली तलवार समझा गया था परन्तु वह अधिनियम अब नहीं है । इस प्रकार हमने इस अधिनियम को हटा करके पत्रकारिता के उच्च व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को किसी सीमा तक सहायता दी है । मुझे आशा है कि यदि अब भी कोई बुरा व्यक्ति होगा तो प्रेस के नेता, जिनका हम सभी मान करते हैं, उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे और देखेंगे कि इस विधि के समाप्त हो जाने से कोई गड़बड़ नहीं होती है ।

इसी प्रकार यदि आप अन्य विधानों को देखें जिनको गत १२ अथवा १३ मास में सभा ने स्वीकृत किया है तो आपको ज्ञात होगा कि हमने समाज के स्वच्छ विकास के लिये आवश्यक वातावरण बनाने का प्रयत्न किया है । कशाघात उत्साहन अधिनियम हटाया जा चुका है जोकि सक्षम न्यायालयों द्वारा दोषी पाये गये व्यक्तियों को दण्ड देने का बुरा तरीका था । इसी प्रकार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से भ्रष्टाचार को हटाने तथा निवारण में सहायता मिलेगी । जो अन्य अधिनियम पारित हुये हैं उनकी सभा के सदस्यों को जानकारी है । पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम ऐसी-ऐसी प्रथा को समाप्त करने के लिये स्वीकृत हुआ जिससे केवल आर्थिक हानि ही नहीं प्रत्युत अधिकांश मध्यवर्गीय व्यक्तियों के चारित्रिक जीवन की भी हानि हो रही थी । अन्य अधिनियम जो पुरःस्थापित हुये हैं उसमें से एक नवयुवक (हानिप्रद प्रकाशन) विधेयक है जिस का उद्देश्य देश में जादुई कथा-चित्रों का निर्माण रोकना है । मैं अन्य विधेयकों

की ओर निर्देश नहीं करता हूं। परन्तु हमने जो कुछ भी किया है वह समाज का स्तर ऊंचा करने के लिये तथा वास्तविक स्वतंत्रता की भावना तथा जिम्मेदारी बढ़ाने के लिये किया गया है। इसलिये मेरी सदस्यों से अपील है कि वह गृह-कार्य मंत्रालय के कार्यों तथा कमियों की जांच करते समय इसकी पुनर्नवीकरण की नीति का ध्यान रखें। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मेरे विचार से अन्ततः वास्तविक स्वतंत्रता आन्तरिक अनुशासन तथा अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने में है तथा जब तक इस सिद्धान्त का पालन होता है तब तक सरकार को किसी प्रकार की रुकावट नहीं डालनी चाहिये। परन्तु सरकार का यह कार्य है, कर्त्तव्य है कि वह इसका ध्यान रखे कि कुछेक गुण्डों द्वारा किये गये कार्यों से सीधे-साधे व्यक्तियों को कोई हानि तो नहीं पहुंच रही है। इस प्रकार की घटनाओं पर सरकार को जनता के बड़े भाग की स्वतंत्रता रखने के लिये, तथा शांति रखने के लिये कार्यवाही करना आवश्यक है। हस्तक्षेप करने की आवश्यकता जनता की स्वतंत्रता बनाये रखने के लिये पड़ती है तथा स्वतंत्रता को छीनने की इच्छा से नहीं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि सरकार किसी भी परिस्थिति में शांति बनाये रखने के लिये, अपने कर्तव्य को पूरा करने में आनाकानी नहीं करेगी। हम गन्दे तरीके काम में लाना नहीं चाहते परन्तु आन्तरिक सुरक्षा कायम रखने की प्रथम जिम्मेदारी सरकार की है और इस को पूरा करने के लिये जो भी तरीके आवश्यक हैं वह सभी, हमारी लोकतंत्रीय स्थापना की भावना को ध्यान में रखते हुए काम में लाये जायेंगे। कुछ संदेह प्रकट किये गये कि यदि सीमा पर कुछ घटनायें होती हैं तो क्या होगा। मैं विश्वास नहीं करता कि कोई भारत के विरूद्ध युद्ध प्रारम्भ करेगा। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, हमारा उद्देश्य केवल अपने देश में ही शांति स्थापित करने का नहीं है परन्तु जिस सीमा तक हमारे संसाधन हैं तथा स्थिति अनुमति देती है हम संसार में भी शांति स्थापित स्थापना के लिये उत्सुक हैं। हम अपने सह-अस्तित्व के सिद्धान्त के अनुसार, आक्रमणकारी नहीं बनना चाहते हैं तथा हम एक अविकसित देश के विकास के लिये, अन्य कार्यों के अतिरिक्त, सभी आवश्यक कार्य करने को तत्पर हैं क्योंकि एक बार युद्ध प्रारम्भ होने पर, आप जनता की रचनात्मक रूप से सेवा नहीं कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारा यह संकल्प तथा निश्चय है। हम हरएक के मित्र होना चाहते हैं तथा अधिकांशतः पड़ौसियों के। परन्तु यदि दुर्भाग्यवश कुछ होता है तो आप गृह-मंत्रालय को चुप बैठे नहीं पायेंगे वह अपना कर्त्तव्य पूर्ण करेगा।

इस सम्बन्ध में, मैं यह भी बतला देना चाहता हूं कि हमने सभा के समक्ष केवल विधान ही प्रस्तुत नहीं किये है प्रत्युत हमने अन्य कार्य भी प्रारंभ किये हैं। हमने एक संस्था प्रारंभ की है। यह युद्ध के तरीके पढ़ाने के लिये नहीं प्रत्युत दुखी व्यक्तियों को आपत्तिकाल में सहायता देने के लिये चलाई गई है। चाहे किसी प्रकार की पीड़ा हो, अकाल हो अथवा भूचाल हो, हमारे प्रशिक्षण व्यक्ति समय आने पर पुरुषों तथा महिलाओं की मुसीबतों में सहायता करेंगे। इसी प्रकार हम एक फायट सर्विस स्कूल भी खोलने वाले हैं जिसमें लोगों को गरीब व्यक्तियों के मकानों को आग की लपटों से बचाने का प्रशिक्षण दिया जायेगा। हम सारे देश में ऐसे कई आश्रमों की स्थापना कर रहे हैं जहां पतिता स्त्रियों को आश्रय मिलेगा और उपचारी बच्चों, तथा इसी प्रकार के अन्य व्यक्तियों का निर्माणात्मक और रचनात्मक विधियों से सुधार किया जायेगा। इससे आपको संकेत मिल जायेगा कि हमारा क्या अभिप्राय है और हम क्या करना चाहते हैं ?

उपद्रव करने और समान विरोधी कार्यवाही करने वाले से जनता की रक्षा करने का दायित्व गृह-मंत्रालय के ऊपर है। यद्यपि इस सम्बन्ध में हमारा क्षेत्र सीमित है, राज्यों की अपनी पुलिस होती है और वे शान्ति की व्यवस्था के लिये उत्तरदायी होते हैं। माननीय सदस्यों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि हमारा देश विश्व के किसी भी अन्य सभी देश से अधिक शान्तिप्रिय है। यदि आप हमारे देश तथा अन्य देशों के हस्तक्षेप अपराधों के आंकड़ें देखें, तो आपको ज्ञात होगा कि हमारे देश में अपराधों की संख्या तथा अनुपात सबसे कम है।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : ये केवल पता लगाये हुये अपराध हैं ।

†**पंडित जी० बी० पन्त :** जहां तक पंजीयित मामलों का सम्बन्ध है, पता लगाये जाने वाले मामलों का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री कामत :** तो ये दोष सिद्ध अपराध है ?

†**पंडित जी० बी० पन्त :** ये सभी अपराध किये गये हैं, और अभिलिखित किये गये हैं । हम अपराधियों को दंड देने में कहां तक सफल होते हैं यह एक दूसरी समस्या है । इसमें भी हम अधिक देशों के पीछे नहीं रहे हैं । यदि श्री कामत तथा अन्य सदस्यों को इस बात से प्रसन्नता होती है कि हम दूसरों से अधिक अपराधी हैं तो वे अपनी पसन्द पूरी कर सकते हैं ।

मैं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार चलना चाहूंगा । अमेरिका में १,०००,००० जनसंख्या में हस्तक्षेप अपराधों की संख्या १,४०७ है । ब्रिटेन में ९८०, और फ्रांस में ८०२, लंका में २३५, और हमारे देश में यह १५४ से अधिक नहीं है, । जोकि अमेरिका का केवल १० प्रतिशत है ।

इसी प्रकार प्रति १,०००,००० व्यक्तियों में हत्याओं की संख्या फ्रांस में ३·७, लंका में ५·९, अमेरिका में ४·२ और भारत में २·७ है । गम्भीर डकैतियों के सम्बन्ध में भारत के आंकड़े ४०·८ हैं, जब कि इसके विपरीत अमेरिका में ३६४ और ब्रिटेन में १७१ हैं ।

†**श्री कामत :** पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने का क्या अनुपात है ?

†**पंडित जी० बी० पन्त** : मुझे दुख है कि कभी-कभी ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के द्वारा, जो कभी तर्क-संगत बातें सुनने को तैयार नहीं होते और जो देश की भोली-भाली जनता के प्रति अपने प्रारम्भिक कर्त्तव्य की अवहेलना करते हैं, पैदा किये गये उपद्रवों के कारण ऐसे अवसर आ जाते हैं जब कि लूट व भीड़ को हत्या से रोकने के लिये गोली चलानी पड़ती है । मेरी यह प्रबल इच्छा है कि इसके स्थान पर कोई अन्य साधन अपनाया जाय । मैं मौमले की जांच कर रहा हूं मैंने कुछ लोगों से चर्चा करने का प्रयत्न किया है जो यह विचार रखते हैं कि गोली चलाना बन्द कर दिया जाय । मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ किया जाय । यदि श्री कामत इस सम्बन्ध में कुछ निर्देश कर दें तो मुझे प्रसन्नता होगी ।

†**श्री कामत** : प्रजा समाजवादी दल ने इस सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन दिया है ।

†**पंडित जी० बी० पन्त :** मैंने वह प्रतिवेदन देखा है और वह पूरी तरह वर्तमान नियमों के अनुरूप है ।

†**श्री कामत :** जी नहीं, आप इसे ध्यान से पढ़िये ।

†**पंडित जी० बी पन्त :** मैं तो उक्त प्रतिवेदन के शब्दों की सामान्य अर्थ में व्याख्या कर रहा था । यदि इसके पीछे कुछ रहस्य है तो उसे स्पष्ट करना होगा ।

†**श्री कामत :** हम इस सम्बन्ध में परस्पर चर्चा करेंगे ।

†**पंडित जी० बी० पन्त :** कुछ भी हो यदि ऐसा अवसर ही नहीं उत्पन्न होता तो हमें प्रसन्नता होती यह हमारे लिये अथवा हमारी जनता के लिये श्रेयस्कर नहीं है, कि हम ऐसी बातों का आश्रय लें । किन्तु जब कहीं लूटमार और छुरे बाजी होने लगती है, तो हमें उसका उपाय करना पड़ता है । कुचेष्टा करने वाले एक व्यक्ति को बचाने और सौ व्यक्तियों को मरवाने से यह कहीं अच्छा है कि एक व्यक्ति पर आघात कर सौ व्यक्तियों को बचा लिया जाय । मैं इस सिद्धांत से सहमत हूं लेकिन मुझे इससे प्रसन्नता नहीं होती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे मित्र—मैं नहीं जानता कि मैं मेरे आदरणीय मित्र कहूं अथवा मेरे प्यारे मित्र कहूं—श्री गाडगील ने पूरी सच्चाई से बम्बई में हाल की घटनाओं के सम्बन्ध में जांच की आवश्यकता बताई है। मैं उनसे तर्क नहीं करना चाहता क्योंकि आजकल वह कोई बात सुनने को तैयार नहीं हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि किसी समुदाय के वाईष्कार का प्रश्न नहीं उठ सकता है। यह असम्भव है। महाराष्ट्रीय वीर जाति के लोग हैं। हम उनका आदर करते हैं। किन्तु कोई समुदाय यह दावा नहीं कर सकता कि उनमें धूर्त लोग नहीं हैं। वे प्रत्येक समुदाय में होते हैं परन्तु इसका प्रभाव किसी समुदाय में दृष्टिगोचर नहीं होता है। अथवा सारे समुदावों पर यह दोषारोपण होता। यह स्मरण रखना होगा कि बम्बई की पुलिस में अधिकांश महाराष्ट्री लोग हैं और यदि कुछ लोगों ने कुचेष्टा की तो ऐसे नाजुक समय में बम्बई में शान्ति बनाये रखने का श्रेय उन्हीं पर है। इसलिये हमें चीजों को सही दृष्टिकोण से देखना चाहिये। आपको उन लोगों की कठिनाई भी समझनी चाहिये जिन्हें बड़े शहरों में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखनी होती है। जहां एक बार आग लगने पर उसे बुझाना बहुत कठिन हो जाता है।

शान्ति और व्यवस्था का जिक्र करते हुए मैं यह भी बता दूं कि हम कदाचार को दूर करने के लिये क्या कर रहे हैं। नुवस यहां पर हैं। यह बड़े दुख की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी हमें सेवाओं में पूर्ण सच्चाई लाने में सफलता नहीं मिली है। निःसंदेह प्रगति हुई और हम क्रमशः आगे भी बढ़े हैं। किन्तु ऐसे घृणित और कलुषित तरीकों को सहन नहीं किया जायेगा। इसलिये हमने अपने मंत्रालय में एक निगरानी विभाग (विजिलेंस डिवीज़न) खोला है जोकि निगरानी निर्देशक (डायरेक्टर-आफ विजिलेंस) के अधीन है और हमने प्रत्येक मंत्रालय में निगरानी पदाधिकारी (विजिलेंस आफीसर) रखे हैं जिनका यह कर्त्तव्य है कि विभिन्न मंत्रालयों में गलती करने वाले लोगों को उचित और कड़ा दंड मिले और जो तरीके अब तक सफल सिद्ध नहीं हुये वे सफल हों।

विशेष पुलिस विभाग में अन्य तरीकों पर आगे और वृद्धि और सुधार किया जा रहा है। जिससे हम अपराध करने वालों को सरलता से पकड़ सकें। उनके विरुद्ध तुरन्त अनुशासनिक कार्यवाही करने और न्यायिक कार्यवाही को आगे के लिये स्थगित करने के आदेश दिये जा रहे हैं। ये निदेश भी दिये गये हैं कि सारे अनुशासनिक मामलों की यथासम्भव तत्काल कार्यवाही की जाय। विशेष पुलिस विभाग ने उन सारे बकाया कार्यों को पिछले ६ महीनों में निपटा दिया है जो कि बहुत समय से निलम्बित पड़े थे। उसने कुछ नये मामले ले लिये हैं। उनमें से कुछ ऊंचे गजटेड (घोषित) पदाधिकारियों के विरूद्ध भी हैं। इसी लिये हम कदाचार रोकने का यथासम्भव प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु यह एक महान कार्य है और जब तक माननीय सदस्य इस गंदगी को दूर करने में सहयोग और सहायता नहीं करेंगे यह ठीक नहीं हो सकेगा।

डा० कृष्णस्वामी ने कुछ सेवा के मामलों का जिक्र किया था। उन्होंने जो भी कहा मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। वे सभी बातें ध्यान देने योग्य हैं। हमारी सेवाओं का संगठन दूसरे शासन के द्वारा दूसरे प्रयोजन के लिये हुआ था, लेकिन हमारी अखिल भारतीय सेवाओं और राज्य सेवाओं ने भी बहुत अंश तक समयानुसार बदलने की क्षमता दिखाई है। वे समय के अनुसार बदल रही हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो अभी-अभी समाप्त हुई है, की सफलता यदि अधिक नहीं तो कुछ अंशों तक उनके कारण हुई है। लेकिन अभी बहुत सी बातें करनी हैं। प्रत्येक व्यक्ति अभी इस तथ्य को पूरा नहीं समझ सका है कि 'सेवायें' जनता के प्रयोजन के लिये हैं न कि जनता 'सेवाओं' के प्रयोजन के लिये हैं। लोक कार्यों के सही संचालन के लिये यह आवश्यक बुनियादी तथ्य है कि जनता ही स्थायी है और 'सेवायें' वस्तुतः उनकी सेवा के लिये हैं को याद नहीं रखा जाता है। कई मामलों में जनता के साथ उस विनम्रता का व्यवहार नहीं किया जाता जैसा कि उनके साथ करना चाहिये। सभी स्थानों में

[पंडित जी० बी० पन्त]

मितव्ययिता का वातावरण दृढ़ता से स्थापित नहीं हुआ है। जनता के धन का उस सावधानी से उपयोग नहीं किया जाता जितना कि किया जाना चाहिये। ये सभी बातें ठीक करनी हैं।

किन्तु जो कुछ भी हुआ है वह श्रेयस्कर है और निःसंदेह इससे आश्वासन मिलता है कि अच्छा समय आने वाला है। हमें यह स्मरण रखना है कि हमारे देश की गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब यह पुलिस राज्य नहीं रह गया है। राज्य का काम अब केवल देश में शान्ति और व्यवस्था कायम रखना और विरोधी दावेदारों के बीच न्याय करना ही नहीं है। सरकारी क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और एक समय ऐसा आ सकता है जब कि उस काम का अधिकांश भाग जिसे लाखों व्यक्ति इस समय उस क्षेत्र के बाहर कर रहे हैं स्वयं संभालना पड़े ताकि कार्य राज्य की अधिक कुशलता के साथ हो सके और राज्य को अधिक लाभ पहुंच सके।

इसलिये 'सेवाओं' को इसके लिये तैयार रहना चाहिये अब भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। कुछ अन्य प्रश्न भी हैं जो उन पुराने दिनों की धरोहर हैं जब कि उपलब्धि इत्यादि विदेशों से भर्ती होने वाले कर्मचारियों को ध्यान में रख कर निश्चित की नीति थी जो अब समय के अनुरूप न होने पर भी अभी जारी है। मेरे विचार से भारतीय असैनिक सेवा के सदस्य, जिनकी संख्या काफी घट गई है, वस्तुतः ऐसी व्यवस्था स्वीकार कर लेंगे जो कि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और लोक स्वभाव के अनुकूल होगी। वे ऐसे किसी प्रयत्न का विरोध नहीं करेंगे। मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही कुछ परिवर्तन होने वाले हैं।

इसके अतिरिक्त हमारी सेवाओं को बड़े औद्योगिक उपक्रमों, वैज्ञानिक कार्यों, टेक्नीकल उपायों का कार्य करना है। इसलिये कुछ अंशों तक उसका पुनर्निर्माण किया जाना है। 'सेवाओं' का पुनर्गठन किस प्रकार किया जाय, अदला-बदली के सिद्धांत को कैसे अपनाया जाय, उपलब्धि के मामले में विशिष्ठता किस प्रकार रखी जाय उक्त सभी प्रश्नों पर विचार करना है। मैं आशा करता हूं कि 'सेवाओं' से सम्बन्धित विभिन्न मामलों की जांच करने के लिये शीघ्र ही एक समिति नियुक्त की जायेगी। मैं आयोगों से डरता हूं। हो सकता है कि यह आयोग न हो, समिति हो। लेकिन जो काम उसे दिया जायेगा वे किसी आयोग के काम से कम महत्वपूर्ण नहीं होगा।

इस समय हमें वर्तमान आवश्यकतायें पूरी करने के लिये कुछ उपाय करना है। माननीय सदस्यों को पता है कि केन्द्र तथा राज्यों में कर्मचारियों की कमी है। १९६१ के अन्त तक राज्यों को कम से कम ८० भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों की आवश्यकता होगी। केन्द्र में तो और अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। सारा हिसाब लगा कर तथा प्रति वर्ष ४५ उम्मीदवारों की भर्ती की व्यवस्था कर हमें ३८६ व्यक्ति और भर्ती करने पड़ेंगे। हम एक आपातकालीन भर्ती आयोग की स्थापना का विचार कर रहे हैं। आपातकालीन भर्ती बोर्ड में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, अथवा उसके द्वारा नाम निर्देशित कोई व्यक्ति, संघ सेवा आयोग के एक अन्य व्यक्ति, एक उच्च पदस्थ अधिकारी और एक गैर-सरकारी व्यक्ति रहेंगे। यदि उपयुक्त उम्मीदवार मिल सकेंगे तो १०० व्यक्तियों को आम जनता से लिया जायेगा—ये लोग २५ से ४० वर्ष के बीच की आयु वाले होंगे। राज्य सेवाओं से भी पदोन्नति की जायेगी और ८ वर्ष की सामान्य अवधि घटा कर ६ वर्ष कर दी जायगी, जिससे कनिष्ठ पदाधिकारी भी लिये जा सकें। सर्व साधारण से लिये जाने वाले स्थानों के लिये, सर्वसाधारण के अलावा सैनिक अथवा असैनिक अधिकारी भी प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। आयु जैसा कि मैं कह चुका हूं २५ से ४० के बीच में होगी। जो लोग इस प्रकार भर्ती किये जायेंगे उन्हें एक परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। इसमें दो पर्चे होंगे एक निबन्ध और दूसरा सामान्य-ज्ञान का जो कि सभी को दिये जायेंगे और तब एक 'इन्टरव्यू' होगी। इस प्रकार हम आवश्यक संख्या में अधिकारियों की भर्ती करना चाहते हैं जिससे कि कमी पूरी हो सकें। यद्यपि मैं डा० कृष्णास्वामी द्वारा प्रयोग किये गये शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहूंगा—उन्होंने कहा था कि हमें चौड़ा जाल फैलाना चाहिये हम मछलियां नहीं पकड़ रहे हैं हम

सब को अवसर दे रहे हैं। हम लोगों को प्रशासकों के पद में सम्मिलित कर रहे हैं जिससे उन्हें देश के निर्माण का अवसर और विशेषाधिकार प्राप्त हो सके और वे उसकी दिन प्रति दिन की प्रगति देख सकें और उन्हें वह आनन्द प्राप्त हो जोकि उस सन्तोष से उद्भूत होता है जो कि किसी व्यक्ति को उसके द्वारा नियमित और संचालित विकास कार्यों की प्रगति देख कर होता है।

सामान्य भर्ती के प्रश्न पर भी हमारा ध्यान गया है। मैं यह अनुभव नहीं करता कि मौखिक परीक्षा इतनी आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति का उसमें पास होना अनिवार्य रखा जाये। यह भर्ती की प्रणाली का एक अंश भाग होना चाहिये, किन्तु अभ्यर्थी की योग्यता देखने के लिये सारे विषयों में प्राप्त अंकों का योग करना चाहिये। मौखिक परीक्षा में असफलता यदि वह व्यक्ति अन्य सब विषयों में अर्हता प्राप्त कर चुका है, उसके लोक सेवा में नियुक्ति के मार्ग में बाधक नहीं बननी चाहिये। क्योंकि कुछ ही मिनटों में कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व प्रतिभा और योग्यता के सम्बन्ध में विश्वसनीय निर्णय नहीं कर सकता है। इसलिये ऐसा परिवर्तन करना एक विचारणीय विषय है।

कुछ ऐसे व्यक्तियों ने भी मांगें रखी हैं, जो कि ऊंचे पदों पर नहीं हैं और यह विचारणीय है कि क्या उन्हें रियायतें नहीं मिलनी चाहिये। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उस प्रणाली तथा उस सीमा तक छुट्टी नहीं मिलती जिस सीमा तक उच्च अधिकारियों को मिलती है। मैं ऐसा कोई कारण नहीं देखता कि उनके साथ भी समानता का व्यवहार क्यों न किया जाय।

इसी प्रकार जो लोग बहुत दूर से आते थे, उनके लिये नौकरी में आते समय और घर जाते समय विशेष रियायती टिकट देने की प्रणाली थी। मेरे विचार से इस प्रणाली में समयानुसार परिवर्तन कर इसे फिर से लागू करना वांछनीय है। मैं यह भी अनुभव करता हूं कि जिन लोगों की वैध व्यथायें हैं उनका शीघ्र ही निवारण किया जाना चाहिये। हमारे कुछ तीसरी श्रेणी के लिपिकों को, जिन्हें पहले ६० रुपये मिला करते थे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बाद केवल ५५ रुपये मिलने लगे। इस बात का उनके हृदय पर गहरा प्रभाव हुआ। मेरे विचार में वे सभी व्यक्ति जिन्हें ५५ रुपये पर भर्ती किया गया था उन्हें ६० रुपये मिलने चाहियें ताकि उनकी व्यथा दूर की जा सके।

सेवाओं से सम्बन्धित कुछ अन्य विषय भी हैं परन्तु अभी अन्य कई विषयों की चर्चा की जानी शेष है इस लिये मैं उनके बारे अधिक समय न लूंगा।

पिछड़े वर्गों और विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की मांगें चाहे कुछ अन्य व्यक्तियों को उचित और न्यायसंगत न भी प्रतीत हों परन्तु मुझे सदैव उचित ही लगी हैं क्योंकि इन व्यक्तियों ने काफ़ी समय से कष्ट सहे हैं। यह मेरी इच्छा और आकांक्षा है कि हम उन्हें सामान्य स्तर तक ऊंचा उठा दें ताकि वे इस देश में सब से ऊंचे नागरिक के साथ समान स्तर पर, इस देश के आत्म सम्मानित नागरिकों की भांति जीवन बिता सकें। इसी उद्देश्य को सामने रखते हुये हम उनके लिये जो कुछ कर सकते हैं करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

इन के लिये पिछले पांच वर्षों में जो राशि दी गई थी मैं ने अगले पांच वर्षों के लिये उन के लिये उस से अधिक राशि प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। पिछले पांच वर्षों में उन्हें लगभग ३९ करोड़ मिले थे जिस में से २० करोड़ राज्यों की और से और १९ करोड़ केन्द्र की ओर से दिये गये थे। अब इस राशि को ३९ करोड़ रुपये से बढ़ा कर ९० करोड़ रुपये कर दिया गया है, अर्थात् ५८ करोड़ रुपये राज्यों की ओर से और ३२ करोड़ रुपये केन्द्र की ओर से दिये जायेंगे। मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि एक विस्तृत कार्यक्रम हो ताकि इस राशि का भली भांति उपयोग हो। मैं तुरंत ही दो बोर्ड स्थापित करने का विचार कर रहा हूं, एक हरिजनों के कल्याण के लिये और दूसरा आदिम जाति के लोगों के कल्याण के लिये ताकि हमें इन योजनाओं को पूरा करने में, अस्पृश्यता निवारण का एक आन्दोलन चलाने में और उन्हें

[पंडित जी० बी० पन्त]

सांस्कृतिक, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में ऊंचा उठाने के लिये उनके लिये प्रत्येक सम्भव प्रयत्न करने में उनका निकटतम सम्पर्क तथा सक्रिय सहायता प्राप्त हो सके। मेरे विचार में अन्य विस्तृत मामलों की चर्चा करना मेरे लिये आवश्यक नहीं है।

अब मैं उन दो छोटी बातों की चर्चा करना चाहता हूं जिनकी चर्चा वाद-विवाद के दौरान में की गई थी।

यह कहा गया था कि देश से बाहर जाने वाले किसी प्रतिनिधि मंडल में अनुसूचित जाति क किसी सदस्य को नहीं भेजा गया है। मुझे यह बात ग़लत मालूम देती है।

†**श्री बी० एस० मूर्ति** (एलुरू): मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने केवल यह कहा था कि सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों से सदस्यों के लिये पर्याप्त प्रतिनिधान नहीं दिया गया है, मैंने यह नहीं कहा था कि किसी भी व्यक्ति को विदेश नहीं भेजा गया है।

†**पंडित जी० बी० पन्त :** हो सकता है आप ने ऐसा न कहा हो परन्तु मैं ने यही समझा था। श्री बी० एस० मूर्ति अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघठन के प्रतिनिधि मंडल के साथ दो बार विदेश गये हैं; श्री पी० एस० नास्कर दो बार संयुक्त राष्ट्र संघठन में गये हैं; अनुसूचित आदिम जातियों की सदस्या श्रीमती खोंगमेन संयुक्त राष्ट्र संघठन में गई हैं; श्री रामेश्वर साहू सोवियत रूस जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि मंडल के साथ गये हैं; श्री राजभोज संसदीय प्रतिनिधि-मंडल के साथ तुर्की गये हैं; श्री बर्मन संसदीय प्रतिनिधि मंडल के साथ विदेश जा चुके हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि और अधिक व्यक्तियों को नहीं भेजना चाहिये बल्कि हमें आलोचन करने से पहले अपने सामने ठीक तथ्यों को रखना चाहिये।

कल विवाद के समय यह भी कहा गया था कि सीतापुर में विधि-नीती संघ (बार एसोसियेशन) ने अनुसूचित जाति के एक सदस्य को शामिल करने से इन्कार कर दिया था क्योंकि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति का एक सदस्य था। मैं ने अपने मंत्रालय को सीतापुर के ज़िले तथा सत्र न्यायाधीश को टेलीफ़ोन करने और उन से पूछताछ करने के लिये कहा था। मुझे उनका उत्तर प्राप्त हो गया है। उन्होंने कहा है कि विधि-जीवी संघ का एक ऐसा नियम है जिसके अनुसार जब कुल सदस्यों का दो-तिहाई भाग किसी सदस्य का समर्थन करे तभी उसे सदस्य बनाया जा सकता है। दो-तिहाई सदस्य इकट्ठे नहीं हुए थे। किसी भी समय दो-तिहाई सदस्यों का इकट्ठा होना कठिन है। इस लिये मेरे विचार में नियम को बदलना चाहिये। मैं स्वयं विधि-जीवी संघ को लिखूंगा कि वह इस प्रकार की आलोचना का अवसर न दें। सीतापुर के ज़िला न्यायाधीश से टेलीफ़ोन द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि अमुक व्यक्ति को विधि-जीवी संघ का सदस्य नहीं चुना जा सका क्योंकि १०६ सदस्यों में से केवल ३० व्यक्तियों ने अपने मतों का उपयोग किया था और इस प्रकार नियमों द्वारा अपेक्षित दो-तिहाई बहुमत प्राप्त नहीं हो सका और इसीलिये चुनाव अमान्य घोषित किया गया था। जहां तक अस्पृश्यता के प्रश्न का सम्बन्ध है, संघ के सदस्यों का उस में कोई विश्वास नहीं है।

†**श्री बी० एन० कुरील** (ज़िला प्रतापगढ़–पश्चिम व ज़िला रायबरेली–पूर्व––रक्षित––अनुसूचित जातियां) : क्या इस सदस्य को अपना लोटा बाल्टी अलग रखने के लिये कहा गया था ?

†**पंडित जी० बी० पन्त** : लोटा बाल्टी लोगों की कल्पना में अधिक बसी हुई है विधि-जीवी संघ में इन बातों का विचार नहीं किया जाता। उसका लोटा बाल्टी से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री जी० एल० चौधरी** (ज़िला शाहजहांपुर–उत्तर व खेरी–पूर्व––रक्षित––अनुसूचित जातियां) : समाचार पत्रों में छपे वक्तव्य का खंडन नहीं किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित जी० बी० पन्त** : बहुत सी बातों का खंडन नहीं किया जाता है । मुझे यही बात बताई गई है और मैं उसे आपके समक्ष रख रहा हूं । यदि ऐसी कोई बात हुई है तो वह अत्यन्त खेदजनक है । यदि जो कुछ कहा गया है वह सच है तो यह हमारे लिये एक लज्जा की बात है कि शिक्षित व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करते हैं । मैं सम्बन्धित विधि-जीवी संघ को पत्र लिखूंगा ।

जहां तक अस्पृश्यता निवारण का सम्बन्ध है, हमें इस प्रयोजन के लिये अपनी अधिकतम शक्ति का उपयोग करना चाहिये ।

• मनीपुर, त्रिपुरा तथा नागा पहाड़ियों की कुछ चर्चा की गई थी । मनीपुर से सम्बन्ध रखने वाले माननीय सदस्य ने मुख्यायुक्त की प्रशंसा की है । मैं ने स्वयं उस राज्य के मामलों में विशेष दिलचस्पी ली है और मेरे विचार में मेरे मित्र श्री रिशांग किशिंग इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम एक दूसरे से निकट सम्पर्क बनाये रहे हैं । मैं उन से यथासम्भव अधिकतम सहयोग करता रहा हूं क्योंकि मेरा यह निजी विश्वास है कि हमें नागा लोगों तथा आदिम जाति के व्यक्तियों के मामले अत्यन्त नरमी से तय करने चाहियें । हमें उन्हें ऊपर उठाने के लिये उनकी आर्थिक भलाई तथा अन्य लाभों के लिये सभी सम्भव उपाय करने चाहियें और उनकी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिये और बेपरवाही से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । वे हमारे भाई हैं । वे हमारे देशवासी हैं । हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिये जिस से उनकी योग्यताओं को ठेस पहुंचे ।

इतना कह कर अब मैं नागा आन्दोलन तथा नागा राष्ट्रीय परिषद् के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । श्री रिशांग किशिंग ने इन की बड़े ही क्रोध से चर्चा की है । वास्तव में यह बात हमारे लिये बड़ी ही दुख की है कि नागा पहाड़ियों के ज़िले में स्थिति ने इस प्रकार का रूप धारण किया है । परन्तु इसके लिये दोषी कौन है ? क्या इस बात के लिये श्री फीज़ो और उसके दल के अतिरिक्त किसी और व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है ? वर्तमान स्थिति उत्पन्न कैसे हुई ?

कुछ समय हुआ नागा पहाड़ियों की जनता ने, संविधान के अधीन जिस परिषद् के वे अधिकारी थे, अपनी उस परिषद् को बनाने से इन्कार कर दिया था । फ़ीजो का यह दावा था कि ये लोग उसके वश में हैं, और जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये सभी प्रयत्नों में रोड़े अटकाये गये । धीरे-धीरे इन में से बहुत से लोग स्थिति को समझने लगे । आसाम सरकार ने अपनी ओर से पूर्ण प्रयत्न किये । कम से कम दो बार फीज़ो ने मुख्य मंत्री से भेंट की । मेरे विचार में उन्होंने मुख्य मंत्री को विश्वास दिलाया था कि वे केवल अहिंसा का पालन करते हैं और कभी भी हिंसात्मक कार्यवाही नहीं करेंगे ।

परन्तु हुआ क्या ? उदार दल के नेता सिखरी को जो भारत में मिलने का पक्षपाती था और स्वतंत्रता के विपक्ष था उसे एक पेड़ से बांध दिया गया और फीज़ो ने उसे गोली से मार डाला । इस के बाद यह हत्या काण्ड प्रारम्भ हुआ । फीज़ो और उसके दल के व्यक्तियों द्वारा निर्दोष नागाओं की निर्दयता से हत्या की जा रही थी और हम उन की रक्षा करना चाहते थे । उन्हें बचाना ही था । जिस व्यक्ति पर उदार दल से सहानुभूति रखने का संदेह किया गया उसे गोली चला कर मार डाला गया था उसकी हत्या कर दी गई या उसके गांव को आग लगा दी गई और ऐसी सभी कार्यवाहियां की गईं ।

इन परिस्थितियों में कोई भी सरकार क्या कर सकती थी ? विधि अनुसार रहने वाले लोगों के प्रति इसका क्या कर्त्तव्य था ? इन परिस्थितियों में आसाम सरकार को दोष देना उचित नहीं है । प्रधान मंत्री ने स्वयं नागा लोगों से एक से अधिक बार भेंट की है । उन लोगों के प्रति आप उनकी भावनाओं को जानते हैं और इस विषय पर उनके क्या विचार हैं आप इस से भी परिचित हैं । उनके प्रयत्नों के बावजूद उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत** : क्या सरकार ने कभी किसी समय नागा राष्ट्रीय परिषद् को भारतीय संघ के भीतर एक पूर्णतः स्वायत्तशासी राज्य या प्रदेश की पेशकश की थी ?

†**पंडित जी० बी० पन्त** : यदि श्री कामत यह चाहते हैं, यदि नागा पहाड़ी जिले में एक स्वायत्त-शासी संघ स्थापित करना उन्हें स्वीकार नहीं है तब तो नागाओं को खुली छुट्टी दे देना चाहिये कि वे किसी को भी और सभी लोगों की हत्या कर दें। मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

†**श्री कामत** : मेरा यह मतलब नहीं है। आप लोक-सभा को भटका रहे हैं।

†**पंडित जी० बी० पन्त** : मैं आप से इस पर विचार करने के लिये कह रहा हूं। अच्छा होगा आप संविधान को पढ़ें। इन लोगों की आवश्यकताओं और भावनाओं का उचित ध्यान रख कर ही संविधान की रचना की गई थी। स्वायत्तशासी जिलों की स्थापना की गई थी और इस सम्बन्ध में संविधान में एक विशिष्ठ उपबन्ध की व्यवस्था की गई थी। इस के बावजूद नागा राष्ट्रीय परिषद् द्वारा ये प्रयत्न किये जा रहे हैं। आसाम के अन्य भागों में भी नागा रहते हैं। वे सभी संविधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं और देश के अपने भागों का विकास कर रहे हैं। यह केवल फीज़ो का ही विषैला प्रभाव है जो नागा पहाड़ियों की प्रगति और विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है। कुछ बार अध्यापकों की हत्या की गई है; और कुछ बार अन्य व्यक्तियों के साथ भी अत्यन्त क्रूर व्यवहार किया गया है।

इन परिस्थितियों में हमारी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। यदि फीज़ो और उसके साथी यह अनभव करते हैं कि इस देश के प्रति उनकी निष्ठा है, यदि वे यह स्वीकार कर लें कि नागा पहाड़ी भारत का एक भाग है तो वे उचित कार्यवाहियां कर सकते हैं। वे घृणा तथा हत्या का अपना आन्दोलन बन्द कर सकते हैं और दया की अपील कर सकते हैं। जो व्यक्ति हत्या की कार्यवाहियों के लिये दोषी हैं उन्हें अवश्य ही उसकी सज़ा भुगतनी होगी परन्तु वे लोग जिन्हें पथभ्रष्ट किया गया है और ऐसी कार्यवाहियां कर रहे हैं उन के मामलों पर अवश्य ही विचार किया जायेगा।

मैं कह नहीं सकता कि क्या मैं अपने समय से अधिक देर तक बोला हूं। विवाद के दौरान में जिन बातों और प्रश्नों की चर्चा की गई थी मुझे उनका उत्तर देना था। परन्तु मुझे और अधिक समय नहीं लेना चाहिये। मैं आपका और लोक-सभा के सदस्यों का धन्यवाद करता हूं और हमारे सपनों के नव-भारत के निर्माण के लिये इन की सहानुभूति, भाईचारे और सहयोग की कामना करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि कार्य सूची के चतुर्थ स्तम्भ में दी गई राशियों से अनधिक राशियां राष्ट्रपति को निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में जो दूसरे स्तम्भ में दिखाई गई हैं, उन भारों को पूरा करने के लिये दी जायें जिनका भुगतान ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किया जायेगा।
>
> मांग संख्या :—५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, तथा १३१।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[जो मांगें सभा द्वारा स्वीकृत हुईं वे नीचे दी जाती हैं--सम्पादक]

मांग संख्या	शीर्षक	संख्या
		रुपये
५१	गृह-कार्य मंत्रालय ...	२,०४,७९,०००
५२	मंत्रिमंडल ...	३०,२९,०००
५३	दिल्ली ...	१,५३,९६,०००
५४	पुलिस ...	१,९३,८८,०००
५५	जनगणना	१७,९१,०००
५६	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	२,०२,०००
५७	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह	२,२१,४३,०००
५८	कच्छ ...	१,३५,३६,०००
५९	मनोपुर ...	१,१७,२६,०००
६०	त्रिपुरा ...	२,०१,२०,०००
६१	राज्यों से सम्बन्ध	३८,०६,०००
६२	गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ...	४,८०,०९,०००
१३१	गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ...	२,३४,७१,०००

†**अध्यक्ष महोदय** : अब लोक-सभा द्वारा लोहा और इस्पात मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांग संख्या ६६ तथा १३३ पर वाद-विवाद किया जायेगा जैसा कि लोक-सभा को मालूम है इस मंत्रालय की मांगों के लिये तीन घंटे का समय निर्धारित किया गया है, माननीय सदस्य जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं उनकी पर्चियां दे सकते हैं; भाषण के लिये समय सीमा पन्द्रह मिनट होगी और दलों के नेताओं के लिये, यदि आवश्यक हुआ, तो बीस मिनट का समय दिया जायेगा।

†**श्री कामत** : कल आपने घोषणा की थी कि जिन माननीय सदस्यों ने गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों पर बोलने के लिये अपने नाम दे रखे हैं, यदि वे अब भाषण न दे सकते हों तो वे वित्त विधेयक पर वाद-विवाद के दौरान में अपनी बातें कह सकेंगे, क्या अन्य दो मंत्रालयों--सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा विधि मंत्रालय--के सम्बन्ध में भी वित्त विधेयक पर वाद-विवाद के दौरान में ही चर्चा की जा सकती है ?

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** (सैलम) : मेरा यह सुझाव है कि इन मांगों के साथ ही वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की मांगों पर भी विचार किया जाना चाहिये इन सभी मांगों का सम्बन्ध एक ही मंत्री से है और इस स्थिति में हमें नौ घंटे का समय मिल सकेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : लोहा और इस्पात मंत्रालय के लिये पृथक् रूप से तीन घंटे का समय दिया गया है और दूसरे मंत्रालय के लिये ६ घन्टे का समय है। कुल मिलाकर नौ घंटे होते हैं। मुझे मालूम नहीं माननीय मंत्री का इस सम्बन्ध में क्या विचार है।

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)**: मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सुझाव सरकार को उपयुक्त प्रतीत नहीं होगा क्योंकि यह बिल्कुल ही एक नया मंत्रालय है और यद्यपि दोनों मंत्रालयों का एक ही व्यक्ति मंत्री है तथापि उन में एकात्म्य

†मूल अंग्रेजी में

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

स्थापित नहीं किया जा सकता, परन्तु यदि लोक-सभा चाहे तो मैं इस बात को स्वीकार कर सकता हूं कि लोहा और इस्पात मंत्रालय के लिये बंटित समय में से समय निकाल कर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को समय दे दिया जाये ।

†**एक माननीय सदस्य** : जी, नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जिस रूप में मांगे हैं, वे वैसे ही रहेंगी ।

३१ मार्च, १९५७ के समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अनुदानों की ये मांगें प्रस्तुत की गईं :–

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६६	लोहा और इस्पात मंत्रालय ...	८,९१,०००
१३३	लोहा और इस्पात मंत्रालय का पूंजी व्यय ...	३९,०९,५०,०००

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : श्रीमान्, यह पहला अवसर है जब आपके पीठासीन रहते हुए मैं लोक-सभा को सम्बोधित कर रहा हूं । यद्यपि अब बहुत दिन हो गये हैं फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें आपको "अध्यक्ष महोदय" के रूप में सम्बोधित करते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है ।

साधारण प्रथा के विपरीत मैं चर्चा इसलिये प्रारम्भ कर रहा हूं कि यह मंत्रालय नया है और एक तरह से इसकी स्थापना वर्तमान प्रथा के अनुसार नहीं है । अब तक प्रथा यह रही है कि अलग मंत्रालय केवल ऐसे विषय के सम्बन्ध में बनाया जाता है जो कि किसी अन्य विषय से भिन्न हो ।

इस मंत्रालय के निर्माण का निश्चय मई, १९५५ के अन्त में किया गया था और मंत्रालय का जन्म १५ जून, १९५५ को हुआ । परन्तु वह उस कार्य का श्रीगणेश नहीं है जो इस मंत्रालय को सौंप दिया गया है । मेरे माननीय मित्र और सहयोगी माननीय उत्पादन मंत्री ने सरकार के तत्वावधान में भारत में इस्पात संयंत्रों की स्थापना के सम्बन्ध में प्रायः १९५३ से ही उपक्रम प्रारम्भ किया था । उन्होंने एक जर्मन गुट्ट के साथ रुरकेला में इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिये बातचीत चलाई थी और उन्होंने एक रूसी दल से भी भिलाई में इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिये बातचीत प्रारम्भ की थी । इसलिये मुझे मंत्रालय का कार्य भार एसी अवस्था में मिला जबकि उसका मार्ग प्रशस्त हो गया था । अकस्मात ऐसा हुआ कि मंत्रालय के निर्माण के पूर्व ही वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ब्रिटिश संयंत्र के सम्बन्ध में बातचीत कर रहा था ।

लोक-सभा के कुछ माननीय सदस्य इस बात को अनियमिता कह सकते हैं कि सरकारी क्षेत्र में लोहा और इस्पात के उत्पादन का प्रभारी लोहा और इस्पात मंत्रालय हो और गैर-सरकारी क्षेत्र में लोहा और इस्पात के उत्पादन का कार्य वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय करे । वर्तमान व्यवस्था के पक्ष में कुछ कहा जा सकता है । वैकल्पिक व्यवस्था के पक्ष में भी कुछ कहा जा सकता है । परन्तु, चाहे जो कुछ भी हो, १९५९ तक ऐसा कोई संघर्ष उत्पन्न नहीं होगा जिसमें, इस्पात के उत्पादन के परिमाप और विस्तार के मामले को छोड़ कर, समन्वय की आवश्यकता पड़ेगी । इसलिये उस समय तक वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखना ही सुविधाजनक होगा ।

श्रीमान्, मैं आपकी अनुमति से लोक-सभा को यह बताना चाहूंगा कि जिन तीन सरकारी संयंत्रों की योजना बनाई है उनके सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है । मैंने कल लोक-सभा के

†मूल अंगेजी में

माननीय सदस्यों को इन तीन संयंत्रों की कुछ विस्तृत बातों के सम्बन्ध में एक नोट परिचालित किया था और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यों के पास वह नोट होगा। परन्तु मैं उससे कुछ और आगे भी कहना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य यह महसूस करें कि यह सबसे बड़ा कार्य है जो सरकार ने अपने हाथ में लिया है, और प्रायः एक ही समय पर तीन इस्पात संयंत्रों की स्थापना और उन सब का एक साथ कार्य प्रारम्भ करना और लगभग एक ही समय उनमें उत्पादन प्रारम्भ होना बहुत कठिन बात है जिसकी कल्पना मात्र मनुष्य को विचलित कर देती है। पिछले दिन मैं लन्दन स्थित उच्चायुक्त से सम्बद्ध (मिनिस्टर) से प्राप्त संसूचना पढ़ रहा था जो लन्दन में भारत के औद्योगीकरण के सम्बन्ध में एक बैठक में की गई आलोचना के सम्बन्ध में था। वहां मेरे मित्र सर सिरिल जोन्स ने, जिन्होंने एक इस्पात संयंत्र की स्थापना की बातचीत करने के लिये भारत को भेजे गये ब्रिटिश दल का नेतृत्व किया था, कहा कि भारत आधे मंत्री, एक सचिव, एक उपसचिव और दो अवर सचिवों से तीन इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने का प्रयत्न कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह बेतुकी सी बात लगती है, परन्तु साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब वह यहां थे तो सरकार इस्पात संयंत्रों की स्थापना के प्रश्न की बातचीत जर्मनी और रूस से कर रही थी और उनमें से किसी ने भी विलम्ब की शिकायत नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि "यह आज का भारत है"। इसलिये जो बेतुका लगता है वही अब सफलतापूर्वक किया जा रहा है। श्रीमान् हम एक पुराने मित्र का, जो पहले भारत सरकार में रह चुके हैं, इस प्रकार की अभ्युक्ति से कुछ सान्त्वना प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु हमारे सामने जितना बड़ा कार्य है उसका महत्व कम करना एक गलती होगी ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस नए कार्य में, जो हम ऐसे संगठन द्वारा करने जा रहे हैं जिसने अभी तक उस प्रकार का कार्य नहीं किया है, सब प्रकार की नई समस्यायें उत्पन्न होती हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में कर्मचारियों और मंत्रियों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनमें से एक है, संसदीय नियंत्रण । पिछले दिन जब रूस के एक उप-प्रधान मंत्री यहां आये हुए थे, हम भिल्लाई संयंत्र पर किए जाने वाले नियंत्रण की चर्चा कर रहे थे। यह कहा गया कि सत्ता का अत्यधिक विकेन्द्रीकरण होना चाहिये ताकि स्थल पर उपस्थित आदमी बिना किसी प्रकार के केन्द्रीय नियंत्रण के जो कुछ भी आवश्यक हो उसका निर्णय कर सकने की स्थिति में हो। मैं समझता हूं कि यह सुझाव सद्भावना से ही दिया गया था। परन्तु साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि जबकि रूस में यह सम्भव है कि प्रभारी कर्मचारी को निर्णय की अनुमति दे दी जाय क्योंकि वह दल (पार्टी) का ही आदमी होता है, वह शासकीय यंत्र का अंग होता है, भारत में हमारी जैसी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में स्थल पर उपस्थित आदमी को, मंत्रालय के सचिव को, मंत्री को और संसद् को, उत्तरदायित्व सौंपने के प्रश्न पर आलोचना होती है जो अभी तक हमने किसी विशेष रूप में अन्ततः निश्चित नहीं किया है। मैं इस बात का उल्लेख यहां इसलिये कर रहा हूं कि मुझे--और संभवतः मेरे बाद जो आदमी यह कार्या भार संभालेगा उसको--लोक-सभा के माननीय सदस्यों के अनुग्रह की आवश्यकता होगी। यदि लोक-सभा यह चाहती है कि ये तीनों संयंत्र निश्चित दिन को ही थोड़ा बहुत उत्पादन प्रारम्भ कर दें तो जो निर्णय करने होंगे उनकी संख्या, जो जोखिम में उठानी पड़ेंगी, कभी-कभी शीघ्रता उत्पादन के लिये धन के रूप में जो बलिदान करने होंगे उनकी दृष्टि से गलतियों को, यदि वे की जायें, माफ करना होगा, अन्यथा कोई भी व्यक्ति कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगा ।

मंत्रालय बनने के तुरन्त बाद हमने पहली चीज़ यह की कि इसके लिये एक परामर्शदाताओं का सार्थ नियुक्त किया क्योंकि पहली व्यवस्था में अलग-अलग संयंत्रों के लिये अलग-अलग परामर्शदाता

[श्री टी० टी कृष्णमाचारी]

थे। रूरकेला संयंत्र में जर्मन सार्थ परामर्शदाता के रूप में हमारे साथ सहकार कर रहा था। जहां तक रूसी संयंत्र का सम्बन्ध है, रूस की सरकार ने हमें आवश्यक प्रविधिक परामर्श दी जाने का उपबन्ध किया था परन्तु हमने महसूस किया कि हमारा एक स्वतन्त्र परामर्शदाता होना चाहिये। लोकसभा को ज्ञात है कि हमने इंग्लैण्ड के एक सार्थ 'इन्टरनेशनल कन्सट्रक्शन कम्पनी', को अपना परामर्शदाता नियुक्त किया है--सरकार के लिये सामान्य परामर्शदाता और ब्रिटिश संयंत्र के प्रयोजन के लिये विशिष्ट परामर्शदाता भी। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि परामर्शदाताओं के सार्थ की नियुक्ति का निर्णय ठीक ही रहा है क्योंकि ब्रिटिश संयंत्र के अतिरिक्त जिसके लिये ये परामर्शदाता मूलत: उत्तरदायी है हमें भिलाई और रूरकेला में जो संयंत्र स्थापित करने हैं उनकी किस्म और समोच्च-रेखा की प्रकृति का निर्णय करने में हमें ६ लाख रुपये के शुल्क पर इस सार्थ की सहायता मिली थी।

हमारा दूसरा बड़ा निर्णय अभी-अभी कही गई बातों से सम्बन्धित है कि हमें इन इस्पात संयंत्रों के लिये सामान मंगाने के तरीके बदलने पड़े। हमें टेन्डर प्रणाली छोड़नी पड़ी और प्रस्ताव (ऑफर) के गुणदोषों के आधार पर निर्णय करना पड़ा और संभवत: किसी हद तक अपनी सौदेबाजी की शक्ति पर निर्भर रहना पड़ा। रूसी संयंत्र के मामले में कोई टेन्डर आमंत्रित करने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि वह पूरे संयंत्र का सौदा (पैकेज डील) है। वे परामर्शदाता हैं; वे संयंत्र का उपबन्ध करते हैं और हमें उनको पिण्ड राशि का भुगतान करना होता है चाहे वह कितनी भी हो उसमें उतनी राशि जोड़ कर अथवा घटा कर जिसका उपबन्ध सेवा और भारत में सज्जा सामग्री के रूप में कर दिया जाय, और उससे कोई बचाव नहीं है।

ब्रिटिश संयंत्र के सम्बन्ध में भी हमने पूरे संयंत्र के सौदे (पैकेज डील) का निर्णय किया है। हमने उस सार्थ से ठेका किया है जो खासतौर से भारत में इस्पात संयंत्र की स्थापना के प्रयोजन के लिये प्रारंभ किया गया है और इस सौदे पर सहमत हो गये हैं। जहां तक जर्मन संयंत्र का सम्बन्ध है हमने सोचा कि हम समस्त संसार से टेंन्डर आमंत्रित कर सकते हैं। मूल निर्णय यह था। हमने उत्स्फोट भट्टी (ब्लास्ट फर्नेस) की स्थिति तक अनेक मदों के सम्बन्ध में टेन्डर आमंत्रित किये भी। कोक ओवेन बैटरीज़ के लिये हमारे पास ८ टेन्डर थे। उनमें से कुछ अच्छे नहीं थे; जैसे भी हो हमें उनमें से चार में से चुनना था। जहां तक उत्स्फोट भट्टी (ब्लास्ट फर्नेस) का सम्बन्ध है हमारे पास एक ही टेंन्डर था। यह वरण का प्रश्न है कि हम उस टेन्डर को उसकी अच्छाइयों के आधार पर स्वीकार करें अथवा और टेंडर आमंत्रित करें। संसार में लोहा और इस्पात संयंत्रों के सम्भरण के सम्बन्ध में अब स्थिति १९५३ से भिन्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर, यूरोप का प्रत्येक अन्य देश अब उनका संभरण करने में असमर्थ है क्योंकि उनके पास अधिकतम सीमा तक आर्डर पहुँच चुके हैं। जर्मन लोग भी, जो १९५३ में आर्डर पाने के लिये बहुत उत्सुक थे, अब अधिक आर्डर स्वीकार करने में असमर्थ हैं। यदि हमने ब्रिटिश गुट्ट से ठेका नहीं किया क्योंकि उसके पास संसार के अन्य भागों से भी प्रस्ताव आये थे वे बहुत से अन्य संयंत्रों को भी ले लेते तो वैसी स्थिति में हमें १९६२ तक उसकी प्राप्ति नहीं होती। यह ऐसा बाजार है जिसमें खरीददार को पसंदगी का मौका बहुत कम है। इसलिये, यह देखकर कि उत्स्फोट भट्टियों (ब्लास्ट फर्नेस) के सम्बन्ध में हमें एक ही टेन्डर मिला और हमें उस टेन्डर के मूल्य और उन शर्तों के सम्बन्ध में बातचीत करनी पड़ी जिनके अन्तर्गत टेन्डरदाता ठेके की पूर्ति करेगा, हमने यह महसूस किया कि हमें रूरकेला संयंत्र के लिये संसार के टेन्डरों के सम्बन्ध में अपने विचारों को बदलना होगा और अब हमने शेष संयंत्रों के संभरण के लिये जर्मनी के पांच सार्थ चुन लिये हैं। हमें उनके प्रस्तावों के लगभग डेढ़ महीने में प्राप्त होने की आशा है।

इस प्रश्न का टेन्डर प्रणाली से पूरे संयंत्र का सौदा (पैकेज डील) क्यों अच्छा है दूसरा पहलू यह है । मान लीजिये हम एक इस्पात संयंत्र को स्थापना से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों के लिये विभिन्न पार्टियों के टेंडर स्वीकार करते हैं । मान लीजिये हम कोक ओवेन बैटरी के लिये एक आदमी का टेन्डर स्वीकार करते हैं और इस्पात को पिघलाने वाले परिवर्तकों (स्टील मेल्टिंग कन्वर्टर्ज) के लिये दूसरे आदमी का टेन्डर स्वीकार करते हैं । अब, उनमें से एक काम पूरा नहीं करता है और इस बीच में उत्स्फोट भट्टी (ब्लास्ट फर्नेस) किसी कारण से स्थापित नहीं होती है । यह ठीक है कि हमारा टेन्डरदाता पर दावा है परन्तु संयंत्र को स्थापना में तो विलम्ब हो ही जायगा और हम वैसा होने देने की स्थिति में नहीं हैं । इसलिये हमने अन्ततः यह महसूस किया कि विभिन्न पार्टियों से सौदेबाजी करने और पूरे संयंत्र का सौदा (पैकेज डील) करने की प्रणाली ही सर्वोत्तम है । इसमें हमें एक लाभ था । यद्यपि भारत के बाहर बहुत लोगों को यह पागलपन लगे परन्तु ऐसा कभी-कभी ही होता है कि एक देश को एक ही समय में तीन विभिन्न देशों के मूल्यों की तुलना करने का अवसर मिलता है । उससे स्थिति लाभकारी हो जाती है । यद्यपि हम प्रविधिक दृष्टि से बहुत सक्षम नहीं हैं तथापि उससे हम फायदे में रहते हैं । मैं लोक-सभा को यह बता दूँ कि वे मूल्य प्रायः समान ही हैं ।

†**श्री अशोक मेहता** (भण्डारा) : उनमें अन्तर कितना था ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : मैं उस पर आ रहा हूं । मैं लोक-सभा को यह बताना चाहूंगा कि मूल्य प्रायः समान ही है । निस्संदेह संयंत्रों के आकार और प्रकृति के कारण थोड़ा सा अन्तर अवश्य है । हमें यह लाभ था क्योंकि हम एक ही समय में तीन संयंत्रों की बातचीत कर रहे हैं ।

अब मैं इन संयंत्रों के सम्बन्ध में कुछ विस्तृत बातें बताऊंगा । मैं लोक-सभा को बताना चाहूंगा कि, यद्यपि अधिकांश के लिये यह रुचिकर न हों, कि रूरकेला संयंत्र में ३ 'कोक-ओवन बैटरी' होंगी जिनमें से प्रत्येक में ७८ कोक ओवेन्स होंगे । दुर्गापुर संयंत्र में उतनी ही बैटरी होंगी तथा उनमें उतने ही कोक-ओवन होंगे, भिलाई संयंत्र में ३ बैटरी होंगी जिनमें से प्रत्येक में ६५ कोक-ओवन होंगे । इन संयंत्रों में उत्स्फोट भट्टी (ब्लास्ट फर्नेस) की सामर्थ्य भिन्न-भिन्न है । रूरकेला संयंत्र में तीन उत्स्फोट भट्टियां (ब्लास्ट फर्नेस) होंगी जिनमें से प्रत्येक की सामर्थ्य १,००० टन होगी, दुर्गापुर संयंत्र में ३ उत्स्फोट भट्टियां (ब्लास्ट फर्नेस) होंगी जिनमें से प्रत्येक की सामर्थ्य १,२५० टन होगी और भिलाई संयंत्र में तीन उत्स्फोट भट्टियां (ब्लास्ट फर्नेस) होंगी जिनमें से प्रत्येक की सामर्थ्य १,१३५ टन होगी । इस्पात को पिघलाने के प्रश्न के सम्बन्ध में, भिलाई और दुर्गापुर दोनों में, हम चुल्ली भट्टी (हर्थ फर्नेस) रखेंगे जो इस्पात पिघलाने का वर्तमान तरीका है । लोक-सभा के कुछ माननीय सदस्य जानते हैं कि रूरकेला में हम इस्पात उत्पादन में नई प्रविधि का प्रयत्न कर रहे हैं—एल० डी० प्रक्रिया का । हम उसे चार छोटी खुली चुल्ली भट्टियों (हर्थ-फर्नेस) से मिला रहे हैं ताकि हम क्षेप्य का प्रयोग कर सकें और उच्च कारबन इस्पात उत्पन्न कर सकें जो कुछ प्रयोजनों के लिये आवश्यक है । वेल्लनीयों (रोलिंग मिल्स) में इसलिये अन्तर है कि एक मामले में हम समपत्तियां आदि (फ्लैट प्रोडक्ट्स) उत्पन्न करेंगे और दूसरे में सरिया आदि उत्पन्न करेंगे । दुर्गापुर में हम एक पहिया, टायर और धुरी (एक्सिल) संयंत्र बना रहे हैं । इन विभिन्नताओं को छोड़कर अधिकांश अन्य चीजें एक सी हैं । कोयले के प्रयोग के सम्बन्ध में भी संमिश्रण के सम्बन्ध में भी थोड़ी सी विभिन्नतायें हैं । परन्तु हम दुर्गापुर में ब्रिटिश संयंत्र के लिये कोयला धोने के कारखाने स्थापित कर रहे हैं । रूरकेला और भिलाई के लिये उत्पादन मंत्रालय बोकारो और कारगली में कोयला धोने के कारखाने स्थापित कर रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में .

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है तीनों की सामर्थ्य १० लाख टन पिण्डक (इनगॉट) इस्पात की है; परन्तु उनमें से प्रत्येक की कुछ अतिरिक्त सामर्थ्य है। भिलाई और दुर्गापुर में हम थोड़ी सी कोक ओवन बैटरी और दो अधिक खुले चुल्ली (हर्थ) भट्टियां जोड़ देने से ३,००,००० टन अधिक उत्पादन कर सकते हैं। रूरकेला में ३,५०,००० टन अधिक उत्पन्न कर सकते हैं। हो सकता है कि निर्णय उस समय तक हो जाय जब तक ये संयंत्र सामर्थ्य १० लाख टन से बढ़ा कर दुर्गापुर और भिलाई के मामले में १३ लाख टन करने और रूरकेला के मामले में १२·५ लाख टन करने का कार्य प्रारम्भ करें।

माननीय सदस्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण के प्रश्न के सम्बन्ध में जानना चाहेंगे। इसके बारे में प्रश्न पूछे गये हैं कि हम कर्मचारियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं? हमें तीनों संयंत्रों के लिये १,२०० योग्य इंजीनियरों की आवश्यकता होगी और इन लोगों के प्रशिक्षण की अब योजना बनाई जा रही है, तीनों संयंत्रों के लिये ९,००० से ले कर १०,००० तक कुशल प्रविधिज्ञों की आवश्यकता होगी। हम शीघ्र ही लगभग ५०० आदमियों को, आधे प्रशिक्षण प्राप्त इंजीनियर और आधे प्रविधिज्ञ, जिन्हें इस देश के लोहा और इस्पात कारखानों की कुछ जानकारी हो, सोवियत रूस भेज रहे हैं।

जर्मनी में भी लोगों को प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था की जा रही है। इसकॉन, ब्रिटिश 'कन्सोर्टियम' भी अपने संयंत्र के प्रयोजन के लिये प्रविधिज्ञों को प्रशिक्षण दे रहा है। वास्तव में वे इस संयंत्र की स्थापना के लिये भारतीय इंजीनियरों के भी रखे जाने के लिये विज्ञापन कर चुके हैं। इस बीच में हमने एक समिति नियुक्त की है जिसका सभापति एक विख्यात यांत्रिक इंजीनियर है जो उन सुविधाओं का पता लगायेगी जो हमारे देश में पढ़ाने और व्यावहारिक प्रशिक्षण दोनों के मामले में अतिरिक्त प्रशिक्षण देने के प्रयोजन के लिये हैं।

विद्युत् सम्भरण के प्रश्न के सम्बन्ध में भिलाई संयंत्र को अपनी विद्युत् मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से मिलेगी जोकि कोरबा में एक विद्युत् संयंत्र स्थापित करेगी। रूरकेला में हमें सबसे अधिक विद्युत् की आवश्यकता होगी क्योंकि रूरकेला का संयंत्र केवल इस्पात का ही उत्पादन नहीं करेगा वरन् उर्वरकों का भी। यह बात मैं आरम्भ में कहना भूल गया था। एल० डी० प्रक्रिया से हमें बहुत बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध होगी जिसको प्रयोग में लाना होगा और हम अतिरिक्त विद्युत् की मात्रा के लिये संयंत्र और अन्य आवश्यकताओं पर कुछ करोड़ खर्च करके संभवत. ४,४०,००० टन नाइट्रोचाक या एमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन कर सकेंगे। इसलिये हम हीराकुड से विद्युत् लेते हुए भी रूरकेला में एक विद्युत् संयंत्र रखेंगे। दुर्गापुर के मामले में हम विद्युत् के लिये दामोदर घाटी निगम के विद्युत् संयंत्र पर निर्भर हैं।

जहां तक मंत्रालय के व्यय का सम्बन्ध है, कुछ समय तक यह मंत्रालय छोटा रहेगा, यद्यपि हमें प्रविधिक मंत्रणा–कर्मचारियों की वर्तमान संख्या बढ़ानी पड़ेगी। हम अनावश्यक रूप से बड़ा मंत्रालय नहीं चाहते। हम इस मंत्रालय को एक प्रयोग के रूप में चला रहे हैं। हम बहुत बड़ी संख्या में क्लर्कों आदि को भर्ती करना नहीं चाहते। हम तो सारा काम अफसरों पर ही छोड़ना चाहते हैं और इस मंत्रालय में सबसे छोटा कर्मचारी अधीक्षक (सुपरिंटैंडैंट) की श्रेणी का है।

इस मंत्रालय के लिये रुपये की जो आवश्यकता है उसकी स्थिति मुझे सभा के सम्मुख स्पष्ट करनी है। भिलाई के व्यय के लिये पुनरीक्षित बजट अनुदान २·५ करोड़ रुपये थी और हमने २·३३ करोड़ रुपये खर्च किये। हिन्दुस्तान स्टील के लिये हमने ५ करोड़ रुपये के ऋण और ५ करोड़ रुपये के अनुदान का उपबन्ध किया है। हम अनुदान को अंश पूंजी के रूप में व्यय नहीं कर सके

क्योंकि उसके अनुपात में ही रुपया लगाने वाले लोग हमें नहीं मिले अतः दुर्गापुर की आवश्यकता के लिये रकम निश्चित करने के उपरान्त वह धन वापस कर दिया गया। हिन्दुस्तान स्टील का १९५५-५६ का समस्त व्यय अर्थात् ३·३८ करोड़ रुपये इस ५ करोड़ रुपये के ऋण में से किया गया। हमने जो ठेके दे रखे हैं उन पर कुछ और खर्च होगा।

दुर्गापुर के पुनरीक्षित बजट उपबन्ध में हमने १ करोड़ ८ लाख रुपये के लगभग खर्च किया है। भिलाई के लिये हमने १८·७४ करोड़ रुपये की मांग की है जिसमें १० करोड़ रुपये के संयंत्र और मशीनरी शामिल हैं। रूसियों ने मोटे तौर पर इस प्राक्कलन की पुष्टि कर दी है। आकस्मिक व्यय (जिसमें भाड़ा और भारवहन व्यय भी शामिल है) ७४ लाख रुपये है। रूसी प्राविधिज्ञों द्वारा (उस संयंत्र स्थान पर) निर्माण कार्य का व्यय ४ करोड़ रुपये है और अन्य व्यय ४ करोड़ रुपये है जिसमें पानी का प्रबन्ध, भूमि अधिग्रहण, नगरनिर्माण लौह अयस्क की खानों का विकास, प्राविधिक कर्मचारियों का वेतन आदि सम्मिलित हैं।

दुर्गापुर के लिये हमने १० करोड़ रुपये मांगे हैं किन्तु पहले हमें यह पता न था कि वस्तुतः कितना व्यय होगा। अब यह ज्ञात हो गया है कि लगभग २५ करोड़ रुपये खर्च होंगे और यदि अन्य किसी रकम में से यदि हम इसके लिये रुपया न लें तो हमें सभा के सम्मुख अनुपूरक मांग के लिये उपस्थित होना पड़ेगा। रूरकेला के लिये हमने ३० करोड़ रुपया मांगा है। हमने सोचा था कि मुख्य-मुख्य ठेके मार्च १९५६ के अन्त से पहले तय हो जायेंगे किन्तु अभी तो भट्टी (ब्लास्ट फर्नेस) का ठेका ही तय हो पाया है और बाकी के लिये दो तीन महीने लगेंगे ? यह हो सकता है कि इतनी रकम खर्च न करें और चालू वर्ष में कुछ बचत हो जाय।

इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन योजनाओं के लिये कितने धन की आवश्यकता है। यदि सभा को अधिक सूचना की जरूरत हो, तो मैं दे दूंगा। यह तो प्राक्कलन के रूप में मैंने सदस्यों को बताया है। सदस्य यदि चाहें तो पूर्व प्राप्त सूचना तथा मेरे द्वारा कथित तथ्यों के आधार पर कोई भी प्रश्न कर सकते हैं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** (पटना—पूर्व): मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री, पुनर्वेल्लन मिल उद्योग (री रोलिंग मिल इंडस्ट्री) सम्बन्धी नीति के बारे में एक वक्तव्य दें। इसके बारे में हमने अखबारों में पढ़ा था।

†**श्री अशोक मेहता** : एक नये मंत्रालय को कार्यारम्भ करते देखकर हमे बड़ी प्रसन्नता होती है किन्तु जब यह कार्य प्रारम्भ ही हुआ है तो इस समय उसकी सही आलोचना करना बहुत कठिन है।

इस मंत्रालय का अनेक प्रविधिक विषयों से गहरा सम्बन्ध है और अच्छा तो यह होता कि जो सूचना सदस्यों के पास कल भेजी गई है वह पहले दी गई होती। हमें उसका मनन करने का अवकाश मिल सकता था। मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार की सूचना भविष्य में जल्दी दी जायेगी।

जर्मनी, रूस और ब्रिटेन द्वारा लगाये जाने वाले तीन संयंत्रों में हमें केवल जर्मनी के साथ किये गये समझौते का विवरण प्राप्त है। मैं आशा करता हूँ कि अन्य विवरण भी सदस्यों को उपलब्ध कराये जायेंगे। इन तीनों का यदि एक तुलनात्मक चार्ट तैयार करा दिया जाय तो और भी अच्छा होगा क्योंकि हम यह जान सकेंगे कि समझौतों की विभिन्न शर्तों में क्या-क्या अन्तर है।

मैं माननीय मंत्री को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि वे देश के आद्योगिक विकास में एक नया अध्याय खोल रहे हैं। रूस ने ३५ लाख टन इस्पात उत्पादन क्षमता को केवल तेरह

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अशोक मेहता]

वर्षों में १ करोड़ ८० लाख टन तक पहुंचा दिया था जब कि अमेरिका को इस कार्य में १६ वर्ष और जर्मनी के १८ वर्ष लग गये थे। मैं आशा करता हूं कि हमारे देश में यह काम और भी तेजी से किया जायगा यद्यपि वर्तमान स्थिति के अध्ययन से तो मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमारी गति मन्थर है। इस्पात संयंत्र के हेतु भारत सरकार ने १९५३ में जर्मनी से वार्ता प्रारम्भ की थी और १९५५ के अन्त तक यह समझौता अंतिम रूप से सम्पन्न हो सका। मुझे खुशी है कि भिलाई में यह काम एक वर्ष में ही निबट गया और शायद दुर्गापुर में छः महीने से अधिक समय नहीं लगेगा।

रूरकेला संयंत्र के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि उत्पादन मंत्रालय ने पहले कुछ परामर्शदाताओं से करार किया था किन्तु अब मैं देखता हूं कि उन्हें दो करोड़ रुपये दे दिये गये हैं और एक नया परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। तो क्या वे दो करोड़ रुपये पानी में ही गये?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : नये परामर्शदाता को हमने केवल दुर्गापुर संयंत्र के लिये रखा है जिसे ६ लाख रुपये वार्षिक देने पड़ेंगे। वह इतना भला आदमी है कि प्रत्येक संयंत्र में दिलचस्पी लेता है और अपना परामर्श देता है।

†**श्री अशोक मेहता** : रूरकेला संयंत्र के परामर्शदाताओं का क्या हुआ?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : उन्होंने रूरकेला के कार्य की रूपरेखा तैयार की है। उसके निर्माण का भार उन्हीं के ऊपर है। यह परामर्शदाता भिलाई और रूरकेला संयंत्रों के सम्बन्ध में सामान्य परामर्श देगा परन्तु विशेषतः वह दुर्गापुर के लिये ही है।

†**डा० लंका सुन्दरम** (विशाखपटनम्): यह नया परामर्शदाता कब तक काम करेगा।

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : छः वर्ष तक बहुत सस्ता मिल गया है केवल ६ लाख रुपये वार्षिक देने पड़ेंगे।

†**डा० लंका सुन्दरम्** : आपकी किस्मत अच्छी है।

†**श्री अशोक मेहता** : अब मैं इस्पात संयंत्रों के प्रबन्ध के प्रश्न को लेता हूं। यह निश्चित है कि सरकारी उद्योग की भांति गैर-सरकारी उद्योग की भी उन्नति होगी। सरकारी क्षेत्र में जर्मनी अथवा रूस से आने वाले संयंत्रों के साथ गैर-सरकारी क्षेत्र में भी संयंत्र बाहर से आ सकते हैं। अतः भारत के विभिन्न पत्तनों पर उनके वहन के लिये समुचित प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

इसके उपरान्त कोयले का प्रश्न उपस्थित होता है। सरकारी और गैर-सरकारी संयंत्रों की आवश्यकता के अनुसार प्रति वर्ष १ करोड़ टन कोयला चाहिये और कोयला-उद्योग यदि प्रगति न कर सका तो हमें भय है कि हमारे संयंत्र भली भांति नहीं चल पायेंगे। प्राक्कलन समिति ने कोयला-आयोग बनाने का जो सुझाव दिया है उसे तुरन्त कार्यान्वित करना चाहिये। इसी प्रकार लोहा और इस्पात मंत्रालय तथा उत्पादन एवं रेलवे मंत्रालयों के कार्यों में आवश्यक समन्वय होना चाहिये इसके लिये एक समिति होनी चाहिये जो किसी भी कठिनाई के उपस्थित होने पर कार्यों में एकसूत्रता स्थापाति कर सकें।

लोहे और इस्पात के काम में सम्मिलित उत्पादन लाभप्रद होता है। इस्पात के साथ हम अनेक उपोत्पादों के उत्पादन के लिये उत्सुक हैं। इस्पात चौबीस विभिन्न श्रेणियों का तैयार होता है। भिलाई और दुर्गापुर में अन्य कई सम्बन्धित कारखानों की योजना बन रही है किन्तु इससे एक खतरा रहता है और वह यह है कि इससे उद्योग में एकाधिकार बहुत बढ़ जाता है चाहे उद्योग सरकारी हो

†मूल अंग्रेजी में

अथवा गैर-सरकारी, वह प्रायः इतना घनीभूत हो जाता है कि फिर छोटे उद्योगपतियों के लिये कोई स्थान नहीं रहता। टाटा उद्योग और जे० के० उद्योग आदि अनेक उदाहरण हमारे सामने ऐसे हैं जो बीसियों वस्तुयें तैयार करते हैं। इस्पात की ढलाई के लिये ग्यारह नई इकाइयाँ स्थापित की जायेंगी जिनसे उत्पादन में १७५ प्रतिशत वृद्धि होगी। उनमें भी पुराने एकाधिकारी पदार्पण कर बैठेंगे, ऐसा लगता है। चाहे छोटा काम हों या बड़ा, मैं नहीं चाहता कि देश की प्रत्येक वस्तु का राष्ट्रीयकरण किया जाय। उदाहरण के लिये फेरो मैंगनीज़ को लीजिये। यह तो ठीक है कि उसका उत्पादन बढ़ाया जा रहा है और ६ संयंत्रों में इस कार्य को किया जायेगा। किन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में फेरो मैंगनीज़ के राष्ट्रीयकरण की ओर संकेत किया गया है। इस प्रकार यदि हम प्रत्येक वस्तु का राष्ट्रीयकरण करने लगे तो पता नहीं देश की क्या स्थिति होगी।

हम देखते हैं कि छोटे उद्योगों के लिये लोहा और इस्पात का अभ्यंश केवल ३२,००० टन प्रति वर्ष है। एक ओर तो हम यह कहते हैं कि देश की समृद्धि छोटे उद्योगों में ही निहित है और दूसरी ओर हम उनका गला घोंटते जा रहे हैं। यह कहाँ तक उचित है।

उत्पादन के साथ इस्पात के मूल्य का भी प्रश्न उत्पन्न होता है। पत्तनों और इस्पात केन्द्रों पर तो वह असली कीमत पर बिकता है किन्तु अन्य स्थानों पर परिवहन लागत के कारण उसका मूल्य बहुत बढ़ जाता है। मैं चाहता हूं कि देश में सर्वत्र उसके एक दाम हों अन्यथा दूरवर्ती छोटे उद्योगों को हानि होगी; जैसे पंजाब में साइकिल उद्योग और कपड़े सीने की मशीन का उद्योग बढ़ रहा है और उन्हें इस्पात की मूल्य-वृद्धि से हानि हो सकती है।

'टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी' तथा 'इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी' की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये इस्पात का प्रतिधारण मूल्य ३९३ रुपये प्रति टन रखा गया है जिसे उन्हें अधिक अर्थ लाभ हो सके। इसी प्रकार इन कम्पनियों को वित्तीय सहायता भी बहुत दी गई है। इसका परिणाम यह होगा कि कम्पनी के अंशधारियों को खूब पैसा मिलेगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि भविष्य में जब इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जायगा तब हमें क्षतिपूर्ति देनी होगी। ऐसी दशा में उन्हीं लोगों की आमदनी बढ़ाने में हमारा हित नहीं है।

मैं समझता हूं कि भारत सरकार को इन उद्योगों में अंशधारी बन कर उनकी पूंजी में हिस्सा बटाना चाहिये। इसके साथ-साथ जो छोटे उद्योग हैं उन्हें भी विकसित होने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिये। तभी हमारा देश सुखी और समृद्धिशाली बन सकता है।

अन्त में, मैं आशा करता हूँ कि अगली बार इस प्रकार की चर्चा में हम लोहे और इस्पात की केवल प्रविधिक बातों पर ही बहस नहीं करेंगे बल्कि इनसे सम्बन्धित विस्तृत विषयों पर भी प्रकाश डालेंगे।

†**श्री बंसल** (झज्जर-रेवाड़ी) : मैं भी श्री अशोक मेहता के इस कथन का समर्थन करता हूं कि इस्पात उद्योग हमारे देश का एक आधारभूत उद्योग है और यह बड़े हर्ष की बात है कि इसके उत्पादन की देखभाल करने के लिये एक पृथक मंत्रालय बना दिया गया है। परन्तु दुःख मुझे इस बात का है कि साधारणतया भारत में इस्पात कारखानों की स्थापना सम्बन्धी करारों को उपहार का रूप दिया जा रहा है। मैं तो यह समझा था कि य करार व्यापारिक सौदों के समान हैं यही कारण है कि मंत्री महोदय श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने भी जर्मन कम्पनी के साथ किये गये करा ों की आलोचना की थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बंसल]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

परन्तु आज वह स्वयं ही इन करारों का समर्थन करते हुए यह स्वीकार करते हैं कि हमारा देश अभी तक विदेशियों के लिये मंडी बने हुए है।

जैसा श्री अशोक मेहता ने कहा है इस प्रकार के विषय पर चर्चा करने में हमारे मार्ग में सब से बड़ी कठिनाई यह है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के बारे में हम अभी तक योजनायें बनाने की ही अवस्था में हैं, हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है कि उन्हें कार्यान्वित करने के बारे में अभी तक क्या किया गया है। उदाहरणार्थ हमें कुछ भी पता नहीं कि पिछले तीन वर्षों से रूरकेला में क्या किया जा रहा है, भिलाई तथा दुर्गापुर के सम्बन्ध में भी हमें कुछ पता नहीं। मैंने मंत्री महोदय से प्रार्थना की थी वह संसद् के कुछ एक सदस्यों को साथ लेकर उन स्थानों का दौरा करें ताकि वे कुछ समझ सकें कि वहां पर क्या हो रहा है। परन्तु मेरे सुझाव को नहीं माना गया। इसीलिये हमारे पास उनके बारे में कोई अधिक जानकारी नहीं है।

मुझे ज्ञात हुआ है कि जहां तक जर्मनी से किये गये करारों का सम्बन्ध है, उन लोगों के दवाब-परिणामस्वरूप हमने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उन्हें आयकर में कुछ रियायत दी जाये। और वह रियायत यह है कि परामर्श शुल्क के केवल ५० प्रतिशत भाग पर आय कर लिया जायेगा। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह रियायत किस विधि के अधीन दी जा रही है।

इसके अतिरिक्त उस गुट को इस बात की छूट दी गई है कि यदि वह अपनी सम्पत्ति भारत सरकार को बेचना चाहे तो वह ९ वर्ष की अवधि के बाद वैसा कर सकता है, और फिर उसमें २० प्रतिशत प्रीमियम की भी व्यवस्था की गई है जिससे स्पष्ट अर्थ निकलता है कि सरकार उस जर्मन गुट को एक प्रत्याभूत लाभांश देना चाहती है।

इसके अतिरिक्त करार के एक और खण्ड में जर्मन गुट को यह छूट दी गई है कि वह इस राशि को मार्क सिक्के अथवा रुपये किसी भी रूप में ले सकता है। तो इससे जर्मन गुट को यह लाभ होगा कि वह उसी सिक्के को स्वीकार करेंगे जिसका मूल्य अधिक होगा। तो इसका परिणाम यह होगा कि दोनों देशों के सम्बन्धों में मैत्री न रह सकेगी।

जहाँ तक दुर्गापुर इस्पात कारखाने का सम्बन्ध है, उसकी स्थापना के लिये भारत सरकार के दो भूतपूर्व उच्च पदाधिकारी प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व करते हुए भारत में आये। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन व्यक्तियों को लोहे और इस्पात के उत्पादन में अभिरुचि कब से हो गई?

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : वैसे तो माननीय सदस्य को इस बात की स्वतन्त्रता है कि वह जो चाहे कह सकते हैं। परन्तु इस चर्चा से किसी प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व करने वाले किसी व्यक्ति से क्या सम्बन्ध है। मैं समझता हूं कि यह तो उन दो महानुभावों की आलोचना करना है जिन्होंने इस लोहे के कारखाने की स्थापना के लिये इतना परिश्रम किया है। इसलिये मैं व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार के कटाक्षों के विरुद्ध हूं क्योंकि हमें उन व्यक्तियों के प्रति शिष्टता दिखानी चाहिये।

†**श्री बंसल** : परन्तु मैं तो केवल यही प्रश्न पूछ रहा था कि क्या उन व्यक्तियों का बृटिश समवायों के साथ विशेषज्ञों के रूप में कोई सम्बन्ध है? मैंने तो इस बारे में कुछ भी नहीं सुना है। और फिर जो प्रतिवेदन हमें दिया गया है उसमें भी इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है, इसीलिये मैं पूछ रहा हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दुर्गापुर कारखाने और भिलाई कारखाने के 'पैकेज डील' के सम्बन्ध में भी हमने वहां पर अपने मैनेजर रखे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उन मैनेजरों का उन ब्रिटिश समवायों से क्या सम्बन्ध है ? पूरे संयंत्र के सौदे (पैकेज डील) के अन्तर्गत तो कारखानों को स्थापित करने का सारा उत्तरदायित्व विदेशी समवायों का होता है। फिर, वहां पर भारत की ओर से मैनेजर किस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये हैं ? मैं चाहता हूं कि इस बात को स्पष्ट किया जाये।

मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि रूरकेला, दुर्गापुर और भिलाई कारखानों के मैनेजरों पर आने वाले खर्च को कौन वहन कर रहा है ? क्या उन्हें समवाय विशेष वहन कर रहे हैं अथवा लोहा तथा इस्पात मंत्रालय वहन कर रहा है ?

परामर्शदाताओं के सार्थ के सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस सार्थ में केवल एक ही व्यक्ति है अथवा यह एक पूरा समवाय है। यदि यह एक समवाय है तो क्या इसका कन्सोर्टियम' (बैंक संस्था) से कोई सम्बन्ध है। 'कंसोर्टियम' के बारे में मंत्री महोदय से एक दो बातों के सम्बन्ध में जानकारी चाहता हूं। प्रतिवेदन में लिखा हुआ है कि इस कारखाने के लिये ब्रिटिश बैंकों का सिंडीकेट ११५ लाख पौंड का ऋण देगा। फिर ब्रिटिश सरकार ने भी १५० लाख पौंड का ऋण देने का प्रस्ताव भेजा है। परन्तु प्रतिवेदन से यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता कि वहां 'कंसोर्टियम' स्वयं कितना धन लगा रहा है ? उसका वास्तविक रूप क्या होगा ?

व्याज के दर के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार से बात चीत करने के बाद हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि यह दर बैंकों के दर से कुछ ऊंचा होगा। मैं समझता हूं कि यह दर, जो कि लगभग ६-१/२ प्रतिशत बन जायेगा, बहुत अधिक है, विशेषतया जब हम स्वयं अपने पौंड पावने पर इतने थोड़े दर से व्याज ले रहे हैं। इस सम्बन्ध में मेरा तो विचार है कि इतने ऊंचे दर पर २६५ लाख पौंड की राशि को ऋण के रूप में लेने की अपेक्षा हम इतनी राशि अपने पौंड पावने में से क्यों न ले लें।

भावी कार्यक्रम के बारे में मैंने कहीं एक वक्तव्य पढ़ा है जिसमें लोहा तथा इस्पात मंत्री ने कहा है कि हमें प्रति दो वर्ष के बाद एक इस्पात कारखाना स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिये। मैं इससे सहमत हूं, परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन कारखानों के लिये मशीनों और संयंत्रों के निर्माण के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

इस प्रतिवेदन में यह भी लिखा हुआ है कि लोहे के अयस्क तथा कोयले की खानों को खोदने का काम फिर से विदेशी समवायों को दिया जा रहा है। क्या आपने इस बात की जांच करने का कोई प्रयत्न किया है कि क्या भारत में इस काम के लिये कोई विशेषज्ञ नहीं है।

इस बात की तो बड़ी खुशी है कि मंत्रालय ने इस्पात कारखाने के लिये प्रविधिज्ञों और इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिये कार्यक्रम बनाया है। परन्तु हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि प्रशिक्षण ठीक प्रकार से दिया जाये क्योंकि इन कारखानों की सफलता इन्हीं लोगों पर निर्भर करती है।

एक और बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इन तीनों कारखानों में हम अपने इंजीनियर शीघ्र ही भेज दें ताकि वे इन कारखानों को शुरू से ही बनता हुआ देखें और भविष्य में जब भी कोई कारखाना स्थापित करना हो तो वे स्वयं वैसा कर सकें।

दामोदर घाटी परियोजना के पूर्ण हो जाने के कारण उसमें काम करने वाले बहुत से लोगों को निकाल दिया गया है। अब वे बेकार भटक रहे हैं। उनमें से बहुत से लोग अनुभवी इंजीनियर हैं और वे इन तीन इस्पात कारखानों के लिये बस्तियां तैयार करने के लिये काम पर लगाये जा

[श्री बंसल]

सकते हैं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उन इंजीनियरों को काम पर लगा कर उनके अनुभव का पूरा उपयोग उठाने का प्रयत्न करेंगे।

†**श्री नम्बियार** : (मयूरम्) मैं भी हाल में स्थापित किये गये इस मंत्रालय का समर्थन करता हूं। स्थापित किये जाने वाले तीनों कारखानों के बारे में मैंने मंत्री महोदय का भाषण सुना है। तथ्यों से यह प्रकट होता है कि कुछ एक गुटों के साथ किये गये करारों के सम्बन्ध में हमने बहुत बुरी शर्तें निर्धारित की हैं। जर्मन गुट के साथ किये गये करार में हमने यह बहुत बुरा किया है जो इस बात से सहमत हो गये हैं कि वे किसी भी मुद्रा में राशि ले सकते हैं। इससे हमें घाटा रहेगा। रूसी करार में यह निर्णय किया गया है कि इन्हें केवल भारतीय मुद्रा में ही राशि दी जायेगी। यह एक हितकारी शर्त है। क्या अन्य करार भी रूसी करार के समान नहीं बनाये जा सकते ?

ब्रिटिश 'कंसोर्टियम' के सम्बन्ध में भी यही मत है कि हमने उनके साथ कोई हितकारी करार नहीं किया है, हमें ब्रिटिश सरकार को, उससे लिये गये ऋण पर, ५-१/२ प्रतिशत के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा, मैं भारत सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वह ब्रिटिश सरकार से इस आशय की बात करें कि इस काम के लिये लिया गया धन हमारे पौंड पावने में से ले लिया जाये। यदि ब्रिटिश सरकार हमारी सहायता करना चाहती है तो वह इस प्रकार से कर सकती है।

जर्मन गुट के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि उसने काम को प्रारम्भ करने में इतनी अधिक देर लगा दी है। पिछले तीन वर्षों से भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा रहे हैं परन्तु वास्तविक काम अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस देरी का वास्तविक कारण क्या है। क्या यह देरी इसलिये की जा रही है कि जर्मनी हमारी सहायता नहीं करना चाहता अथवा इसका कोई और कारण है ?

भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के बारे में जर्मन गुट (कम्बाइन) का यह कथन है कि वे भारतीयों को जर्मनी से ही प्रशिक्षण देंगे, परन्तु हमें लगभग १०,००० निपुण तथा १५,००० अर्ध-निपुण व्यक्तियों की आवश्यकता है और उन सभी लोगों को जर्मनी नहीं भेजा जा सकता। रूस के साथ हुए करार में तो वे इस बात पर सहमत हैं कि वे भारतीयों को भारत में ही प्रशिक्षण देंगे क्या जर्मनी के सम्बन्ध में भी यही बात नहीं की जा सकती ?

रूरकेला परियोजना को चलाने के लिये जिन ग्रामीण लोगों से जमीन ले ली गई थी उन्हें अभी तक प्रतिकर नहीं दिया गया है। गत वर्ष उत्पादन मंत्री ने बताया था कि इस काम के लिये २० लाख रुपये राज्य सरकार को दे दिये गये हैं, परन्तु वह धन सम्बन्धित व्यक्तियों को अभी तक नहीं दिया गया है, इसीलिये इतनी शिकायतें आ रही हैं।

रूरकेला में मजदूरों के सम्बन्ध में रिपोर्ट में यह लिखा है कि समवाय द्वारा ६०० व्यक्ति काम पर लगाये गये थे जब कि ठेकेदार की सूची पर ५००० व्यक्ति हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है।

गैर-सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में सरकार की यह योजना है कि उसकी उत्पादन क्षमता को १४·३ लाख टन से बढ़ा कर ३० लाख टन कर दिया जाये। परन्तु हम देखते हैं कि 'टिस्को' तथा 'इस्को' केवल दोनों संस्थाओं को ही अधिक सुविधायें दी जा रही हैं। उन्हें सरकार की ओर से ७·६ करोड़ रुपया ब्याज सहित अग्रिम धन के रूप में और १० करोड़ रुपया विशेष अग्रिम धन के रूप में दिया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप गैर-सरकारी समवायों को उतनी अधिक सहायता करने की बजाये

†मूल अंग्रजी में

उस उद्योग को स्वयं अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेते । लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधार भूत उद्योग है अतः इसके राष्ट्रीयकरण से देश को बड़ा भारी लाभ होगा ।

औद्योगिक विकास की दृष्टि से दक्षिण को तो उपेक्षित-सा कर दिया गया है । उत्पादन मंत्री ने ७ अप्रैल को सैलम में यह कहा था कि वह उस क्षेत्र में विद्यमान लोहे के अयस्कों का पूरा उपयोग करने के प्रश्न पर विचार करेंगे । मैं पूछना चाहता हूं क्या वह वहां पर एक लोहा तथा इस्पात का कारखाना स्थापित करने पर विचार करेंगे ?

यह भी बताया गया है कि सरकार भद्रावती लोहा और इस्पात कारखाने को सुधारने के प्रश्न पर विचार कर रही है । यदि यह सच है तो मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि वह दक्षिण के औद्योगीकरण के प्रश्न पर अच्छी प्रकार से विचार करें ।

हिमाचल प्रदेश में नाहन फाऊंड्री घाटे पर चल रही है । इसका कारण यह बताया जाता है कि उस क्षेत्र में श्रम सम्बन्धी कठिनाइयां हैं । परन्तु वास्तव में उसका कारण यह है कि वहां पर बिना कोई ठीक योजना बनाये कई प्रकार के बल कूपों के तजुर्बे किये गये जो कि अन्त में असफल सिद्ध हुए । इसके अतिरिक्त वहां के कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में भी कई शिकायतें आई हैं । अतः मैं समझता हूं कि घाटे की ओर जाने का वास्तविक कारण यही है कि वहां का प्रबन्ध ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है ।

मुझे पता लगा कि श्री व्यास के सभापतित्व में एक समिति नाहन फाऊंड्री की श्रम-कठिनाई के प्रश्न पर विचार करने वाली है । मुझे आशा है कि यह समिति इस पर अच्छी प्रकार से विचार करेगी ।

हमारे देश में लोहे तथा इस्पात के महान संसाधन विद्यमान हैं । हमारे देश में लोहे के अयस्क संसार में सबसे अधिक पाये जाते हैं । परन्तु फिर भी हमारा देश उद्योग की दृष्टि से इतना क्यों पिछड़ा हुआ है ? इसका कारण यही है कि हम अभी तक विदेशी प्रविधिज्ञों पर निर्भर करते हैं । यह सुन कर बड़ी खुशी हुई है कि भारतीयों को भी प्रशिक्षित किया जायेगा । परन्तु इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि उन भारतीयों को भारत में ही प्रशिक्षित किया जाये ।

इसके अतिरिक्त हमें त्रावनकोर-कोचीन की ओर भी पूरा ध्यान देना है । वहां पर इस्पात का कोई भी उद्योग नहीं है । वैसे तामिल नाद में नागापट्टम में 'स्टील रोलिंग मिल' है परन्तु उसका पूरा उपयोग नहीं उठाया जा रहा है । मेरी प्रार्थना है कि उसका पूरा उपयोग करने के प्रश्न पर विचार किया जाये । आशा है कि सरकार मेरी इन सभी बातों पर अच्छी प्रकार से विचार करेगी ।

†**श्री बी० दास** (जाजपुर – क्योंझर) : बड़े खेद की बात है कि तीन इस्पात संयंत्रों के कार्यों को पृथक्-पृथक् नहीं रखा गया है । १९५३ में किसी ने यह नहीं सोचा था कि यहां पर बहुत से इस्पात संयंत्र स्थापित किये जायेंगे । १९५३ में यहां पर रूस वालों ने संयंत्र स्थापित करने के लिये वचन दिया और उन्होंने किसी भागीदारी की मांग नहीं की । इसके बाद अंग्रेज आये और उन्होंने भागीदारी में इस्पात का उत्पादन करना चाहा । अब तो दुर्गापुर बन ही गया है, इसलिये मैं उसकी बात नहीं करता । परन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि अंग्रेजों ने हमारे औद्योगिक विकास को रोकना चाहा था । मैं नहीं मानता कि अंग्रेज इस्पात के सबसे अच्छे निर्माता है । उससे अच्छे निर्माता अमरीका, जर्मनी और रूस हैं । बड़े आश्चर्य की बात है कि अंग्रेज इस बारे में टाटा को सलाह देने आयें । अंग्रेज नहीं चाहते थे कि यहां इस्पात उद्योग बढ़े । उन्होंने १९५४ तक इस सम्बन्ध में हमारी सहायता करने की बात क्यों नहीं सोची ? मुझे मालूम नहीं कि इसमें हमें कितनी सफलता मिलेगी । उनके सहयोग में हमें

†मूल अंग्रेजी म

[श्री बी० दास]

सद्भावना दिखाई नहीं पड़ती । जब रूरकेला में संयंत्र स्थापित किया गया था, तब सरकार कठिनाई में थीं । हमें पैरम्बूर में रेलगाड़ी के डिब्बे बनाने के लिये लोहे की बड़ी आवश्यकता है । उस समय भिलाई और दुर्गापुर में संयंत्र स्थापित करने का विचार ही नहीं आया था ।

यद्यपि भारत ३० लाख टन इस्पात का उत्पादन करेगा, फिर भी मैंने पढ़ा है कि भारत में ११० अथवा १२० लाख टन का उत्पादन हो सकता है । कुछ लोग मद्रास आदि में लोहा और इस्पात के कारखाने स्थापित करने की बात करते हैं । पर इसके लिये पैसा चाहिये । पैसे की कमी के कारण ही रेलवे का विस्तार कार्य रुका पड़ा है । क्या ये तीन कारखाने निश्चित समय तक उत्पादन करने में सफल हो सकेंगे ? जब रूरकेला में पहले संयंत्र स्थापित किया गया था, तब अखिल भारतीय दृष्टि-कोण नहीं था । लोग केवल उड़ीसा के व्यक्तियों की बात सोचते थे । अब दृष्टिकोण बदल गया है और अच्छे लोग लोक सेवा आयोग द्वारा ही लिये जायेंगे ऐसा करने से उड़ीसा क्षेत्रीय विकास नहीं हो सकेगा । मद्रास और त्रावनकोर में संयंत्र स्थापित करने की बात इसलिये कही जाती है कि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके । मंत्री महोदय बतलायें कि रूरकेला संयंत्र के लिये कर्मचारियों की भर्ती में क्या उड़ीसा के लोगों को अधिमान्यता दी जायेगी । जैसा कि आश्वासन दिया गया था । यदि इसे अखिल भारतीय संयंत्र समझा जायेगा तो उन लोगों का इस विषय में विशेष दावा नहीं होगा ।

करार की शर्तें पढ़ते समय मुझे पता नहीं चला कि पूंजी रुपयों में लगाई जायेगी अथवा मार्कों में । जर्मन करार सब से पहले किया गया था । उसे जारी रखना चाहिये । उसमें ऐसी किस्म का लोहा उत्पादित किया जायेगा जो जहाज और रेल गाड़ी के डिब्बे में काम आयेगा ।

यह करार रूसी और अंग्रेजी करार से पहले किया गया था । अंग्रेज तो लाभ उठाने का अवसर देखते रहते हैं । उनकी नीतियों के प्रति हमें सतर्क रहना चाहिये ।

मैं इन इस्पात संयंत्रों का स्वागत करता हूं । पर सीमित धन होने के कारण हम निकट भविष्य में और अधिक संयंत्र स्थापित नहीं कर सकते । मैं आशा करता हूं कि रूरकेला संयंत्र में उड़ीसा के लोगों को रोजगार मिलेगा । अभी टैक्नीकल पदों के लिये उड़ीसा के बहुत कम लोग लिये गये हैं । वे केवल श्रमिक मात्र हैं ।

श्री जांगड़े (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां): इस मंत्रालय ने निर्भीकतापूर्वक, बुद्धिमानी और समय को देखते हुये, देश की आवश्यकता और देश की मांग को पूरा करने के लिये पब्लिक सेक्टर में जो तीन लोहे और इस्पात के कारखाने खोलने का निश्चय किया है, उसके लिये मैं उसको धन्यवाद देता हूं । यद्यपि इस बात की आवश्यकता थी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही उनके कार्य शुरू हो जाने चाहते थे, फिर भी कहा जा सकता है कि देर आयद दुरुस्त आयद । अभी द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में ४५ लाख टन लोहे की आवश्यकता है । मैं जानना चाहूंगा कि यह जो ४५ लाख टन लोहे की आवश्यकता है वह केवल पब्लिक सेक्टर के लिये है या इस में प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया गया है । क्या इसका कैलकुलेशन करते समय मंत्रालय ने यह अनुमान लगाया है कि सरकारी क्षेत्र और अर्धसरकारी क्षेत्रों के सिवा जनता की, व्यापारियों की या दूसरे लोगों की आवश्यकतायें कितनी होंगी ? मैं इसको इस लिये जानना चाहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में न जाने कितने मकान बनेंगे और कितने ही उन्नति के कार्य खुलेंगे । इन उन्नति के कार्यों के लिये कितने लोहे की आवश्यकता होगी, इसके जानने का भी हमें अधिकार है ।

अभी मेरी कांस्टिट्युएंसी से केवल दस मील की दूरी पर भिलाई का लोहे का कारखाना खुला है और वहां पर काम बढ़ रहा है । मैंने दो-एक प्रश्न पूछे और माननीय मंत्री महोदय ने उनके

उत्तर दिये, परन्तु उन उत्तरों से मुझे सन्तोष नहीं हुआ । यद्यपि माननीय मंत्री वहां कई बार पहुंच चुके हैं पर मैं तो मजदूरों और किसानों के दृष्टिकोण को रखते हुये ही हमेशा चलता हूं । वहां पर अभी करीब पांच हजार मजदूर काम करते हैं, मैं जानना चाहूंगा कि भविष्य में यह मध्य प्रदेश का इलाका जो अभी तक उद्योग रहित था, मध्य प्रदेश का यह हिस्सा, जहां पर, राजनीति में कहिये या उद्योग में कहिये या किसी भी प्रकार के उन्नति के कार्यों में कहिये, वहां के स्थानीय लोगों का बोल बाला नहीं है, वे सब तरह से सताये गये हैं ,उन लोगों की क्या हालत होने वाली है ? उनको इस भिलाई स्टील प्लांट में प्रोत्साहन मिलने वाला है या नहीं, इसे मैं जानना चाहूंगा । वहां के लोगों को प्रोत्साहन देने के लिये मैं चाहूंगा कि कारखानों के अन्दर प्रशिक्षण देने के लिये या उनको किसी भी प्रकार से उपयोगी बनाने के लिये, प्रशिक्षण केन्द्र अथवा ट्रेनिंग सेन्टर, मेटेलर्जिकल कालेज और माइनिंग कालेज खोले जायें । ताकि स्थानीय लोगों को उन कारखानों में काम मिल सके । मैं नहीं कहता कि उनमें बाहर के लोग न आयें, पर यदि हमको देश में समानता की भावना लानी है और सब की उन्नति करनी है तो क्या यह अच्छा नहीं होगा कि उन क्षेत्रों के पिछड़े हुये लोगों को, उन क्षेत्रों के लोगों को जो गरीब हैं, बेकस हैं, सताये गये हैं, उनको भी आगे आने का अवसर मिले ? जब छत्तीसगढ़ के इलाके में भी, जहां पर कि जो इन्डस्ट्रीज हैं, जो उद्योग हैं, उनमें उनका हाथ नहीं है, बाहर जाने की बात तो दूर रही, तो क्या उनको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता सरकार महसूस नहीं करती ?

आपको भिलाई के कारखाने के लिये ७५,००० एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी और उसको हासिल करने के लिये आप को ६०,००० किसानों और मजदूरों को वहां से निकालना होगा । इन किसानों और मजदूरों को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक साल में नहीं तो दो सालों में निकालना पड़ेगा । मैं जानना चाहता हूं कि इन ६०,००० किसानों और मजदूरों में से आप कितनों को यहां पर मजदूरी देने का विचार कर रहे हैं । क्या सरकार ने इसके बारे में कोई योजना बनाई है ?

वहां पर जो कम्पेंसेशन या भुगतान किसानों को दिया जा रहा है या मजदूरों को दिया जा रहा है, आपको शायद मालूम नहीं कि वह बहुत कम है । यदि आप रेजिस्ट्रेशन आफिस में जायें या किसी भी किसान से पूछें तो आपको मालूम होगा कि जहां वहां आज जमीन की कीमत १२०० से १५०० रुपया फी एकड़ है, वहां उनको २०० और ३०० फी एकड़ के हिसाब से कम्पेंसेशन दिया जा रहा है । हमने संविधान में संशोधन किया तो क्या इसका यह मतलब है कि हम गरीब लोगों को सतायें ? बड़े-बड़े लोगों को काफी कम्पेंसेशन दिया जाता है लेकिन गरीब किसानों को, गरीब मजदूरों को जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं, जो आज तक संगठित नहीं हो सके हैं, जो आपको मैमोरेंडम पेश नहीं कर सकते हैं, जिनकी आवाज आप तक नहीं पहुंचती है, क्या यह उचित है कि हम इतना कम कम्पेंसेशन दें । यह चीज गलत है । आप यहां जो जमीन है उसको रूरकेला की जो जमीन है उससे कम्पेयर (तुलना) करते हैं । क्या आपको यह भी मालूम है कि इन दोनों जगहों की जमीनों की उपज में कितना अन्तर है ? रूरकेला में १०० या १५० आदमी प्रति वर्ग मील में रहते हैं जब कि यहां पर प्रति वर्ग मील आबादी ३०० और ४०० है । और जहां तक उपज का सवाल है यहां पर रूरकेला से तिगुनी और चौगुनी उपज प्रति एकड़ जमीन में होती है । यहां की जो भूमि है वह बहुत उर्वरा है । अगर आप भिलाई में भी उसी हिसाब से कम्पेंसेशन देते हैं, तो मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि आप उन लोगों के प्रति अन्याय करते हैं । आप उनको अब उठा कर कहीं दूर के स्थानों में फेंक देंगे और वहां पर उनके लिये हट्स और झोंपड़ियां बना देंगे, लेकिन इस तरह करने से जो जमीन की समस्या है उसका समाधान तो नहीं होगा । मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि मंत्री महोदय बतायें कि आप उन

[श्री जांगड़े]

लोगों को कहां पर बसाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं । यदि आप टाउनशिप बनाने जा रहे हैं तो क्या जो इन ६०,००० किसानों और मजदूरों को उन टाउनशिप्स में बसायेंगे । इसकी आपने रूपरेखा तैयार की है ।

अब वहां पर जो ठेके की प्रथा चल रही है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । ठेके पर काम करवाने के मैं एकदम विरुद्ध हूं, यह बिल्कुल गलत चीज है । मैंने हीराकुंड में तथा दूसरी जगहों पर जाकर देखा है । मैंने देखा है कि वहां जो ठेकेदार हैं वे मजदूरों की तीन-तीन और चार-चार महीनों की तनख्वाह को रोके रखते हैं । ये लोग पहले तो उनको लालच देकर फुसला कर ले जाते हैं, लेकिन बाद में उनको सताना शुरू कर देते हैं । पहले तो उनको ज्यादा तनख्वाह देने का लालच दिया जाता है लेकिन बाद में उनके साथ धोखा किया जाता है । उनको इसके लिये मजबूर किया जाता है कि वे नौकरी छोड़ कर चले जायें । मैं यह चाहूंगा कि रिक्रूटमेंट का जितना भी काम है वह शासन अपने जिम्मे ले और ठेकेदारों के जरिये काम करवाने की जो प्रथा चल रही है उसे जल्दी से जल्दी समाप्त कर दे । जितनी भी योजनायें इस समय हमारे देश में चल रही हैं, जितनी भी सिंचाई या दूसरी प्रकार की योजनायें हैं, उनमें से किसी में भी ठेकेदारों की मार्फत काम न करवाया जाये । ये ठेकेदार मजदूरों का शोषण करते हैं । और हम यह भी जानते हैं जो हमारी सरकार है वह शोषण नहीं करती है । ये जो ठेकेदार हैं ये सरकार को भी और मजदूरों को भी धोखा देते हैं ।

अब जो मजदूरी इन मजदूरों को जमीन खोदने के लिये दी जाती है वह पुराने पी० डब्ल्यू० डी० के जो रूल्स हैं उनके अनुसार दी जाती है । आज महंगाई का जमाना है और सब चीजों की कीमतें चढ़ गई हैं । अगर आज आप १९३५ या १९३६ में जो मजदूरी दी जाती थी वही मजदूरी दें तो मजदूरों का काम नहीं चलता है । इस मजदूरी से उनका पेट भी नहीं भरता है । मैं चाहूंगा कि जो शेडयूल्ड रेट्स हैं, उनमें परिवर्तन किया जाये और इन लोगों को कम से कम (निर्वाह योग्य मजूरी) लिविंग वेज दी जाये । मैंने देखा है कि रूरकेला में और भिलाई में भी इसी हिसाब से मजदूरी दी जाती है । यह दोनों योजनायें मेरी कंस्टिट्युयेंसी से कोई १०० मील के फासले पर हैं और इसलिये मैं इन चीजों को अच्छी तरह जानता हूं । मैंने यह भी देखा है कि छत्तीसगढ़ के लोग हजारों और लाखों की तादाद में बिहार और आसाम में, टी गार्डन्स में और कोयले की खदानों में काम करते हैं । उनको पहले तो लालच देकर लोग ले जाते हैं लेकिन बाद में तंग करते हैं जिसके कारण कि उनको वहां से भागना पड़ता है । मैं चाहूंगा कि मंत्रालय इस सम्बन्ध में कठोर और कड़ी कार्रवाई करे ताकि मजदूरों में असंतोष न फैले, क्योंकि जब असंतोष फैलता है तो काम अच्छा नहीं हो सकता है ।

आपने यह कहा है कि आपको ४५ लाख टन लोहे की आवश्यकता होगी । क्या आपने इस अनुमान में रेलवे की जो जरूरतें हैं उनको भी शामिल किया है । हमारे देश में अभी तो यातायात का प्रसार होना है और हमारे रेलवे की जो जरूरतें हैं उनके लिये जितने लोहे की आवश्यकता होती है वह बाहर से मंगाया जा रहा है । अगर आपने रेलवे की मांगों का ध्यान न रखा तो जो मार्ग हैं वह कुंठित हो जायेंगे और जो रेलवे का विस्तार हो रहा है वह रुक जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि रेलों को कितने लोहे की आवश्यकता होगी, क्या इसके बारे में भी गवर्नमेंट ने विचार किया है ? मैं यह भी चाहूंगा कि रेलवे की जो आवश्यकतायें हैं उनको पहले पूरा किया जाये और दूसरी आवश्यकताओं को बाद में ।

यह भी आज देखने में आया है कि एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंटस (कृषि के औजारों) के लिये हमें जिस लोहे की आवश्यकता होती है या मकान बनाने के लिये जिस लोहे की आवश्यकता होती है या बांध बनाने के लिये जिस लोहे की आवश्यकता होती है वह हमें ब्लेकमार्किट में से खरीदना पड़ता है.....

उपाध्यक्ष महोदय : आज लोहा देने के बजाय लोहा पैदा करने की बात चल रही है ।

श्री जांगड़े : मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी हिन्दी को दुरुस्त किया ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी हिन्दी को दुरुस्त नहीं किया, मैंने आपका ध्यान उस मजबून की तरफ खींचा है जिसकी चर्चा आज यहां हो रही है ।

श्री जांगड़े : तोमैं यह चाहूंगा कि भविष्य में किसानों को एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंटस के लिये कितने लोहे की आवश्यकता होगी क्या इसका अनुमान भी आपने लगा लिया है ? यदि आप हमें इस चीज को बता दें,तो हमें संतोष होगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारी जितनी भी आवश्यकतायें हैं वे सारी की सारी हम देश के भीतर ही पूरी करने के काबिल हो गये हैं ।

आज हम विदेशों से लोहा मंगा रहे हैं । आपने यह कहा है कि १९५८ में हम थोड़ासा उत्पादन करने लगेंगे और १९५९ में हमारे तीनों कारखाने अपनी पूरी शक्ति से उत्पादन करने लग जायेंगे । मैं यह समझता हूं कि १९५९ तक हमें जितने लोहे की आवश्यकता होगी उसे मंत्रालय बाहर से मंगा करके पूरी करेगा । मेरा ख्याल है यह जो मैंने कहा है यह ठीक है । यदि ऐसी बात है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या दूसरे देशों से भी हमारा मंत्रालय लोहा मंगाने को तैयार है सिवाय उनके जिनसे अब मंगाया जा रहा है जैसे जर्मनी से या अमरीका से या इंगलिस्तान से और क्या यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि और कोई देश भी कम कीमत पर लोहा हमें सप्लाई कर सकता है ? यदि इस चीज का स्पष्टीकरण भी मंत्री महोदय अपने उत्तर में कर दें, तो इससें हमें संतोष होगा ।

अब मैं जो स्थानीय लोग हैं जहां पर कि यह लोहे के कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि जो स्थानीय लोग हैं उनको इन कारखानों में काम करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये । अभी दास साहब ने कहा कि रूरकेला में उड़िया लोगों को ही ज्यादा से ज्यादा तादाद में काम मिलना चाहिये । इस चीज को मैं दुरुस्त मानता हूं । वहां पर बहुत गरीबी है और जो लोग हैं वे साथ ही साथ बहुत परिश्रमी भी हैं । तो मैं यह उचित ही समझता हूं कि उड़िया लोगों को पहले प्रधानता मिलनी चाहिये और यहां पर मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ी लोगों को प्रधानता दी जाये । मैं यह भी चाहता हूं कि दुर्गापुर में बंगाली लोगों को पहले नौकरी मिलनी चाहिये । अभी आपने कहा कि भिलाई में आप को ५०,००० मजदूरों की आवश्यकता होगी । यदि इन ५०,००० में से कम से कम ४०,००० मजदूर छत्तीसगढ़ के होते हैं तभी हमें संतोष हो सकता है । यदि आपने दस-बारह हजार छत्तीसगढ़ वाले रखे और बाकी बाहर वाले रखे तो परिणाम यह होगा कि छत्तीसगढ़ वाले, जिनकी जमीनें और मकान गये हैं, वे गरीब रह जायेंगे, और दूसरे लोग लाभ उठायेंगे । यदि ऐसा हुआ तो यह अच्छा नहीं होगा । इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप उन लोगों को केवल मजदूर बना कर ही न रखें, उनको यंत्री काम भी सिखाया जाये ताकि वे भी बड़ी नौकरियों पर जा सकें और बड़े-बड़े उद्योग धंधों में काम कर सकें । ऐसा न हो कि स्थानीय लोग तो केवल मजदूर और दास बने रहें और दूसरे लोग आकर कुर्सियों पर बैठें और अफसरी करें । यह चीज मैं पसन्द नहीं करूंगा ।

श्री सारंगधर दास (ढेंकानाल–पश्चिम कटक) : मुझे प्रसन्नता है कि यह नया मंत्रालय तीन नये इस्पात संयंत्र बना रहा है । इन मिलों के लिये विदेशों से मशीनरी और संयंत्र खरीदने के लिये व्यय की गई राशि का हम पूरा लाभ नहीं उठा रहे हैं । मेरा विचार है कि देश के अन्दर ही उन समवायों द्वारा, जिनसे हम मशीनरी आदि खरीदना चाहते हैं, इन मिलों के लिये आवश्यक मशीनरी और पुर्जों का निर्माण करने के संयंत्र स्थापित करवाने चाहियें । रूस ने अपने देश के औद्योगिककरण के लिये ऐसा ही किया कि जिस मशीनरी और संयंत्रों की उसे आवश्यकता थी, उसका निर्माण उसने

[श्री सारंगधर दास]

उस समवाय द्वारा जिस से वह मशीनरी खरीदना चाहता था, अपने देश में आरम्भ करवाया। प्रारम्भ में उन्हें कहीं-कहीं असफलता भी मिली, परन्तु अन्ततोगत्वा वे सफल रहे और अब वे अपनी आवश्यकताओं के लिये किसी देश पर निर्भर नहीं रहते। इसलिये हमारी सरकार को भी यही नीति अपनानी चाहिये, और हमारे सहयोग के साथ उन समवायों को, जिनसे हम मशीनरी खरीदना चाहते हैं, यहां संयंत्र स्थापित करके आवश्यक मशीनरी बनाने के लिये कहा जा सकता है।

१९३१–३२ से हमारे देश में चीनी के बहुत से मिल खुल गये हैं, परन्तु अभी तक एक भी ऐसा संयंत्र स्थापित नहीं हुआ है जो चीनी मिलों के लिये मशीनरी और संयंत्र बनाता हो। इसका दोष गैर-सरकारी क्षेत्र के पूंजीपतियों पर है क्योंकि वे मशीनरी बनाने वाले संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित नहीं करते। परन्तु सरकार को अवश्य यह कदम उठाना चाहिये।

कहा गया है कि तीनों मिल स्थापित हो जाने से ८० प्रतिशत इस्पात की चीजें देश में बनाई जायेंगी। मुझे इसमें कुछ सन्देह है; यदि यह ठीक है, तो यह अच्छा श्रीगणेश होगा।

इस्पात संयंत्र साधारणतया तीस वर्ष चलते हैं, और यदि उनकी अच्छी तरह सम्भाल की जाये, तो वे अधिक समय तक चल सकते हैं। इन मिलों को, जिन पर करोड़ों अरबों रुपया खर्च होगा, अच्छी स्थिति में रखना चाहिये। हमारे पास जो कर्मचारी थे वे इन मिलों में लग चुके हैं। इस-लिये इस मंत्रालय को चाहिये कि कर्मचारियों को देश में अधिकाधिक इंजीनीयरी की विभिन्न शाखाओं का प्रशिक्षण दिलाये और विशेष योग्यता प्राप्ति के लिये उन्हें विदेश भेजे। इसके साथ ही इंजीनियरी कालेजों में भी अधिक प्रबन्ध और व्यवस्था की जाये, तथा नवीन इंजीनियरी कालेज खोले जायें, ताकि वहां से लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर इन मिलों को अच्छी तरह चलाने के योग्य बन सकें।

रूरकेला और हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटिड के बारे में मैं कुछ कहूंगा। रूरकेला संयंत्र के लिये हमने सहयोग देने का वचन दिया था; परन्तु वहां भूमि अधिग्रहण की कठिनाई है। जिनकी भूमि ली जा रही है वे प्रतिकर मांगते हैं। यह ठीक है, क्योंकि वे लोग गरीब किसान हैं, उन्हें प्रतिकर मिलना ही चाहिये। कुछ लोगों को दस-पन्द्रह वर्ष तक भी प्रतिकर नहीं दिया गया, फिर कौन अपनी भूमि देने को तैयार होगा, जब तक कि उनको प्रतिकर न दिया जाये। इसलिये सरकार को चाहिये कि उन्हें भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार भूमि का मूल्य तथा १५ प्रतिशत अधिक, जिसका उस अधिनियम में उपबन्ध है, दे दिया जाये और फिर उड़ीसा सरकार को उनके लिये दूसरे स्थान का प्रबन्ध करना चाहिये या वह समवाय उनको काम पर लगा लें। परन्तु यह नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त कारोबार के बारे में-भी उड़ीसा के लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है, वहां इस्पात का अनुभव रखने वाला कोई भी योग्य इंजनीयर नहीं है, परन्तु वे लोग दूसरे कई काम कर सकते हैं, उदाहरणार्थ छोटे ठेके ले सकते हैं। परन्तु ठेके बम्बई और कलकत्ता के लोगों को दिये जाते हैं, तो फिर सलेम में उद्योग खोलने का क्या लाभ हुआ? स्थानीय लोगों की बेकारी दूर करने और उनको काम करने का अवसर देना अत्यन्त आवश्यक होता है। परन्तु मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं किया जाता। ठेके लेने के लिये उनके पास पर्याप्त धन नहीं है, इसलिये बड़े ठेकों को तोड़ कर छोटे ठेके स्थानीय लोगों को दिये जाने चाहियें।

मैंने श्री बंसल से सुना है कि ब्याज की दर बैंक दर से कुछ अधिक होगी। इस प्रकार की अनिश्चित बात संविदा में नहीं रखी जा सकती। फिर जब हमारे पास पौण्ड पावना है, तो उसका उपयोग न करके अधिक ब्याज दर पर ऋण लेने का कोई लाभ नहीं है।

मुझे आशा है मंत्रालय मेरे इन सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार करेगा।

†**श्री झुनझुनवाला** (भागलपुर मध्य) : तीन देशों से इस्पात बनाने के संयंत्र मंगवाने के लिये जितनी शीघ्रता से इस्पात मंत्री ने काम किया है, उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं ।

करार की वास्तविक शर्तों के लिये हम मंत्री महोदय पर निर्भर हैं । सिन्दरी उर्वरक फैक्टरी का हमें बहुत बुरा अनुभव है । उसके लिये अनेक व्यक्ति आये, और यह मालूम न हो सका कि कार्य-पूर्त्ति के लिये और किस-किस कार्य के लिये कौन उत्तरदायी है । यदि हमें इन संयंत्रों को स्थापित करने में कुछ अधिक देना पड़े, तो कोई बात नहीं है उत्पादन समय पर होना चाहिये ।

हमें मालूम नहीं कि जो सार्थ या व्यक्ति आये हैं उनके ठीक-ठीक काम क्या हैं ? हमें करार की शर्तों का भी पता नहीं और हमें नहीं मालूम कि वे हमें कैसी सहायता देंगे ?

यह कहा गया है कि उत्पादन १९५९ में आरम्भ होगा। माननीय मंत्री को चाहिये कि वह इस सम्बन्ध में स्थिति का स्पष्टीकरण कर दें ताकि बाद में वह न कह सकें कि यह सम्भव नहीं ।

तीन इस्पात संयंत्रों के लिये रूस, जर्मनी और इंग्लैंड से मशीनें आयेंगी । गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये भी यन्त्र आयेंगे । मुझे नहीं मालूम कि उन्हें लेने और यथा स्थान पहुंचाने के लिये हमने प्रबन्ध कर लिया है या नहीं । मुझे समझ में नहीं आता कि ब्याज की दर क्यों अनिश्चित रखी गई है ? इंग्लैंड में हमारा बहुतसा पौण्ड पावना है जिस पर कम ब्याज मिलता है । हमें उसे इस प्रयोजन के लिये लेना चाहिये । मेरे विचार में ब्याज की दर अभी निश्चित की जानी चाहिये । यह कहना कि वह उस समय के ब्याज की दर से कुछ अधिक होगा, ठीक नहीं है । न मालूम वह कितना बढ़ जाये और उस स्थिति में उसे इस उद्योग में लगाना लाभकर न हो । उत्पादन लागत निकालने के लिये ब्याज की दर जानना आवश्यक है । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इसका ध्यान रखेंगे कि इस्पात संयंत्रों में १९५९ तक उत्पादन होने लगे और उत्पादन व्यय आंकी गई राशि से अधिक न हो । पूंजी व्यय भी अधिक नहीं होना चाहिये, जैसा कि सिन्दरी आदि बड़ी परियोजनाओं में हो गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : निम्निलिखित कटौती प्रस्ताव लोहा और इस्पात मंत्रालय सम्बन्धी हैं, जिनके सम्बन्ध में सदस्यों ने प्रस्तुत किये जाने की सूचना दी है :

	कटौती प्रस्ताव संख्या
मांग संख्या ६६	११८१
मांग संख्या १३३	११६२

निम्न कटौतीप्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
६६	श्री एन० बी० चौधरी (घाटल)	दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र के स्थापित करने के लिये निष्कासित व्यक्तियों का पुनर्वास ।	१००
१३३	श्री बूवराघस्वामी (पैरम्बलूर)	तामिलनाड के वृद्धाचलम् तथा सलेम में पाये जाने वाले लोहे का उपयोग करने के लिये वृद्धाचलम् में इस्पात संयंत्र स्थापित करने में असफलता ।	१००

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उक्त कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

†**श्री बी० पी० नायर** (चिरयिन्कील) : लोहा और इस्पात मंत्रालय केवल लोहे और इस्पात के उत्पादन से सम्बन्ध रखता है । उस उद्योग के अन्य पहलू इस मंत्रालय में सम्मिलित नहीं किये गये हैं । क्या लोहा और इस्पात नियन्त्रक का कार्यालय इस मंत्रालय के अधीन आता है । प्रतिवेदन में इसका कोई उल्लेख नहीं है । मेरा विचार है कि लोहे और इस्पात का वितरण का कार्य भी इस मंत्रालय को अपने हाथ में ले लेना चाहिये ।

हमारे सामने ६० लाख टन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है । परन्तु देश की जनसंख्या देखते हुए यह परिणाम कुछ भी नहीं है। आज इस्पात का प्रति व्यक्ति उपयोग और उत्पादन क्या है ? हमारे देश में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास सुगमतापूर्वक हो सकता है । हमारे अयस्क में लोहे का अंश दुनिया भर में सबसे अधिक है तथा बहुत से स्थानों पर धातुकार्मिक कोयला और कोक बनाने का कोयला उन स्थानों के पास पाया जाता है, जहां लोहा अयस्क मिलता है । जापान की तरह हमें लोहे का आयात नहीं करना पड़ा । अमेरिका में इस उद्योग के लिये लोहे और कोयले की ढुलाई पर बहुत खर्च करना पड़ता है । सिंहभूम और मानभूम में लोहा और कोयला १००–२०० मील के आस-पास पाया जाता है तथा पास में ही मैंगनीज भी मिलता है ।

इस उद्योग के सम्बन्ध में दक्षिण भारत की उपेक्षा की गई है । मैं मानता हूं कि कोक बनाने के कोयले और धातुकार्मिक कोयले के अभाव में वहां पर जमशेदपुर और भिलाई जैसे बड़े संयंत्र स्थापित नहीं किये जा सकते, फिर भी दक्षिण में सस्ती बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है इसलिये वहां पर भी कुछ छोटे-छोटे कारखाने स्थापित किये जाने चाहियें। १८३५ में दक्षिण में दो स्थानों पर इस्पात बनाया जाता था । इसके लिये लकड़ी का कोयला काम में लाया जाता था । परन्तु अब यह स्थिति बदल गई है । वहां पर हम ऐसे कारखाने स्थापित कर सकते हैं, जिनमें टूटे-फूटे लोहे से चीजें बनाई जायें । भद्रावती परियोजना का कार्यक्रम बहुत सीमित है । हमें यह नहीं समझना चाहिये कि ६० लाख टन इस्पात बहुत अधिक होगा, क्योंकि इसके एक तिहाई भाग पर टाटा का नियन्त्रण रहेगा ।

६० लाख टन उत्पादन होने पर भी हमारे देश में इस्पात का प्रति व्यक्ति उत्पादन और उपभोग दोनों ही मेक्सिको, अर्जेन्टाइना अथवा चीन जैसे पिछड़े देशों की तुलना में भी कहीं कम होगा । संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से ज्ञात होता है कि भारत में इन देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति उपभोग आधे से भी कम है ।

मैंगनीज पर मंत्रालय का नियन्त्रण होना चाहिये । हमारे यहां विशेष प्रकार के इस्पात को तैयार करने की कोई योजना नहीं है । हम बढ़िया और कई किस्म का इस्पात अपने यहां बनाना चाहते हैं । अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसके लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है ? हमारे देश में वेनाडियम आक्साइड की कमी नहीं है वह बहुतसा बेकार पड़ा रहता है । इसके उपयोग करने के बारे में कोई संगठित योजना नहीं है ।

केवल १०० व्यक्तियों को जमशेदपुर में प्रशिक्षण देने से क्या होगा जब कि स्वयं मंत्री ने कहा है कि उन्हें १३०० प्रविधिज्ञों की आवश्यकता होगी । मेरी समझ में यह नहीं आता कि जब कि सरकार टाटा लोहा और इस्पात कारखाने को बड़ी उदार शर्तों पर रुपया देती है तो फिर इस कारखानें में और बर्नपुर में काफी संख्या में लोगों को प्रशिक्षित क्यों नहीं किया जाता जिससे नई परियोजनाओं को चलाने में आसानी हो सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : मैं उन सभी सदस्यों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं जिन्होंने इस नये मंत्रालय को और उसके सम्मुख जो योजनायें है उनके बारे में सहयोग दिया है।

सर्वप्रथम मैं मेरे पूर्ववक्ता द्वारा इस्पात के लिये योजना बनाने के सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्न को लूंगा। मैं बहुधा अपने मित्र श्री वी० पी० नायर से सहमत नहीं होता हूं किन्तु इस मामले में हम दोनों का एकमत है। वह और मैं दोनों ही ६० लाख टन इस्पात के पिण्डकों के लक्ष्य से असन्तुष्ट हैं। इतना तो मानना पड़ेगा कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह मांग से कहीं कम है क्योंकि बहुत नियंत्रित आधार पर चालू तिमाही में इस्पात की मांग लगभग ३६ लाख टन है। अतः मैं आशा करता हूं कि १९६१ तक तैयार इस्पात की मांग ४५ लाख टन से भी अधिक हो जायेगी, इसी कारण मैंने इस बात का प्रयत्न किया है कि तीनों संयंत्रों के उत्पादन में वृद्धि की जाये। इन तीनों संयंत्रों के सहयोगियों ने उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय और तरीके बताये हैं। अतः रूरकेला में कुछ कोक ओवेन बैटरीज और दो ओपेन हर्थ भट्टियों के बढ़ा देने से २,५०,००० टन के इस्पात के पिण्डक बनाने का उपबन्ध किया गया है। इसी प्रकार की कुछ वृद्धि कर देने से भिलाई और दुर्गापुर में भी प्रत्येक में लगभग, ३,००,००० टन इस्पात के पिण्डक तैयार किये जा सकेंगे।

दूसरी चीज, जिसका मुझे पता नहीं कि मैं आरम्भ में उल्लेख कर चुका हूं अथवा नहीं, वह है २५ लाख टन इस्पात पिण्डक तैयार करने वाले प्रत्येक संयन्त्र में जल सेवा, विद्युत तथा अन्य सभी सहायक सेवाओं का उपबन्ध किया गया है जिस से अन्तिम स्थिति में वे ७५ लाख टन इस्पात पिण्डकों का उत्पादन कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि यह मात्रा भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि पांच वर्षों के उपभोग के लिये लक्ष्य निर्धारित करने का कोई तुक नहीं है। मैं योजना आयोग और अपने साथियों के सम्मुख दस वर्ष का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रश्न रखने का विचार करता हूं जिस से आप अधिक स्वतन्त्रता-पूर्वक योजना बना सकें। कोई कुछ भी अनुमान लगाये किन्तु मेरा अनुमान यह है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक हमारी स्थिति ऐसी हो जानी चाहिये कि हम १५ लाख टन तैयार इस्पात और १८ लाख टन इस्पात पिण्डक बना सकें। यह हमारी इच्छा है जब कि हमारी क्षमता इससे कहीं कम हो सकती है किन्तु सभा से मुझे जो प्रोत्साहन मिला है उससे मेरा साहस इस बात से और अधिक बढ़ गया है कि इस समय और दस वर्ष बाद देश किस अवस्था पर होगा इस बारे में मेरे विचारों से सदस्य सहमत हो गये हैं।

अब इन करारों को लोक-सभा पटल पर रखने का प्रश्न आता है। मैं यथा शीघ्र सभा को इसके बारे में बताना चाहूंगा। शीघ्र ही मैं सोवियत रूस सरकार से किये गये अन्तिम करार को लोक-सभा पटल पर रख सकूंगा। जहां तक ब्रिटिश सन्यन्त्र का सम्बन्ध है, हमें कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि अभी तक हम केवल करार की मुख्य-मुख्य बातों पर ही सहमत हो पाये हैं। अभी विस्तृत बातें तय होनी हैं और जब तक वे तय नहीं हो जातीं तब तक न तो यह राज्य के हित में होगा और न जनता के ही।

परामर्शदाताओं के साथ किये गये करार को सभा-पटल पर न रखने के लिये क्षमा चाहता हूं और यदि आप अनुमति दें तो मैं परामर्शदाताओं से किये गये दो करार सभा-पटल पर रख दूं।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एस० — १३१/५६]

परामर्शदाताओं के करार के बारे में मुझे यह कहना है कि जब मेरे माननीय मित्र श्री अशोक मेहता बोल रहे थे तब मैंने अन्तर्बाधा की थी। उसमें मुझ से एक गलती हो गई थी, जिसे क्षमा किया जाये। सामान्य सम्मति के लिये हम परामर्शदाताओं को ६ वर्ष में ४००,००० पौण्ड अर्थात् लगभग

†मूल अंग्रेजी में

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

५३ लाख रुपये से कुछ अधिक या लगभग ९ करोड़ ६ लाख रुपये प्रतिवर्ष शुल्क के रूप में देते हैं। इस गलती के लिये मुझे खेद है और मैं आशा करता हूं कि सभा मुझे क्षमा कर देगी।

प्रारम्भ में मैं समझता था कि मंत्रालय के साथ एक परामर्शदात्री सार्थ संलग्न की जाये जो ठीक सलाह दे सके। मुझे पता नहीं था कि मैं अपने लिये कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा हूं। मेरे मित्र श्री बंसल जो वाण्डुंग से आये हैं और जिन्हें बाली की हूरें दिखती हैं उन्होंने उदारता दिखाने के बजाय.....

†**श्री कामत** : लोहे की हूरें अथवा जीवित।

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : उन्हें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। पर यह ठीक है कि उन्होंने गुस्सा अब उतार दिया है क्योंकि यदि वे अभी गुस्सा ना उतारते तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की मांगों पर गुस्सा उतारते।

उन्होंने पूछा कि क्या इस परामर्शदात्री सार्थ का सम्बन्ध बड़ी फर्मों के गुटों से है। उन से कोई सम्बन्ध नहीं है। जो लोग अन्तर्राष्ट्रीय निर्माण समवाय लिमिटेड का नियन्त्रण करते हैं उनका इस्पात की बड़ी फर्मों के साथ, जिन से हम ने करार किया है, कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके लिये समवाय अधिनियम की धारा (६) में दी गई 'सम्बन्धी' की परिभाषा लागू की जा सकती है।

इस सार्थ की अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति है। यह एक व्यक्ति द्वारा नहीं चलाई जाती। यद्यपि इसका मुख्य व्यवस्थापक एक स्वीडन का आदमी है जो इस्पात सम्बन्धी मामलों में बहुत जानकारी रखता है और जिसका लाभ इस सार्थ को मिलता है। मैं समझता हूं कि ऐसे प्रसिद्ध सार्थ की सेवायें प्राप्त करने में मैं बड़ा भाग्यशाली हूं विशेषकर जब कि उसके प्रमुख व्यवस्थापक श्री बेंगस्टन जैसे ईमानदार व्यक्ति हैं। इस कार्य के बारे में मैं अपनी और अपने मंत्रालय की जांच कराने के लिये तैयार हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम निर्दोष पाये जायेंगे। यह तो श्री बंसल का उत्तर हो गया।

करार की शर्तें बहुत अच्छी हैं। रूरकेला, भिलाई में परामर्श देने वालों को दी जाने वाली राशि की तुलना में अंग्रेजी इस्पात संयन्त्र के बारे में परामर्श देने वालों को दी गई राशि हमारे अनुकूल है। जो सेवायें परामर्शदाता ने की हैं उसकी तुलना में हम उसे कुछ नहीं दे रहे हैं।

रूसी इस्पात प्रतिनिधि मडल का प्रतिवेदन ३५ खण्डों में है और दो खण्डों को छोड़ शेष में आंकड़े और डिजाइनें हैं। उन्हें समझना कठिन है। इस सार्थ ने उन सब को पढ़ा और उसने न केवल हमें सलाह ही दी अपितु रूसियों से चर्चा करते समय वे व्यक्ति यहां रहे और अन्त तक हमें सहायता दी।

इस सम्बन्ध में मैं बता दूं कि हमने ये तीन ठेके किस प्रकार किये। हमने जानबूझ कर तीन सन्यन्त्रों के लिये तीन विभिन्न सूत्रों से बातचीत नहीं की। यह आकस्मिक बात थी कि सब ठेकों पर चर्चा लगभग एक ही साथ समाप्त हुई। सरकार हमारे पदाधिकारियों और सचिवालय को, जो इस बारे में विशेष ज्ञान नहीं रखते, उत्पादन व्यय और उत्पादन लागत की तुलना करने का अवसर मिला और उनके गुण–दोषों को देखकर यह सन्तोष हुआ कि हम ठगे नहीं जा रहे हैं। इस बारे में अन्तर्राष्ट्रीय निर्माण समवाय की सेवायें अमूल्य सिद्ध हुईं। उनके सद्भाव पर कोई आक्षेप लगाने के स्थान पर मुझे उन्हें धन्यवाद देना चाहिये कि उन्होंने लागत उत्पादन के तरीके का तुलनात्मक विवरण देकर तथा ठीक सलाह देकर इस निर्णय पर पहुंचने में हमारी सहायता की और मंत्रालय और देश का बहुतसा रुपया बचाया।

श्री अशोक मेहता ने जो कुछ कहा उसके लिये मैं बड़ा कृतज्ञ हूं। हम उससे सहमत न हों, हमारे

---

†मूल अंग्रेजी में

सुझाव सरकारी नीति के विरुद्ध भले ही जायें किन्तु जिस भावना से वह सलाह दी गई है उसी भावना में मैं उसे स्वीकार करता हूं और समझता हूं कि उन्होंने मूल्यवान सलाह दी ।

उनका यह बताना ठीक था कि हमारा ऐसे काल में होना गौरव की बात है जब हमारा जैसा पिछड़ा देश स्वयं तीन इस्पात सन्यन्त्र स्थापित कर सका है जिस से दो गैर-सरकारी सन्यन्त्रों द्वारा उत्पादित लोहे से अधिक लोहा उत्पादित किया जा सके और उत्पादन १२ लाख टन से बढ़ाकर ४५ लाख टन किया जा सके तथा इसे बढ़ाने की क्षमता भी रखे । मुझे गर्व है कि सरकार इस काम को करने के लिये सर्वप्रथम आगे बढ़ी है । यही सन्तोष हमारे लिये पर्याप्त है ।

दूसरी बात जो उन्होंने इस्पात उत्पादन की कालावधि के बारे में कही वह बड़ी रोचक और मूल्यवान है । हम वह समय तेरह-चौदह या जैसी भी अवस्था हो, कम करना चाहते हैं । इस काल को हम दस वर्ष करना चाहते हैं और इसीलिये मैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में १८ लाख टन इस्पात पिण्डक का लक्ष्य निर्धारित करना चाहता हूं जिस से हम १८ लाख टन इस्पात बनाने की तत्काल योजना बना सकें । जिसका तात्पर्य यह होगा कि सारे इस्पात का उपयोग किया जाना और इस्पात के उत्पादन के लिये सहायक पदार्थों तथा यथा सम्भव अधिकाधिक मशीनरी बनाने की योजना के बारे में व्यवस्था की जा सके । इसका मतलब यह होगा कि अत्यधिक काम हो सकेगा और औद्योगीकरण में हम आगे बढ़ सकेंगे ।

मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने यह बताया कि जो व्यक्ति सरकार की आलोचना करना चाहता है उसकी दृष्टि से यह कैसा होगा। इसके लिये मैं और सभा दोनों उनके प्रति कृतज्ञ होंगे कि उन्होंने इस्पात के इस जोखिमपूर्ण कार्य की ओर दृष्टिपात तो किया है ।

उन्होंने यह भी पूछा था कि रूरकेला परियोजना को केवल ५ लाख टन इस्पात से क्यों चलाया गया किन्तु मेरे माननीय मित्र श्री बंसल ने कहा कि वह जानते हैं कि मैं आलोचक हूं । मैं केवल अपनी सरकार की ही नहीं अपितु अपने कार्यों की भी आलोचना किया करता हूं क्योंकि जिस गति से हम प्रगति कर रहे हैं, मैं उससे सन्तुष्ट नहीं हूं । यदि मैं इस प्रगति से असन्तुष्ट न रहूं तो उसमें वृद्धि नहीं कर सकूंगा । अतः यदि मेरे माननीय मित्र यह समझते हैं कि मैं इसलिये सन्तुष्ट नहीं हूं कि केवल ५००,००० टन से इस्पात संयन्त्र को क्यों खोला गया तो वह ठीक समझते हैं किन्तु मुझे स्मरण नहीं कि मैंने उन्हें इससे कुछ और अधिक बताया है ।

श्री अशोक मेहता ने यह बात उठाई थी कि हमने इसे पांच लाख टन से क्यों आरम्भ किया और क्यों तत्पश्चात् आगे बढ़ाया । जी हां, यह सत्य है । मैं यह कह सकता हूं कि अवसर निकलने के बाद विवेकशील होना और यह कहना सुगम है कि यदि हम ने इसकी योजना बनाई होती तो जो कार्य हम कर रहे हैं और १९५२ से चार वर्षों में किया है, उसे बहुत आगे बढ़ा सकते। बात यह नहीं कि हम इसे जानते नहीं थे । हम में से कुछ बहुत समय से यहां हैं । मेरे माननीय मित्र श्री मोहन लाल सक्सेना, यद्यपि मुझ से प्रायः कुछ क्रुद्ध रहते हैं, माननीय मित्र ठाकुर दास भार्गव, श्री संथानम, श्री अनन्तश्यनम अय्यंगार १९४८ में इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण की बात करते थे । हम १९४९ में बीमे के अधिक नियन्त्रण की बात कहा करते थे । १९४९ में हम इस्पात परियोजनाओं के सम्बन्ध में कहा करते थे । तो बात यह नहीं कि हमें यह विदित नहीं था या हम यह चाहते नहीं थे । परन्तु इस बीच में कुछ बाधायें आईं और अन्य घटनाओं के संयोग के कारण ये कार्य स्थगित करने पड़े । हमारे समक्ष शरणार्थी समस्या थी, स्फीति का भयानक प्रकोप था और अन्य बहुत-सी समस्यायें थीं । जब हम १९५२ में भी यहां एकत्र हुए तो हम अपनी योजनायें आरम्भ न कर सके । हमें आत्म-निर्भर होने में लगभग दो वर्ष लग गये ।

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

मैं इस बात से सहमत हूं कि ऐसी बातों से छुटकारा पाया जा सकता है और भविष्य में इन से बचना चाहिये । परन्तु खेद है कि बीती बात पर पछताने से कोई लाभ नहीं । श्री अशोक मेहता द्वारा यह पूछा जाना सर्वथा उचित है कि हम ने इन वर्षों में क्या किया है, क्यों कि यह भी एक तर्क है और उन्हें सरकार के विरुद्ध कोई तर्क चाहिये । उनका यह तर्क प्रस्तुत करना उचित ही है । परन्तु जहां तक हम लोगों का सम्बन्ध है जो पहले से यहां काम कर रहे हैं, हमें इस तथ्य का निश्चित ध्यान था कि ये सब कार्य करने हैं । परन्तु वे नहीं किये गये इसका कारण यह नहीं था कि हम इतने सशक्त नहीं थे कि हम सरकार पर प्रभाव डाल कर उस से यह करवाते, वरन् कारण यह था कि संयोगवश ऐसी परिस्थितियां हो गईं जिन के परिणामस्वरूप सरकार अग्रसर न हो सकी ।

मैं श्री मोहन लाल सक्सेना को यह याद दिलाना चाहता हूं कि श्री एम० अनन्तश्यनम अय्यंगार और मैंने १९४८ में इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के लिये उस समय के वित्त मंत्री से एक अल्प-सूचना प्रश्न पूछा था, और हमें आवश्वासन दिया गया था कि इसके लिये कार्यवाही की जायेगी । १९५५ में यह कर दिया गया । देरी का स्पष्टीकरण है ।

श्री अशोक मेहता ने हमें निश्चित योजना की आवश्यकता बताई । मैं प्रयत्न कर रहा हूं और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे उनकी सहायता प्राप्त है। उन्होंने दूसरी जिस बात का उल्लेख किया वह इस्पात उद्योग में सरकारी और गैर-सरकारी उद्योग के सम्बन्ध में है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है दोनों में हानियां भी हैं और लाभ भी । परन्तु इस्पात पर एकीकृत नियन्त्रण के प्रश्न पर उस समय जोर दिया जा सकता है जब ये तीन इस्पात संयन्त्र उत्पादन आरम्भ कर दें । सम्भवतः तभी इस में कुछ सार होगा । क्योंकि सम्भवतः उस समय हम एक इस्पात मंत्रालय बनायें जो सरकारी और गैर-सरकारी दोनों उद्योगों का नियन्त्रण करे, इस्पात का नियन्त्रण, वितरण और इस प्रकार का सब कार्य किया जा सकता है । परन्तु जब तक हम वस्तुतः इस्पात का उत्पादन नहीं करते इन सब कठिनाइयों का अनुमान लगाने का लाभ नहीं ।

कोयले के सम्बन्ध में अशोक मेहता ने जो बात उठाई है उसका उत्तर मेरे सहयोगी उत्पादन मंत्री देंगे । परन्तु मुझे पूर्णतः विश्वास है कि वे भी इस बात से सहमत होंगे कि हमें कोयला का उत्पादन बढ़ाना चाहिये और उसे निकालने के आधुनिक तरीके अपनाने चाहियें । कोयला के उपयोग का भी आयोजित ढंग होना चाहिये । यहां इन तीन इस्पात सन्यन्त्रों में भी हम कोयले को मिश्रित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम कुछ मात्रा में वह कोयला प्रयोग करते हैं जिस का कोक नहीं बनाया जा सकता और कुछ वोलेटाइल कोयला प्रयोग करते हैं ताकि हम अपना सारा धातु कार्मिक कोयला समाप्त न कर दें । यह प्रयत्न यहां भी किया जा रहा है ताकि हमारा रक्षित कोयला अधिकाधिक चल सके । मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे माननीय सहयोगी कोयला उद्योग के अभिनवीकरण के प्रश्न को शीघ्र हाथ में लेंगे । तो भी हम सरकारी उद्योग में तो अवश्य ही अभिनवीकरण करेंगे ।

उन्होंने एक और बात उठाई थी जो बहुत रोचक है, यद्यपि इस समय वह सैद्धांतिक है । वह है उद्योगों का उत्तरोत्तर एकीकरण करने का प्रश्न । उन्होंने अमरीका के एकीकरण या उदग्र संयोग का उदाहरण दिया जिस में एक कारखाना चाहे सरकारी उद्योग क्षेत्र का हो और चाहे गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र का एकीकृत उत्पादन करता है । यदि उनका ऐसा मत है तो यह मत-वैभिन्य की बात है कि वे समझते हैं कि सरकारी एकाधिकार भी नहीं होना चाहिये। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकारी एकाधिकार पर इस सभा का नियन्त्रण है और मतदान का इस सभा पर नियन्त्रण है। यदि एकाधिकार का दुरुपयोग किया गया तो मतदाता विरोध प्रकट कर सकते हैं ।

परन्तु मिश्रित अर्थ-व्यवस्था पर जो बल दिया जा रहा है यह इनकी ओर से नई बात है । जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं सब विचारों के प्रति उदार हूं । मैं किसी विशेष के विरुद्ध नहीं हूं क्योंकि

आजकल जो सरकार का मंत्री हो वह विचारधाराओं में नहीं उलझ सकता। मैं अवश्य सम्बन्धित प्राधिकारियों को श्री अशोक मेहता का यह मत बताऊंगा।

मेरे पास अधिक समय नहीं परन्तु मैं अपने माननीय मित्र श्री बंसल की उपेक्षा नहीं कर सकता। श्री बंसल ने एक खुली चर्चा आरम्भ की। उसमें किसी पर आक्षेप नहीं था परन्तु वह हवा में गोली चलाने के सदृश प्रभावहीन प्रयत्न था। और वे कोई अन्तिम लक्ष्य चाहते थे ताकि उनकी खुली चर्चा किसी लक्ष्य पर पहुंच सके। उन्हें कोई लक्ष्य नहीं मिला अतः ब्रिटेन के प्रतिनिधि मंडलों की बात उठाना अधिक सुगम समझा। वे सरकार के भूतपूर्व पदाधिकारी हैं। वे यहां आये हैं और निश्चय ही भारत को हानि पहुंचाने की हीन भावना से आये होंगे और कोई काम साधना चाहते होंगे। मैंने इसका विरोध किया क्योंकि यह मेरा कर्त्तव्य था। मैं इस निन्दा का फिर विरोध करता हूं, यह ऐसी निन्दा है जिस में कुछ भी सचाई नहीं।

सर एरिक कोट्स कोलम्बो योजना के अधीन तथ्य अन्वेषण समिति क साथ आये थे। उनकी इस्पात में कोई रुचि नहीं। वस्तुतः वे इतने निरपेक्ष थे कि वे इस सहयोग में सेवा करने के लिये भी तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि "मैंने अपना कर्त्तव्य कर दिया है। मैंने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को दे दिया है और मुझे इसके व्यवसायिक पहलू में अभिरुचि नहीं है।" मैं सर एरिक को जब वे यहां थे भली प्रकार नहीं जानता था। मुझे उन से मिलकर प्रसन्नता ही हुई। जिस प्रणाली में उन्होंने प्रतिवेदन तैयार किया वह विशेषतः योग्यतापूर्ण है और उसमें दीखता है कि उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन किया है। मैं समझता हूं कि यदि मैं माननीय मित्र श्री बंसल की बात का विरोध न करूं तो मैं सर एरिक के प्रति न्याय नहीं करूंगा, क्योंकि उस आक्षेप में कुछ भी सच्चाई नहीं है।

सर सिरिल जोन्स के सम्बन्ध में यह कह दूं कि संघ को एक सभापति की आवश्यकता थी। वे सभापति बने। वे पहले भी भारत में रह चुके हैं इसका इससे क्या सम्बन्ध है मैं नहीं समझ सकता। यदि श्री बंसल समझते हैं कि सर सिरिल जोन्स यहां आकर हमारी आंखों में धूल झोंक सकते थे और मैं किसी दल से ऐसा करार कर सकता था जो भारत के सर्वथा विरुद्ध हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि उनका मुझ जैसे क्षुद्र व्यक्ति में विश्वास नहीं है और उन्हें अपने देशवासियों और सरकार में भी विश्वास नहीं है।

†**श्री बंसल** : मैं नहीं समझता कि मेरी बात का उनके प्रति विश्वास से कोई सम्बन्ध है। मेरे विचार में वे अनावश्यक खींच तान कर रहे हैं।

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : अभी आप को बांडुग का वातावरण याद करना चाहिये।

कठिनाई तो यह है कि श्री बंसल हमारे सक्षम आलोचकों में से हैं। परन्तु विदेश यात्रा कभी-कभी लोगों को विषय से हटा देती है और वे पूछने लगते हैं कि इन सन्यन्त्रों के प्रबन्धकों का क्या काम है। क्या वे परामर्श देने वाले इंजीनियरों के अधीन काम करेंगे ? वे उनके नीचे नहीं अपितु मेरे नीचे काम करेंगे। जो व्यक्ति वे काम पर लगायेंगे वे भी हमारे नीचे काम करेंगे। यदि उन्हें दी गई स्वतन्त्रता का उपयोग वे किसी दूसरे के लाभ के लिये करेंगे तो वे निकाल दिये जायेंगे। श्री बंसल बड़े योग्य विद्धान व्यक्ति हैं, संसद् के सदस्य हैं और भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल के फेडरेशन के महा सचिव हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि वे प्रबन्धकों के कार्य के बारे में क्यों पूछते हैं। यदि प्रबन्धक ठीक तरह से कार्य नहीं करेंगे तो उन्हें निकाल दिया जायगा। जो लोग आदेशों का पालन नहीं करते उन्हें निकालने में मुझे कोई हिचक नहीं होती।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

अगला प्रश्न ब्याज की दर के बारे में उठाया गया है। यह कहा गया है कि जब हमारे पास पौण्ड पावना है, जिस के ऊपर हमें कम ब्याज मिलता है, तो हम बैंक दर से १ प्रतिशत अधिक ब्याज देने के लिये क्यों सहमत हो गये। पौंड पावने पर हमें कम ब्याज की दर नहीं मिलती, काफी अच्छी ब्याज की दर मिलती है, जो लगाई राशि के अनुसार ३·५ और ४ प्रतिशत के बीच होती है। न मैं और न वित्त मंत्री इतने बुद्धिहीन हैं कि ऐसा करें। हमें मालूम है कि बैंक दर से एक प्रतिशत अधिक देने से हम उस ब्याज से अधिक देंगे जो हमें पौण्ड पावने से मिलता है। हमें मालूम है कि हमारे पास पौण्ड पावना है। हमें यह भी मालूम है कि यदि इंग्लैंड में बैंक की दर ५·५ प्रतिशत से घटकर ४·५ अथवा ३·५ प्रतिशत भी हो जाये तो हमें अपने पौंड पावने पर उस राशि से कम राशि मिलेगी जो हम दे रहे हैं। हमने यह करार केवल इसलिये किया है कि हम समझते हैं कि जब हमें धन की आवश्यकता होगी तो पौण्ड पावने के रूप में हमारे पास पर्याप्त रक्षित धन नहीं होगा। इसीलिये हमने यह करार किया। उसमें से १९५८ तक अग्रिम धन नहीं आयेगा। १९५८ तक हम अपने पौंड पावने का बहुत सा हिस्सा खर्च कर देंगे। हमारी योजना के लिये एक हजार करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की कमी है। यह कहां से आयेगा। कुछ हिस्सा पौण्ड पावने से लेना पड़ेगा। जब एक हज़ार करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की कमी हो तब हम योजना बनाकर यह नहीं कह सकते कि पौण्ड पावना है इसलिये दूसरा कोई उपबन्ध नहीं करना चाहिये। उन से हमें केवल २५५ लाख मिल रहे हैं और शेष हम पौण्ड पावने से दे रहे हैं। इससे प्रतिवर्ष एक करोड़ की बचत हुई है और अन्यत्र दस लाख पौण्ड की बचत हुई है। हम केवल यह चाहते हैं कि उस एक हज़ार करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाया न जाये। यह कार्य अर्थात् योजना काल में विदेशी मुद्रा की कमी को पूरा करने के लिये द्रव्य प्राप्त करना भारतीय क्षमता से परे है। मैं समझ नहीं सका जब श्री बंसल जैसे योग्य आलोचक ने कहा कि पौण्ड पावने के बारे में गलत बात की जा रही है। हम जानते हैं कि पौण्ड पावना है किन्तु वह विशेष प्रयोजन के लिये है और हमें कुछ रुपया चाहिये इसीलिये हमने ऐसा किया है। ब्याज की दर निश्चित करने का सब से न्याय्य और उचित तरीका वही है जिसे हमने अपनाया है। हमने उसका बैंक दर से सम्बन्ध कर दिया है। यदि दर कम हो जायगी तो हमें लाभ होगा। यदि वह कम नहीं हुई तो हम सम्भवतया सारी राशि न लेकर केवल कुछ भाग ही लेंगे। हम इस बात में स्वतन्त्र हैं। ब्रिटिश सरकार से १५० लाख पौण्ड लेना आवश्यक नहीं है जिस दर पर उन्हें राशि मिलेगी इसके अनुसार वे तुम्हें देंगे। वे नहीं कहते कि हमें लेना पड़ेगा। हमें यह उपबन्ध करना पड़ा है क्योंकि योजना कालावधि में विदेशी मुद्रा की १ हजार करोड़ रुपये की कमी है। मेरे मित्र ने प्रशिक्षण के बारे में सन्तुष्टि की बात कही है। किसी ने कहा कि हम जमशेदपुर में केवल १०० व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं मैं इससे सन्तुष्ट नहीं हूं। कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिये हम सब आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं जितनी प्रशिक्षण योजनाओं को हम आरम्भ कर सकते हैं उन्हें हमने आरम्भ किया है। शायद जमशेदपुर में हमें इन १०० व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति प्रशिक्षित करने पड़ेंगे इसके लिये हमने उपबन्ध किया है। इस में वृद्धि करनी ही पड़ेगी।

श्री जांगड़े और उड़ीसा के दो सदस्यों ने प्रतिकर की बात कही है। हमने उड़ीसा सरकार को अब तक २० लाख रुपये दिये हैं तथा अधिक राशि देने के लिये तैयार हैं। प्रतिकर की राशि लगभग ९० लाख होगी। रुपया उपलब्ध है परन्तु मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने कितनी राशि दे दी है। भिलाई में लगभग ६९ लाख रुपये का प्रतिकर दिया जायगा। वे अभी तक ३३ लाख दे चुके हैं।

†**श्री जांगड़े** : प्रतिकर की दर क्या होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : उन्हें भूमि अर्जन अधिनियम का ज्ञान है वे दर जानते हैं। मुझ से पूछने का क्या लाभ ? वह भूमि अर्जन की दरों के अनुसार दिया जायगा। ईंट और टाइल के बारे में भी कुछ कहा गया है। विशेष किस्म की ईंटों का प्रयोग किया जाता है। देशी ईंटें काम में नहीं लाई जाती। भिलई से मुझे एक पत्र मिला है जिस में कहा गया है कि देशी ईंटों और टाइलों का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता। आधुनिक इस्पात संयन्त्र का मजबूत होना आवश्यक है और उसकी छत के लिये महंगे टाइल्स आवश्यक होते हैं। आधुनिक भवन का आधुनिक होना आवश्यक है। यदि उड़ीसा के लोग ईंटें पकाना नहीं जानते तो बम्बई का ठेकेदार आयेगा ही। रूरकेला में ११८२ नियमित कर्मचारियों में से ५१७ उड़िये हैं। काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये ५६२ कर्मचारियों में से ४०२ उड़िये हैं। और शेष ठेके पर रखे गये हैं। किसी ने कहा कि ठेकेदारों को नहीं रखना चाहिये। यदि समस्त उपलब्ध साधनों का उपयोग नहीं किया जायेगा तो १९५९ तक संयन्त्र स्थापित नहीं होगा। यदि सब को विभागीय रूप से रखा जाय तो काम १९६५ तक खतम होगा। यदि सदस्य चाहें तो ऐसा किया जा सकता है, अन्यथा शीघ्रता के लिये समस्त उपलब्ध साधनों का उपयोग करना पड़ेगा।

†**श्री जांगड़े** : ठेकेदारों की चालाकियों को रोकना चाहिये।

†**श्री टी० टी० कृष्णमाचारी** : इसके लिये स्थानीय सरकार से कहिए।

मैं अब सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। वाद-विवाद के उत्तर में मुझे बस यही कहना था। सदस्यों द्वारा दिये गये सामान्य समर्थन के लिये मैं कृतज्ञ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये और वे अस्वीकृत हुये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के चौथे स्तम्भ में दी गई राशियों में से अनधिक राशियां उसके दूसरे स्तम्भ में दिये गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान में व्ययों के भुगतान के लिये आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिये राष्ट्रपति को दी जायें।"

मांग संख्या ६६ और १३३

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(जो अनुदानों की मांगों सभा द्वारा स्वीकृत हुई वे नीचे दी जाती हैं—सम्पादक)

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
६६	लोहा और इस्पात मंत्रालय	८,९१,०००
१३३	लोहा और इस्पात मंत्रालय का पूंजी व्यय	३९,०९,५०,०००

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांग संख्या १, २, ३, ४ और ११३ पर चर्चा आरम्भ करेगी। इसके लिये ६ घंटे नियत किये गये हैं। माननीय सदस्य जो चुने हुए कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें उनकी संख्यायें पटल पर १५ मिनट में दे दें। भाषणों की समय सीमा १५ मिनट होगी। आवश्यकता पड़ने पर वर्गों के नेताओं को २० मिनट दिये जायेंगे।

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय]

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
१	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ...	३२,८१,०००
२	उद्योग	११,९०,०२,०००
३	वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े	६,३३६,०००
४	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	१,५०,३८,०००
११३	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२१,५३,९९०००

†**श्री ए० एम० थामस** (ऐरणाकुलम) : विभिन्न मंत्रालय द्वारा किये जाने वाले कार्यों में जो प्रगति हुई है उसके लिये मंत्रालय गर्व कर सकता है । अभी जो वाद-विवाद हुआ है उससे हमें आशा है कि देश का औद्योगिक विकास होगा । मैं चाहूंगा कि इस समय वाणिज्य मंत्रालय द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिये गये विवरणों को दृष्टि में रखकर वह औद्योगिक नीति बताये जिसका सरकार पालन करना चाहती है । १९४८ की औद्योगिक नीति का पुनर्विलोकन करने के बारे में समाचार पत्रों में कुछ बातें प्रकाशित की गई हैं परन्तु सभा को इसके बारे में नहीं बताया गया है । यह कहा जाता है कि समाज के समाजवादी ढांचे को ध्यान में रख कर उस नीति में परिवर्तन करना आवश्यक है । मैं पहले कह चुका हूं कि उत्पादन मंत्रालय को एक योजना बनानी चाहिये जिसमें स्पष्ट किया जाय कि सरकार कौन-कौन से उद्योग अपने हाथों में लेगी और वे कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे । यही सलाह मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को दूंगा । इससे हमें मंत्रालय के औद्योगिक कार्यक्रम का स्पष्ट ज्ञान हो जायेगा । इससे रोजगार देने की क्षमता बढ़ाने के लिये निर्धारित लक्ष्य बढ़ाने में भी सहायता हो सकेगी ।

ऐसा कार्यक्रम बनाने के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम बनाया गया है । इसके सामने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप से मुझे पता चला है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के बारे में बड़ा कार्यक्रम है परन्तु इस निगम का प्रतिवेदन देखकर मुझे निराशा हुई है । इसका उद्देश्य तो सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों का संतुलित और एकीकृत विकास करना है । यह सरकार की पूर्व अनुमति से भी औद्योगिक उत्पादन के लियें परियोजनायें बना सकेगी और कार्यान्वित भी कर सकेगी । इसने जो परियोजनायें बनाई उनकी जांच करने और उन्हें स्वीकार करने में सरकार ने एक वर्ष लगा दिया । इस प्रकार का विलम्ब अच्छा नहीं है ।

१९४८ के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार मोटर गाड़ी और सीमेंट आदि उद्योगों पर केन्द्र का विनियमन तथा नियंत्रण है । यद्यपि मोटर गाड़ी उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार हुआ है फिर भी मूल्य बहुत अधिक है । यह कहा जाता है कि मांग अधिक है पर मैं सोचता हूं कि उस मांग से मंत्रालय भी सन्तुष्ट नहीं है । यातायात की आवश्यकता रेल पूरी नहीं कर सकेगी । अतएव केन्द्रीय सरकार की सड़क यातायात नीति के बारे में इस उद्योग को बहुत अंशदान देना पड़ेगा ।

प्रतिवेदन में 'हिन्दुस्तान लैंडमास्टर' का विशेष उल्लेख किया है । इसके इंजिन की खराबी आदि के बारे में मंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है । कहा जाता है कि नया माडल अच्छा है । पहले कहा जाता था कि नयी 'हिन्दुस्तान लैंडमास्टर' खरीदने के स्थान पर दूसरी पुरानी गाड़ी खरीदना अच्छा है । हम जानना चाहेंगे कि 'लैंडमास्टर' का स्तर घटिया क्यों है ? आत्म-निर्भर होने की शीघ्रता

†मूल अंग्रेजी में

में देशी पुर्जे लगाने के कारण ही क्या ऐसा हुआ है अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में इसका उत्पादन होने के कारण ऐसा हुआ है ?

दो दिन पहले इस सभा में सीमेंट के बारे में चिंता प्रकट की गई थी। मंत्री ने कहा था कि नयी मिलें स्थापित करने के बारे में मंजूरी नहीं रोकी जा रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाते समय हमने अपनी आवश्यकताओं का अनुमान कम लगाया था। श्री नायर ने बताया कि इस्पात के उत्पादन के हमारे लक्ष्य के बारे में हमें भविष्य के लिये योजना बनानी चाहिये। सीमेंट जैसे आवश्यक उद्योगों के बारे में भी ऐसा ही करना चाहिये।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये १०० लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जो बढ़ाकर १२० लाख टन कर दिया गया है। मेरा सुझाव है कि इसे १५० से २०० लाख टन कर देना चाहिये और इसके बारे में मंत्रालय को कार्यक्रम बनाना चाहिये।

आजकल सीमेंट की कमी है पर चोर-बाजार में काफी मिलता है। हमें इसका आयात करना चाहिये यद्यपि उसके लिये कुछ अधिक मूल्य देना पड़ेगा। इससे सीमेंट में चोर बाजारी समाप्त हो जायेगी। सीमेंट के आयात को भी राज्य व्यापार निगम के अधीन लिया जाना चाहिये।

प्रतिवेदन से पता चलता है कि कपड़े की खपत पर्याप्त सन्तोषजनक थी। पिछले महीनों में मांग, पूर्ति से बढ़ गई थी। कपड़े की कमी को दूर करने के लिये हमें पहले से योजना बनानी चाहिये और ग्रामोद्योग क्षेत्र तथा मिल क्षेत्र के लिये मात्रा नियत कर देनी चाहिये।

छोटे पैमाने के उद्योग सन्तोषप्रद रीति से काम नहीं कर रहे हैं। देश के विकास के लिये केवल भारी और आधारभूत उद्योग काफी नहीं होंगे। छोटे पैमाने के उद्योगों पर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। और इसके लिये एक अलग मंत्रालय बनाया जाना चाहिये। प्रतिवेदन से पता चलता है कि प्रविधिक सहायता जांच कार्यक्रम, औद्योगिक विस्तार सेवा और राष्ट्रीय छोटे-पैमाने का उद्योग निगम आदि कार्यक्रम बनाये गये हैं। इनका मेरे क्षेत्र में ऐसा कोई असर नहीं होगा। राज्य सरकारों की भी योजनायें हैं। उनका भी त्रावणकोर-कोचीन सरकार पर कोई असर नहीं होगा। इन योजनाओं की भी वहां अत्यधिक आवश्यकता है।

†**वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर)** : राज्य सरकारें दी गई राशि का उपयोग नहीं करतीं।

†**श्री ए० एम० थामस** : वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को देखना चाहिये कि इन राशियों का उपयोग किया जाय। इसके लिये प्रतिवेदन में औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने का उल्लेख है। ऐसे राज्यों में जो इस मामले में सहयोग नहीं देते, केन्द्र को अधिक सक्रिय कार्यवाही करनी चाहिये।

नारियल जटा उद्योग के लिये स्थापित बोर्ड भलीभांति कार्य नहीं कर सका है। केवल कुछ तदर्थ समितियां आदि ही बनाई गई हैं। जिस गति से वह काम कर रहा है उससे वह १९५६–५७ के लिये अलग रखी गई १७·५ लाख रुपये की राशि का उपयोग नहीं कर पायगा।

योजना को कार्यान्वित करने में उत्साह नहीं दिखाया गया। कर्वे समिति ने अपने प्रतिवेदन में नारियल जटा बोर्ड के विकास कार्यक्रम को स्वीकार किया और द्वितीय योजना की कालावधि के लिये २ करोड़ रुपये नियत करने का प्रस्ताव किया। जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना लाई गई तो कर्वे समिति की समस्त नियत की गई राशि २६० करोड़ से २०० करोड़ कर दी गई तथा नारियल जटा बोर्ड की राशि २ करोड़ से घटाकर १ करोड़ कर दी गई। यह उद्योग प्रतिवर्ष ७·५ करोड़ से ९ करोड़ तक की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। बड़े खेद की बात है कि इसके लिये कुछ नहीं किया जाता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ए० एम० थामस]

केन्द्रीय नारियल जटा बोर्ड द्वारा बनाई गई योजना के प्रारूप में यह बताया गया है कि निर्यातकों के पास कारखाना होना आवश्यक है। इसका क्या प्रयोजन है ? छोटे निर्यातक लगभग ३० प्रतिशत हैं। उन्हें कारखाना स्थापित करने के लिये कहना उनके सामने कठिनाई उपस्थित करना ही होगा।

†**डा० रामा राव** (काकिनाडा) : मैं अप्रैल, १९४८ के औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य की चर्चा करना चाहता हूं। कुछ परिवर्त्तित परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसके बारे में कहना चाहता हूं।

सरकार ने घोषणा की है कि हमारा उद्देश्य समाज का समाजवादी ढांचा है। १९४८ की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति भी अब हमारे अनुकूल है अन्य देशों के साथ हमारे अच्छे सम्बन्ध हैं।

औद्योगिक नीति के वक्तव्य में कहा गया था कि विदेशी पूंजी पर राष्ट्रीय हित में नियंत्रण रखना चाहिये और सरकार की सीमा शुल्क नीति ऐसी होनी चाहिये कि विदेशी अनुचित प्रतियोगिता न कर सकें। इस नीति का अनुसरण नहीं किया गया है और पिछले कुछ वर्षों में विदेशी पूंजी का स्वागत किया गया है। १९४८ की तुलना में १९५३ में अंग्रेजों द्वारा लगाई गई पूंजी १३७ करोड़ रुपये और अमरीकी पूंजी १३ करोड़ रुपये बढ़ गई है। यह भारतीय उद्योगों के लिये बड़ी हानिकारक है।

सिगरेट और तम्बाकू में लगाई गई पूंजी में क्रमशः १९·५ करोड़ और २०·५ करोड़ की वृद्धि हुई है।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

ये विदेशी उद्योग बड़े हानिकारक होते हैं। आज लीवर ब्रादर्स अपनी ९७ प्रतिशत क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। उनका उत्पादन भारतीय संगठित साबुन उद्योग से २०० प्रतिशत अधिक है। हमें उनका उत्पादन २० हज़ार टन सीमित कर देना चाहिये जिसकी सलाह श्री विश्वेशरैया ने दी है। श्री नवल टाटा ने भी शिकायत की है कि विदेशी समवाय भारतीय उद्योग के सामने कठिनाइयां उपस्थित करते हैं। भारत में विदेशी पूंजी लगाने पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।

अमरीकी विनियोजन गारंटी कार्यक्रम से बातचीत चल रही है। यह बहुत भयानक बात है क्योंकि मतभेद होने पर वहां का शक्तिशाली शासन हम पर हमला कर सकता है। ईरानी तेल समवाय के बारे में क्या यही बात नहीं होने वाली थी।

ऊंची ब्याज की दर पर ऋण लेना जैसा कि हमने दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र के लिये किया है अच्छा है। परन्तु विदेशी पूंजीपतियों को यहां पर पूंजी नहीं लगाने दिया जाना चाहिये।

भारत के समस्त उत्पादन का २६ प्रतिशत भाग हिन्दुस्तान वनस्पति बनाता है। यह सार्थ लीवर ब्रादर्स की है।

एक सदस्य को रूसी इस्पात संयंत्र के बारे में भ्रम हो गया है। रूस ने २·५ प्रतिशत पर ब्याज दिया है और वे संयंत्र बना कर अपने देश चले जायेंगे। उनका हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है।

हम विदेशी औषधि के लिये प्रति वर्ष १४–१५ करोड़ रुपये दे रहे हैं। इन्हें हम स्वयं बना सकते हैं। इन्हें आरम्भ करने के लिये आवश्यक प्रविधिक जानकारी हम आज विभिन्न देशों से ले सकते हैं। पहले हम ऐसा नहीं कर सकते थे। अतएव सरकार को चाहिये कि वह डी० डी० टी० और ग्रेमिक्सन आदि निवारक औषधियां ख़ुद बनाये। इससे १४ करोड़ रुपये की बचत होगी और लोगों को सस्ते दामों पर औषधि मिलेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

आज हम पका हुआ चमड़ा और खालें जिनका मूल्य २५ करोड़ होता है तथा कच्चा चमड़ा और खालें जिनका मूल्य ७ करोड़ होता है निर्यात कर रहे हैं। सरकार को चाहिये कि वह इसके स्थान पर चमड़े का माल बनवाये और इसका निर्यात करे। उसे हम पूर्वी यूरोप और रूस आदि देशों को भेज सकते हैं। इससे पर्याप्त आय होगी और निर्धन लोगों को काम मिलेगा।

कोयले के बारे में यह कहा गया था कि इसके राष्ट्रीयकरण के प्रश्न की जांच दस साल में की जाय। मैं चाहता हूं कि इसका तुरंत राष्ट्रीयकरण किया जाय क्योंकि बहुत से ग़ैर-सरकारी क्षेत्र की खानों में अधिकांश दुर्घटनायें हुई हैं। विभिन्न कार्यों के लिये हमें अधिकाधिक कोयले की आवश्यकता है। विशालांध्र में पर्याप्त संसाधन हैं। इनका पूर्ण सदुपयोग किया जाना चाहिये। कोयले का राष्ट्रीयकरण करने में हमें उपोत्पाद के रूप में रसायन और औषधियां प्राप्त हो सकेंगी।

सीमेंट सम्बन्धी कच्चा माल विशालांध्र में बहुतायत से पाया जाता है। मांग अधिक है इसलिये कुछ सरकारी सीमेंट कारखाने स्थापित किये जाने चाहियें। इसमें ग़ैर-सरकारी क्षेत्र से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। आज आंध्र में सीमेंट चोर बाजार में बिक रहा है अतएव सरकार को सीमेंट के कारखाने स्थापित करने चाहियें।

१९५० में एक समिति ने राज्यीय व्यापार पर जोर दिया था उस समय वस्तुओं के अभाव के कारण ऐसा समझा गया था। आज इसके द्वारा हम बहुत सा धन कमा सकते हैं। और उन देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं जिनके साथ हमने वस्तु-विनिमय करार किये हैं। आज हमारा व्यापार कुछ ही देशों से होता है। हमें विभिन्न देशों जैसे चीन, रूस और पूर्वी यूरोप के देशों से व्यापार करना चाहिये। जूट, चाय, लाख, अभ्रक, मेंगनीज़ और तिलहनों में हमें राज्यीय व्यापार करना चाहिये।

आंध्र में बढ़िया किस्म का तम्बाकू बहुत अधिक मात्रा में होता है। वहां सिगरेट के कारखाने बनाने में गैर-सरकारी क्षेत्र झिझकता है। अतएव सरकार को कारखाने स्थापित करने चाहियें। तेलंगाना में अच्छे किस्म का लोहे का अयस्क अधिक मात्रा में पाया जाता है। वहां पर इस्पात कारखाना बनाने के प्रश्न पर भी सरकार को विचार करना चाहिये। वहां उर्वरकों का अधिक प्रयोग किया जाता है। अतएव सरकार को उर्वरक कारखाना स्थापित करना चाहिये।

आंध्र में रंगलेप का कच्चा सामान बहुतायत से पाया जाता है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में आंध्र की सहायता करेंगे।

श्री सिंहासन सिंह (जिला गोरखपुर—दक्षिण) : सभापति महोदय, इसके पहले कि मैं और कुछ कहूं मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने प्रांत की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यू० पी० की आबादी सारे भारत की आबादी का छठा भाग है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज एक भी हैवी इंडस्ट्री वहां पर नहीं खोली गई है। आज आपने भारत में बड़े-बड़े कल-कारखाने स्थापित किये हैं। लेकिन यू० पी० सरकार की तरफ से पूरे जोर से मांग करने पर भी वहां पर कोई हैवी इंडस्ट्री कायम नहीं की गई है। मैं नहीं जानता कि इसका क्या कारण है और क्यों यू० पी० की इस मामले में उपेक्षा की जा रही है। आज आप इन कारखानों को स्थापित करने में इतना अधिक व्यय कर रहे हैं लेकिन पता नहीं आप यू० पी० को क्यों अछूता रख रहे हैं। वहां पर इस समय केवल दो प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं। एक तो चीनी मिलें हैं और दूसरे कपड़े के कारखाने हैं। हां कहीं कहीं ज्यूट की मिलें भी हैं।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : और आप क्या चाहते हैं ?

श्री सिंहासन सिंह : यह मिलें वहां आज स्थापित नहीं हुई हैं ये बहुत पुरानी हैं। ये उस समय बनी थीं जिस समय कि इनको वहां स्थापित होने से आप रोक नहीं सकते थे। आपको खान भी वहां पर

[श्री सिंहासन सिंह]

मिलेंगी और और प्रकार की सब चीजें मिलेंगी । लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों भारत की १/६ आबादी की उपेक्षा, हैवी इंडस्ट्री वहां न स्थापित करके, की जा रही है ।

इतना कहने के बाद मैं इस भवन का ध्यान छोटे-छोटे उद्योग-धंधों की ओर दिलाना चाहता हूं । मैं मानता हूं कि जो प्रगति इनको बढ़ावा देने में हुई है वह संतोषजनक है लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी और प्रगति की भी गुंजाइश है । प्लानिंग कमीशन ने प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में यह सिफारिश की थी कि खादी को, घानी तेल उद्योग को और चावल की जो कुटाई होती है उस उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाय और धीरे-धीरे बड़े-बड़े कारखानों को बन्द कर दिया जाय । तेल उद्योग के बारे में एक कमिटी भी बनाई गई थी लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक हमारे सामने नहीं आई है । प्रथम पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई है लेकिन इस समिति की रिपोर्ट अभी तक भी प्राप्त नहीं हुई है । चावल के सम्बन्ध में रिपोर्ट आई है और कमिटी ने अनेकों सुझाव दिये हैं लेकिन उन पर अमल नहीं हो रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि चावल की कुटाई बहुत अधिक लोगों को काम दे सकती है । इससे हमारे जो देहाती क्षेत्र हैं उनको विशेष लाभ हो सकता है । आजकल यह होता है कि जो बड़ी-बड़ी मिलें हैं वे राक्षस की तरह से सारा चावल खरीद लेती हैं और जो लोग चावल कूटने के उद्योग में लगे हुए हैं उनको चावल नहीं मिलता है । मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि भूदान में जो लोग कार्य करते हैं उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि हाथ का कुटा हुआ चावल ही खायेंगे । एक बार की बात है कि एक कार्यकर्ता मेरे साथ एक गांव में गये । वहां पर खाने के समय उन्होंने पूछा कि क्या यह जो चावल पकाया गया है यह हाथ का कुटा हुआ है ? जवाब में उनको बताया गया कि नहीं । फिर उन्होंने पूछा कि यह जो आटा है यह हाथ का पिसा हुआ है ? इसके जवाब में भी यही कहा गया कि नहीं यह मशीन का पिसा हुआ है। इसी तरह से उन्होंने पूछा कि क्या यह दाल हाथ की कुटी हुई है, तब उसके जवाब में भी यही कहा गया कि नहीं यह मशीन की कुटी हुई है । इसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने केवल तरकारी के साथ ही अपना पेट भरा.....

श्री फीरोज गांधी (जिला प्रतापगढ़—पश्चिम व जिला रायबरेली—पूर्व) : क्या वह टंडन जी तो नहीं थे ।

श्री सिंहासन सिंह : टंडन जी नहीं थे, बल्कि एक भूदान कार्यकर्ता थे ।

तो मैं यह बतलाना चाहता हूं कि आज गांवों में भी यह हालत हो गई है कि लोग मशीन की कुटी हुई और मशीन की पिसी हुई चीजों का इस्तेमाल करने लग गये हैं । आज गांवों में भी मशीनें दौड़ गई हैं । आज एक छोटे से छोटा आदमी भी मशीन का इस्तेमाल करने लग गया है ।

चावल के सम्बन्ध में जिस समिति का निर्माण किया गया था उसने जो सिफारिशें की हैं, उनमें से कुछ यह भी हैं कि चावल कूटने के उद्योग को और अधिक सहूलियतें दी जायें, सबसिडी दी जाय तथा बड़ी-बड़ी मिलों को बन्द कर दिया जाय । कपड़े वाली जो कमिटी है उसकी रिपोर्ट के बारे में यह कहा गया है कि इसकी सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है । अभी तक जो फैसला नहीं किया गया है इसका कारण मैं समझता हूं कि यह है कि जो बड़ी-बड़ी मिलें हैं उन पर इसका बुरा असर पड़ेगा और उनको घाटे पड़ेंगे । यह जो पालिसी है यह ठीक पालिसी नहीं है । इससे जो बेकारी है वह बढ़ती जा रही है । मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का यह परम कर्त्तव्य होना चाहिये कि वह यह देखे कि जिस तरह से भी हो बेकारी न बढ़ने पाव, फिर चाहे बड़ी-बड़ी मिलों को ही क्यों न बन्द करना पड़े । सरकार ने जो यह खादी बोर्ड बनाया है इसने जो रिपोर्ट दी है उसको पढ़ने से पता चलता है कि जहां १९५३–५४ में २,८१,००० लोग खादी तैयार करते थे आज उनकी संख्या बढ़ कर ४,७३,९६९

हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि दुगुने आदमी इस काम में लगे हुए हैं। इसी तरह से यदि ग्रामोद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा तो बेरोजगारों की जो तादाद है वह घटती चली जायेगी ।

जिस तरह से यह खादी, धान और घानी के व्यवसाय बहुत प्रचलित हैं, उसी तरह से चीनी और गुड़ के जो व्यवसाय हैं वे भी बड़े प्रचलित हैं। जब मिलें नहीं थीं तो गांव-गांव में कारखाने लगे हुए थे जहां पर चीनी तैयार की जाती थी जो कि खाने में स्वादिष्ट और टिकाऊ होती थी। लेकिन आज बड़ी-बड़ी मिलों के लग जाने के कारण इन छोटे-छोटे कारखानों को बहुत भारी धक्का लगा है और ये बन्द हो गये हैं। आपने खांडसारी और गुड़ उद्योग को तरक्की देने के लिये एक डिवेलेपमेंट बोर्ड की स्थापना भी की है लेकिन इस बोर्ड का भी क्या लाभ हो रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। एक तरफ तो मिलें चालू हैं जो कि सस्ता माल पैदा करती हैं और दूसरी ओर यह खांडसारी उद्योग है जोकि मुकाबला नहीं कर सकता है। जब तक खांडसारी तथा गुड़ उद्योग के लिये कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता तब तक कोई फायदा नहीं हो सकता। आपने कुछ देर पहले विदेशों से चीनी के आयात पर रोक लगा दी थी और मैं समझता हूं कि वह रोक आज भी है लेकिन इससे छोटे-छोटे पैमाने पर जो चीनी तैयार करते हैं उनको क्या फायदा हुआ है? आपने स्कीमें बनाई हैं बिजली का उत्पादन बढ़ रहा है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सफल हो जाने के बाद शायद आप का विचार यह है कि गांव-गांव में और घर घर में बिजली पहुंचा दी जाय लेकिन किस तरह से वे लोग इस बिजली का उपयोग कर पायेंगे यह मेरी समझ में नहीं आता। यह जो अम्बर चर्खा बना है इसके बारे में भी यह कहा गया है कि इसको भी बिजली से चलाया जा सकेगा और सरकार की यह योजना है कि अगले पांच सालों में २५ लाख अम्बर चर्खे चलें। पहले आप ने २० लाख टन चीनी का बाहर से आयात किया था। इसका कारण यह था कि हमारे यहां चीनी खाने वालों की संख्या बढ़ गई है जब कि उत्पादन उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। चीनी खाने वालों की संख्या के साथ-साथ यदि उत्पादन भी बढ़े तो बेकारी कम हो सकती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यू० पी० के पूर्वी जिलों में जैसे गोरखपुर है, देवरिया है, बलिया इत्यादि हैं वहां पर तकरीबन २७ चीनी की मिलें हैं। वहां पर किसी काश्तकार को इजाजत नहीं है कि वह सैंटीरीफ्यूगल या क्रशर लगा सके। मिलों के जोंस बने हुए हैं और उन जोंस में कोई भी सैंटरीफ्यूगल या क्रशर नहीं लगा सकता है। यह एक प्रकार से उन लोगों पर रोक लगा दी गई है जोकि नहीं होनी चाहिये। अगर कोई छोटे-मोटे कल कारखाने लगाना चाहता है तो उसको ऐसा करने की इजाजत होनी चाहिये। यदि इस चीज की इजाजत दे दी जाय तो अधिक मात्रा में चीनी तैयार होने लग जायेगी और बेकारी जो उन लोगों में फैली हुई है वह भी कुछ हद तक कम हो जायेगी। लेकिन डर यह है कि बड़ी-बड़ी मिलें जो हैं कहीं वे बन्द न हो जायें। यह डर निराधार है और हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि हम वही काम करें जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिले और इस चीज की परवा न करें कि इससे एक आध मिल बन्द हो जाती है। इस वास्ते मैं प्रार्थना करता हूं कि जहां पर यह कारखाने बने हुए हैं वहां पर इस रोक को हटा दिया जाय कि उन स्थानों पर कोई दूसरे कारखाने नहीं लगाये जा सकते हैं। कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने गुड़ पर भी वैन (प्रतिबन्ध) लगा दिया था कि जहां चीनी की मिलें हों वहां पर गुड़ न बनाया जाये। लेकिन जब बहुत हल्ला मचाया गया तो इस वैन (प्रतिबन्ध) को तो हटा लिया गया। आप समझ सकते हैं कि इस तरह का वैन लगाना ज्यादती की बात है। अब यह वैन लगाया गया है कि जहां चीनी मिल हो उस ऐरिया (क्षेत्र) में क्रशर न लगाया जाये, कोल्हू लगाया जा सकता है। मगर कोल्हू से क्रशर जितना काम नहीं हो सकता।

अब इस मई के महीने में जो क्रशिंग मिलों में होगा उसमें जितना सूक्रोज रिटर्न (आय) होगा उसके हिसाब से किसानों को गन्ने का दाम मिलेगा। पिछले साल ३० अप्रैल को सूक्रोज कंटेंट ·९ था। पर मई में ·८ ही रह गया और बाद में उससे भी कम हो गया और किसानों को उसी हिसाब से कम पैसा मिला। अगर किसानों को अपने क्रशर और सेंटीरीफ्यूगल मशीनें लगाने की इजाजत हो तो उनको यह

[श्री सिंहासन सिंह]

दिक्कत दूर हो सकती है। मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें। मौजूदा व्यवस्था में किसानों को बहुत नुकसान होता है।

रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि कोआपरेटिव के जरिये से ग्राम उद्योगों की उन्नति की जाये। लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि आज कोआपरेटिव विभाग जिस तरह से काम कर रहा है उससे लोगों का उस पर से विश्वास हट गया है। इस का कारण यह है कि आज कोआपरेटिव अफसरों की चीज हो गयी है। कोआपरेटिव के पुराने जो नियम बने हुए हैं उनमें परिवर्तन होना चाहिये जिसमें शेयर होल्डर्स (हिस्सेदार) यह समझें कि यह उनकी चीज है और उसे वे अपने लाभ के लिये किस प्रकार उपयोग में ला सकते हैं। हमारे मंत्री महोदय के प्रदेश में कोआपरेटिव (सहकारिता) बहुत सफल हुआ है, वहां पर कोआपरेटिव मिलें यार्न वगैरह तैयार कर रही हैं। न मालूम वहां पर कौनसा कानून लागू है। लेकिन हमारे यहां तो लोग कोआपरेटिव के नाम से थर्राते हैं। गांवों के लोग हिसाब-किताब नहीं जानते और कभी-कभी यह होता है कि रुपया तो कोई ले जाता है और प्रेसीडेंट को सज़ा हो जाती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि कोआपरेटिव के मौजूदा कानून में ऐसा परिवर्तन करना चाहिये ताकि लोग समझ सकें कि यह हमारी चीज है, इसके मामलों में हम फैसला कर सकते हैं। जब ऐसा होगा तभी तरक्की हो सकेगी। इस काम के लिये जो रुपया आप देते हैं वह इधर से उधर चला जाता है, जैसा कि आपके बड़े-बडे डैम्स में होता है, और उससे लोग पूरा फायदा नहीं उठा पाते।

इसमें छोटे-छोटे कारखानों के लिये कर्ज की व्यवस्था की गयी है। इसमें छोटे कामों के लिये ५० हजार तक की व्यवस्था है। मेरा विचार है कि जो वास्तव में छोटे पैमाने पर काम करते हैं न तो उनको इतने रुपये की आवश्यकता होगी और न वे इसको ले सकेंगे। इससे तो कुछ बड़े-बड़े आदमी लाभ उठा लेंगे। छोटे आदमियों के लिये इसमें यह व्यवस्था है कि उसको परसनल बांड (वैयक्तिक बंध) पर एक हजार और दो हजार जमानतें देने पर पांच हजार तक कर्ज मिल सकता है। इतना तो छोटा आदमी कर सकता है और उससे लाभ उठा सकता है। लेकिन ५० हजार तो केवल बड़े-बड़े आदमियों के ही काम आवेगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि यह ५० हजार की व्यवस्था न रखी जाय बल्कि इसके बजाय छोटे कारखानों के लिये पांच हजार से दस हजार तक कर्जा देने की व्यवस्था की जाय। हम ऐसी व्यवस्था करें कि जिनके पास रुपया पहुंचना चाहिये उन्हीं के पास पहुंचे। अगर आप हिसाब लगावें तो आपको मालूम होगा कि जितना रुपया आपने छोटे उद्योगों के लिये दिया है उसमें से बहुत कम रुपया असली आदमियों को पहुंचा है। मेरे यहां गोरखपुर में एक आदमी था जो कि हैंडलूम का काम करता था। उसका जमाना बिगड़ा। उसने पांच हजार रुपये के कर्ज के लिये दरख्वास्त दी लेकिन उसको रुपया नहीं मिला जब कि बड़े-बड़े लोग बीस-बीस हजार रुपये ले गये। जो वर्तमान व्यवस्था है उससे छोटे आदमियों को लाभ नहीं हो रहा है। उनकी तरक्की तभी हो सकती हैं जबकि उनको ठीक प्रकार से यह सहूलियत मिले।

मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं कि जो हमारे यहां बिजली पैदा हो रही है वह छोटे व्यवसायों के लिये दी जाय। इसके अतिरिक्त लोगों को दूसरे प्रकार की भी सहूलियतें दी जायें। कोआपरेटिव के अलावा, अगर कोई तनहा आदमी आर्थिक सहायता मांगे तो उसको भी छोटे काम के लिये सहायता दी जाये बशर्ते कि वह काम करने वाला हो। अगर आप ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे तो बड़े लोग रुपया ले जायेंगे और छोटे लोगों को कोई लाभ नहीं होगा।

†**श्री बी० बी० गांधी** (बम्बई नगर—उत्तर) : मैं आरम्भ में आयात-व्यापार नियंत्रण संगठन के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। १९५५ में ६४४ करोड़ रुपयों के मूल्य की वस्तुओं का

†मूल अंग्रेजी में

आयात किया गया था और इतने विशाल परिमाण के आयात पर नियंत्रण रखना बहुत बड़ा काम है। हमारा आयात व्यापार नियन्त्रण संगठन संभवत: विश्व में अपने ढंग का सबसे बड़ा संगठन है।

आयात व्यापार नियंत्रण की हमारी नीति का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि निर्यात की अपेक्षा कम आयात करने की व्यवस्था की जाये। आयात-व्यापार नियंत्रण को हमारी योजना को सफल बनाने के कार्य में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य करना है। प्रभावशाली आयात नियंत्रण के बिना किसी प्रकार के नियोजन की कल्पना करना भी असंभव है।

योजना सम्बन्धी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आने वाले वर्षों में हम और भी अधिक परिमाण में आयात करने का विचार कर रहे हैं। बिना कुशल नियंत्रण यंत्र की व्यवस्था किये आयात में वृद्धि का प्रयास करना असंभव है।

आयात व्यापार नियंत्रण संगठन को एक कार्य और करना पड़ता है और वह यह है कि उसको अपनी आयात नीति को इस प्रकार निर्धारित करना पड़ता है कि वह देश में औद्योगिकरण की वृद्धि के अनुरूप हो सके। इसके अतिरिक्त उसको मुद्रा-स्फीति के लक्षणों पर भी दृष्टि रखनी पड़ती है और उस पर नियंत्रण रखने के लिये उपभोक्ता-वस्तुओं के यातायात को समयानुसार घटाना बढ़ाना पड़ता है।

अब मैं निर्यात व्यापार पर आता हूं। निर्यात के परिमाण को बढ़ाना उतना सरल नहीं है जितना कि दिखायी पड़ता है। आयात का परिमाण तो इच्छानुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है, परन्तु निर्यात का परिमाण इच्छानुसार बढ़ाया नहीं जा सकता। यदि आप अपने निर्यात के परिमाण को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको दूसरे देश को अपने अधिक निर्यात को खरीदने के लिये तैयार करना होगा। इसलिये निर्यात के सम्बन्ध में केवल नियंत्रण की नहीं, उन्नत करने की नीति को कार्यान्वित करना पड़ता है।

निर्यात में वृद्धि की जा सकती है, और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इसके लिये प्रयास किया जा रहा है। इस बात के अनेक उदाहरण मौजूद हैं कि हम नये बाजारों में अपना माल भेजने का प्रयास कर रहे हैं। बांडुंग सम्मेलन में किया गया एक निर्णय भी अन्त:प्रादेशिक व्यापार में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में है।

निर्यात व्यापारियों के सामने जो अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं उनको भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में सबसे पहला कार्य तो यह किया गया है कि एक निर्यात ऋण गारंटी योजना तैयार की जा रही है और पता चलता है कि ब्रिटेन से एक विशेषज्ञ भी आ गये हैं तथा हमें आशा है कि अगले मास में इनका प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा। इस योजना में एक ऐसी व्यापक नीति का उपबन्ध किया गया है जिसके क्षेत्र में लगभग ८० प्रतिशत सामान आ जायेगा।

इस प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं। नौवहन और भाड़े के सम्बन्ध में जो कठिनाइयां होती हैं, उनसे मैं परिचित हूं। एशिया और सुदूर-पूर्व के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक आयोग द्वारा इस सिलसिले में प्रयास किये जा रहे हैं परन्तु मैं नहीं जानता कि उनका फल कब तक प्राप्त हो सकेगा। इसमें विलम्ब हो सकता है परन्तु हमको आशा रखनी चाहिये।

अंत में, अन्य देशों द्वारा प्रशुल्क एवं परिमाण सम्बन्धी जो प्रतिबंध लगाये जाने वाले हैं, उनके प्रश्न पर हमारे देश ने 'गैट' (व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौता) में सफलतापूर्वक भाग लिया है और 'गैट' के भेदभाव का अंत करने और अनुचित कार्यों का उत्सादन करने के सिद्धांत का समर्थन किया है। परन्तु भारत और उसी के समान स्थिति वाले देशों—अर्थात् जहां का जीवन-स्तर बहुत नीचा है और जिनके सामने आर्थिक विकास के लिये दीर्घ-कालीन योजना है—की दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश ने अपनी जैसी स्थिति वाले देशों के लिये प्रशुल्क एवं नियंत्रणों के क्षेत्र में कुछ रियायतें प्राप्त कर ली हैं। यह सफलतायें काफी सराहनीय हैं और पूरे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि मंत्रालय ने श्रेयस्कर ढंग से ही कार्य किया है।

†**सभापति महोदय:** माननीय सदस्यों ने मुझे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत विविध मांगों सम्बन्धी जिन कटौती प्रस्तावों के प्रस्तुत किये जाने की सूचना दी है वे इस प्रकार हैं :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावों की संख्या
१	८५०, ८५१, ९१२, ९१४, ९१६, ९३२, १०१६, १०१७, ११६५, ११७२, ११७३, ११७४, ११७६, ११७८, ११७९, ११८०
२	५५३ से ५५७, ८५५ से ८५८, ९३३, ९३४, ९३५, ११६६, ११६८, ११६९, ११७१
४	९३६
११३	८८२

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

माँग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
१	श्री गाडिलिंगन गौड़ (कुरनूल)	देश में विभिन्न औद्योगिक योजनाओं की कार्यान्विति में अकुशलता ।	१००
१	श्री गाडिलिंगन गौड़	सरकार की वस्त्र निर्माण अनुज्ञापन नीति ।	१००
१	श्री तुषार चटर्जी (श्रीरामपुर)	देशी पट्टा उद्योग को विदेशी सार्थों से होड़ में संरक्षण प्रदान किये जाने की आवश्यकता ।	१००
१	श्री तुषार चटर्जी	लाख के निर्यात को बढ़ाने के लिये कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता ।	१००
१	श्री तुषार चटर्जी	पटसन उद्योग में अभिनवीकरण की नीति के पुनरीक्षण की आवश्यकता ।	१००
१	डा० रामा राव	भारतीय उद्योगों में विदेशी पूंजी के बढ़े हुए विनियोजन के कारण राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को खतरा ।	१००
१	श्री गाडिलिंगन गौड़	नाहन फौन्ड्री का असंतोषप्रद कार्य	१००
१	श्री गाडिलिंगन गौड़	नाहन फौन्ड्री और मंत्रालय के अन्तर्गत काम करने वाले अन्य सभी निकायों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री की प्रक्रिया ।	१००

†मूल अंग्रजी में

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
१	श्री गाडिलिगन गौड़	नाहन फौन्ड्री में राजा सिरमूर के १/२ अंशों को खरीदने के लिये १५ लाख रुपया अधिक देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में सरकार की असफलता ।	१००
१	श्री एन० बी० चौधरी	सींग के सामान के उद्योग की समस्या	१००
१	श्री एन० बी० चौधरी	वास्तविक हथकरघा बुनकरों को उपकर-निधि से लाभ उठाने योग्य बनाने के लिये अधिक प्रभावपूर्ण कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता ।	१००
१	श्री एन० बी० चौधरी	पीतल धातु उद्योग को सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता ।	१००
१	श्री एन० बी० चौधरी	कच्चे पटसन का मूल्य	१००
१	श्री एन० बी० चौधरी	आधुनिकीकरण करने के लिये ऋण देते समय पटसन मिलों पर कुछ शर्तें लगाये जाने की आवश्यकता ।	१००
१	श्री एन० बी० चौधरी	पश्चिम बंगाल में छोटे इंजीनियरिंग उद्योगों को अधिक सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता ।	१००
१	श्री एन० बी० चौधरी	शंख उद्योग में लगे व्यक्तियों को शंखों के सम्भरण की गारंटी देने की आवश्यकता ।	१००
२	श्री देवगम (चैबस्सा-रक्षित-अनुसूचित-आदिम जातियां)	धनबाद उप जिले के सिन्द्री और महुदा क्षेत्रों में इस्पात सन्यंत्र की स्थापना की आवश्यकता ।	१००
२	श्री देवगम	बिहार में रांची के निकट हीनू में कच्ची फिल्म और फिल्मी कागज बनाने के लिये एक उद्योग के स्थापित किये जाने की आवश्यकता ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि (रुपयों में)
२	श्री देवगम	चीनी मिट्टी के बर्त्तन बनाने की फैक्ट्री के स्थापित किये जाने की आवश्यकता।	१००
२	श्री देवगम	छोटा नागपुर में हाइड्रालिक टरबाइनों, जैनेरेटरों और बिजली के भारी उपकरणों का निर्माण करने की फैक्ट्री के स्थापित किये जाने की आवश्यकता ।	१००
२	श्री देवगम	छोटा नागपुर में माईकानाइट और माइका इन्सुलेटरों का निर्माण करने के लिये एक फैक्टरी के स्थापित किये जाने की आवश्यकता ।	१००
२	श्री गाडिलिंगन गौड़	आंध्र राज्य में बुनकरों को प्रशिक्षित करने के लिये वस्त्र प्रौद्योगिक-स्कूलों को खोलने में सरकार की असफलता ।	१००
२	श्री गाडिलिंगन गौड़	आंध्र राज्य में छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने में सरकार की असफलता ।	१००
२	श्री गाडिलिंगन गौड़	बुनकरों को निष्पक्षतापूर्वक सहायता देने में असफलता ।	१००
२	श्री गाडिलिंगन गौड़	आंध्र राज्य सरकार को सीमेंट फैक्टरियों की स्थापना करने की अनुमति प्रदान करने में सरकार की असफलता ।	१००
२	डा० रामा राव	आंध्र में एक या एक से अधिक सिगरेट फैक्टरियों की स्थापना करने अथवा स्थापना करने में सहायता देने और वहां के प्रसिद्ध वर्जीनिया तम्बाकू का उपयोग करने में असफलता ।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	अटौती राशि (रुपयों में)
२	डा० रामा राव	हथकरघों को काफी कम मूल्य पर सूत का सम्भरण करने के लिये अपने आप सूत का उत्पादन करने में असफलता ।	१००
२	डा० रामा राव	सीमेंट की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिये सीमेंट फैक्टरियों की स्थापना करने या स्थापना करने में सहायता देने में असफलता ।	१००
२	श्री एन० बी० चौधरी	लोहे के कबाड़ का निर्यात ।	१००
२	श्री एन० बी० चौधरी	लोहे और इस्पात के मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि ।	१००
२	श्री एन० बी० चौधरी	इस्पात के वितरण की नीति ।	१००
२	श्री एन० बी० चौधरी	कृषि कार्यों के लिये आवश्यक लोहा और इस्पात के ऊंचे मूल्य ।	१००
४	डा० रामाराव	विदेशों के साथ कुछ आवश्यक वस्तुओं का व्यापार—आयात और निर्यात दोनों—आरम्भ करने में सरकार की असफलता ।	१००
११३	श्री गाडिलिंगन गौड़	हथकरघा उद्योग को पर्याप्त मात्रा में ऋण और आर्थिक सहायता देने में सरकार की असफलता ।	१००

†**सभापति महोदय** : ये सभी कटौती प्रस्ताव अब लोक-सभा के समक्ष हैं ।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी** : मैं शुरू में दक्षिण के लिये भारी उद्योगों की व्यवस्था न किये जाने पर काफी जोरदार शब्दों में बोलने वाला था, परन्तु उत्पादन मंत्री श्री के० सी० रेड्डी ने यह घोषणा करके, कि मद्रास में सलेम जिले में तत्काल एक १०,००० टन की एल्यूमिनियम फैक्टरी की स्थापना की जायेगी, और यदि खनिज-प्राक्कलन ऊंचे रहे तो वह इस संयंत्र को बढ़ाकर २०,००० टन का बना देंगे, मेरी बात की शक्ति काफी क्षीण कर दी है । जहां तक इसका प्रश्न है, यह एक अच्छी बात है ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

उस जिले और तिरुचिरापल्ली जिले में पाये जाने वाले कच्चे-लोहे के आधार पर वहां एक इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि यदि नेइवेली परियोजना सफल हो गयी तो इस कारखाने की स्थापना कर दी जायेगी। मैं कह सकता हूं कि यह परियोजना सफल रहेगी।

मुझे चिंता केवल उस परियोजना की धीमी गति के सम्बन्ध में है। मंत्रालय को मेरा सुझाव है कि उस पर युद्ध के पैमाने पर कार्य किया जाये। यदि इस देश में पम्प न मिलें, तो विदेशों को समुद्री तार भेजे जायें, और यदि आवश्यकता हो तो इन पम्पों को विमान द्वारा नेइवेली लाया जाये, क्योंकि यह मामला दक्षिण के लिये अत्यधिक महत्व का है। इस नेइवेली परियोजना पर ही सभी उद्योग निर्भर हैं।

जहां तक इस्पात संयंत्र का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि उसको नेइवेली परियोजना की सफलता के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिये। वहां कच्चा लोहा बहुतायत से मिलता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि ३०० टन की क्षमता वाले एक अग्रिम-संयंत्र की स्थापना कर दी जाये। विशेषज्ञों का कहना है कि ३०० टन कच्चे लोहे का उत्पादन करने के लिये एक वैगन पत्थर का कोयला पर्याप्त है। इससे जिस कच्चे लोहे का उत्पादन किया जायेगा, वह दक्षिण के अनेकों उद्योगों के लिये उपयोगी सिद्ध होगा।

सबसे बड़ी कठिनाई कोयले और कोक को उत्तर से दक्षिण में भेजने के सम्बन्ध में है। मैं नहीं समझता हूं कि यह कोई एक ऐसी असंभव चीज है और इस बाधा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। प्रतिदिन एक वैगन कोयले की मांग कुछ अधिक नहीं है। और मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय परिवहन मंत्रालय से इसकी व्यवस्था करा सकते हैं।

यह कहना सत्य नहीं होगा कि मैं इतने से ही संतुष्ट हूं। एल्यूमिनियम और इस्पात संयंत्रों के अतिरिक्त रेयान, कागज और संश्लिष्ट तैल जैसी अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिये भी यहां पर फैक्टरियों की स्थापना की जा सकती है। मेरा सुझाव है कि अभी से योजनायें तैयार कर ली जानी चाहियें, क्योंकि नेइवेली परियोजना अवश्य ही सफल होगी। रंग बनाने के कारखाने की भी योजना बनायी जानी चाहिये। मंत्रालय को इन सब बातों पर अभी से ही ध्यान देना चाहिये और लिग्नाइट के भूगर्भ से निकाले जाने की प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिये।

छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में मुझको यह देख कर आश्चर्य हुआ कि कर्वे-समिति को हाथ से चावल की कुटाई, चप्पलें बनाने और धानियों के अतिरिक्त और कोई बात सूझी ही नहीं है। यदि कर्वे-समिति के पास इस सम्बन्ध में प्रकाशित की गयी पर्याप्त सामग्री नहीं थी तो मैं जापान के छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में कुछ सामग्री सभा के समक्ष रखता हूं और मंत्री महोदय और उनके सहयोगियों को भी दो सूचियां भेंट कर दूंगा जो इस सम्बन्ध में प्रकाशित की गयी हैं। यह सूचियां यद्यपि वर्ष १९५३ से सम्बन्धित हैं, परन्तु इनसे यह ज्ञात होगा कि वहां असंख्य ऐसे छोटे उद्योग हैं जो शुरू किये जा सकते हैं, उनके लिये आवश्यक मशीनें आदि भी आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं, क्योंकि उनमें पते आदि सब दिये जाते हैं। उदाहरण के लिये, उनमें सामान-निर्माण की मशीनें हैं, बुरुश बनाने, जूते बनाने आदि की ऐसी अनेकों मशीनें हैं जो छोटे उद्योगों की श्रेणी में आती हैं। फिर, कागज का सामान बनाने वाली, जिल्दसाजी, कालीन बुनने आदि की भी मशीनें हैं। आश्चर्य की बात तो यही है कि मंत्रालय न इन बातों पर ध्यान नहीं दिया है, और कर्वे-समिति के ध्यान में भी कभी यह बात नहीं आयी।

इसी प्रकार इस पुस्तक में और भी तमाम बातें दी गयी हैं जिनके द्वारा धन कमाया जा सकता है। आपकी अनुमति से मैं इस पुस्तक को लोक-सभा के पटल पर रखता हूं।

†**सभापति महोदय :** इसको पुस्तकालय में रख दिया जाये ।

†**श्री एस० वी० रामस्वामी :** यह तो ब्यौरे की बात हुई । वास्तव में मैं यह नहीं चाहता हूं कि इस पुस्तक को पुस्तकालय में रख दिया जाये और यह वहां बेकार पड़ी रहे । मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इसको पढ़ें ।

चलती फिरती वर्कशॉप-गाड़ियां चलाने का उद्योग मंत्री का विचार वास्तव में अद्भुत है । भारतीय उद्योग मेले में भी छोटे-उद्योगों की जो प्रदर्शनी की गयी थी वह भी अद्भुत और उल्लेखनीय थी । मेरा सुझाव है कि इसमें प्रदर्शित की गयी सभी वस्तुओं को एक प्रदर्शनी-ट्रेन में रखकर देश भर में घुमाया जाये जिससे कि अधिक से अधिक व्यक्ति उनको देख सकें । सरकार उनको पर्चे पुस्तिकायें दे जिनमें यह बताया गया हो कि मशीनें कहां मिलती हैं, उनका मूल्य क्या है और उनसे क्या आय की जा सकती है । यदि वह हर बार भारी उद्योगों पर जोर देने के स्थान पर यही कार्य करें, तो मुझे विश्वास है कि वह देश के भाग्य को बदल सकते हैं और इन छोटे उद्योगों को देश के कोने-कोने में पहुंचा कर देश की अर्थ-व्यवस्था में क्रांति ला सकते हैं ।

वाणिज्य मंत्री अब उन दोनों सचित्र सूचियों को, जिनका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं, ले सकते हैं ।

†**श्री करमरकर :** मैं उनको लेकर क्या करूंगा ?

†**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य इनको उस ट्रेन में जिसका उन्होंने सुझाव दिया है, रख सकते हैं जिससे कि वह भी देश भर में घूम आयें ।

†**श्री करमरकर :** क्या यह मुझ को माननीय सदस्य को लौटानी पड़ेगी ?

†**श्री एस० वी० रामस्वामी :** वह मैंने मंत्री महोदय को उपहारस्वरूप दी हैं । उपहार तो लौटाये नहीं जाते हैं ।

श्री विश्वनाथ राय (जिला देवरिया पश्चिम) : वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की सफलता के सम्बन्ध में यदि आप चार दृष्टिकोणों से विचार करें तो हमें स्थिति की अच्छी जानकारी हो सकती है । पहली बात तो यह है कि इस विभाग के शासन में उत्पादन कितना बढ़ा है और उत्पादन केवल एक ही तरफ नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के जो सामान हैं, उनके बारे में है । जहां तक इस मंत्रालय की रिपोर्ट (प्रतिवेदन) का ताल्लुक है, उसमें तो बहुतेरी चीजों—जैसे सीमेंट है, कपड़ा है और जूट का माल ह—उन सारी चीजों के बारे में उत्पादन बढ़ने की बात बतलाई गई है । गतवर्ष सन् १९५५ में बहुत ही अधिक उत्पादन बढ़ा और जितना प्रथम पंचवर्षीय योजना का टार्गेट (लक्ष्य) था उससे भी अधिक उत्पादन हुआ । वह देखकर हमें संतोष हुआ है । लेकिन उसके साथ ही जब हम दूसरी तरफ यह देखते हैं कि उस उत्पादन से हम को बाहर से धन मिलने में या हमारे निर्यात में कितनी सहायता मिली, तब उत्पादन के दृष्टिकोण से विचार करने पर उसके मुकाबले में निर्यात कम मालूम होता है । हमारा निर्यात हिन्दुस्तान के बाहर उस हिसाब से नहीं बढ़ा है जिस हिसाब से हमारा उत्पादन बढ़ा है । यह हो सकता है कि विदेश में जो उद्योग-धंधे बहुत पहले से बढ़े हुये हैं, उनका मुकाबला करने में कठिनाई हो रही हो और साथ ही बहुत से उद्योग-धंधे जो बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में चलते हैं, उनके मुकाबले में हम पीछे हों । लेकिन साथ ही यह तो देखना ही होगा कि हमने दुनिया में कोई नया मार्केट, नया बाजार पैदा किया या नहीं किया । यदि नहीं किया तो उन देशों के मुकाबले में, जैसे अमरीका, रूस, आदि जहां उत्पादन बहुत बढ़ रहा है, अगर हम अपना निर्यात नहीं बढ़ायेंगे तो हम और पीछे रह जायेंगे । जो अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग-धंधे की बात है, या बजार की बात है, हम उसमें काफी पीछे पड़ जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विश्वनाथ राय]

इस रिपोर्ट में खास तौर से यह बतलाया गया है कि जूट का माल, कच्चा चमड़ा और रूई की वजह से हमको बाहर से ज्यादा रुपया मिलता है। यहां पर यह कहना है कि कच्ची रूई हो या चमड़ा हो, वैसा कच्चा माल हमारे देश द्वारा बाहर भेज देने पर वह हमारे देश में किसी और रूप में फिर वापस आता है और इस तरह हमारा काफी पैसा बाहर विदेशों में चला जाता है। कच्चा माल बाहर भेजने या इस तरह का एक्सपोर्ट (निर्यात) बढ़ाने का प्रयत्न करने के बदले अगर हम उसी कच्चे माल को अपने देश के कारखानों में तरह-तरह के सामान बनाने में इस्तेमाल कर सकें, तो हम काफी रुपये की बचत कर सकते हैं। इसके साथ ही, अपने देश के गृह-उद्योगों को किसी तरह प्रोत्साहन भी दे सकते हैं। कच्चा माल बाहर भेजने के बदले हम अपने यहां से मैनुफैक्चर्ड गुड्स (निर्मित माल) बाहर भेज सकते हैं। मैं समझता हूं कि कच्चा माल बाहर भेजने से हमें कोई विशेष लाभ नहीं है, बल्कि मैं तो यह समझता हूं कि व्यर्थ में हमारा पैसा दूसरे देशों में इस तरह चला जाता है।

ओर्स (कच्ची धातुओं) के बारे में भी यही बात है। यह ठीक है कि ओर्स को जो कई तरह के हैं, हम बाहर के देशों में भेज कर अपने देश के लिये रुपया कमा सकते हैं। लेकिन ओर्स को विदेशों में भेज कर हम आगे के लिये अपने लिये खतरा भी मोल ले सकते हैं। हो सकता है कि हम जो लोहा बाहर भेजें वह कभी आगे चल कर हमारे लिये संकट का कारण सिद्ध हो और हमारे खिलाफ कभी इस्तेमाल हो। इसलिये हमें इस विषय में काफी सावधानी बर्तनी होगी। जहां तक हमारे निर्यात का सम्बन्ध है, निर्यात हमारा उतना नहीं बढ़ा है जितना कि हमारा उत्पादन बढ़ा है। हम यह मानते हैं कि हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारे यहां अधिक उत्पादन की संभावना है। लेकिन आखिर निर्यात का मार्केट तो हमें खोना नहीं है, क्योंकि हमें अपने उत्पादित माल को बाहर के देशों में भेजना है। जहां तक हमारे गृह-उद्योगों में या हैंडलूम (हथकरघा) द्वारा तैयार किये जाने वाले सामान का सम्बन्ध है, उसकी खपत एशिया के कई देशों में, जैसे बर्मा, या हमारे पड़ौसी देश नैपाल या साउथ ईस्ट एशिया में काफी मात्रा में हो सकती है। निर्यात बढ़ाने के सम्बन्ध में आपकी रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी कौंसिल्स (परिषदें) बन रही हैं जो कि देश के निर्यात को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। यह स्वागत योग्य बात है कि सरकारी स्तर पर इस दिशा में प्रयत्न किया जायेगा। मैं कहूंगा कि इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान के आदमियों से, जो कि बाहर के देशों में लेबरर्स (मजदूरों) के रूप में हैं, या आपके जो देशवासी बर्मा, मलाया, सिंगापुर, बैंकाक आदि स्थानों में छोटे मोटे रोजगार कर रहे हैं और जिन लोगों की संख्या बाहर काफी है, उनसे भी हमारे निर्यात विभाग को सम्पर्क स्थापित करना चाहिये। बाहर से यहां पर जो भारतीय नागरिक आते हैं, या जो यहां से बाहर जाते हैं, उनसे भी सम्पर्क स्थापित करना चाहिये और अपना निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। हम अपने देश में तैयार माल की बाहरी खपत के लिये गैर-सरकारी ढंग का भी प्रचार कर सकते हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये। सिंगापुर एक ऐसा स्थान है जहां पर चारों तरफ के लोग आते हैं। वहां पर भारतीय सामान को दिखाने के लिये शायद किसी प्रदर्शनी के रूप में कोई प्रयत्न होने वाला है। वह ठीक कदम है। हमें सरकारी और गैर-सरकारी ढंग पर निर्यात बढ़ाने के लिये प्रचार करना चाहिये। आपका जो वाणिज्य विभाग है और उसकी जो कमेटी है, उससे विदेश में रहने वाले भारतीय लोगों का सम्बन्ध स्थापित कराने के लिये तथा गैर-सरकारी ढंग से जो सामान बाहर जाता है उसके अधिक निर्यात के लिये विशेष ध्यान देना चाहिये। जो साउथ ईस्ट (दक्षिण-पूर्व) एशिया का मार्केट (बाजार) है, उसके ऊपर भी आपका विशेष रूप से ध्यान जाना चाहिये।

आज हिन्दुस्तान में माल की कितनी खपत बढ़ गई है इस दृष्टिकोण से देखने पर तो मैं जरूर सरकार को बधाई देता हूं। माल जो हमारे देश में बना है उसकी खपत काफी बढ़ गई है और उसका असर हमारे गांवों में भी है। मैं देखता हूं कि आज कपड़ा ज्यादा मिल सकता है और जो चीजें हमारे यहां

बनती हैं उनका उपयोग भी ज्यादा हो रहा है। साथ ही साथ, मैं यह देखना चाहता हूं कि उद्योग-धंधों के विकास से हमारे यहां की बेकारी कितनी कम हुई या बढ़ी है। हम देखते हैं कि इस सम्बन्ध में हमारा मंत्रालय कामयाब नहीं हुआ है। हमारी बेकारी आज काफी है। हो सकता है कि इसका कारण यह हो कि हमारे देश की आबादी काफी घनी है। लेकिन तब भी उद्योग-धंधों से बेकारी जितनी कम होनी चाहिये, उसकी ओर हमारा कदम आगे नहीं गया है। इसके लिये मैं सरकार को बतलाना चाहता हूं कि गृह-उद्योगों तथा अन्य छोटे-मोटे उद्योगों के लिये कई कमेटियां बनी हैं। अभी-अभी हमारी कांस्टिटुएंसी (निर्वाचन क्षेत्र) के नजदीक रहने वाले सदस्य ने इस पर काफी जोर दिया है। उनकी ही बात ले ली जाये। मैं गुड़ की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अगर गुड़ अपने घर में खाने के लिये बनाया जाता है तब तो ठीक है, लेकिन जिस समय वह बिक्री के लिये बनाया जाता है तब वह अधिक लाभदायक नहीं पड़ता है। इसमें राष्ट्रीय सम्पत्ति की हानि भी होती है, और गुड़ बनाने वालों का नुकसान होता है। इसका कारण मैं आपको बतलाता हूं। मिलों में शूगरकेन (गन्ना) जाने पर वहां जो पेराई होती है, उससे अधिक से अधिक रस निकलता है, लेकिन देहातों में जो मशीनें आजकल चलती हैं उनके जरिये से गन्ने का रस उतना नहीं निकलता जितना कि फैक्टरीज में निकलता है। इसलिये छोटे पैमाने पर गुड़ का व्यवसाय चलाने पर, या गृह उद्योग के नाम पर गुड़ का व्यवसाय चलाने से हानि होती है और राष्ट्रीय सम्पत्ति का भी नुक्सान होता है। इस गुड़ या खंडसारी को सरकार को उसी हद तक बढ़ाना चाहिये जिस हद तक गन्ना बोने वालों को स्वयं गुड़ या शक्कर की जरूरत हो।

रह गई बात कपड़े की। इसमें हैंडलूम की बात आती है। यह जरूर है कि जहां पर लोगों को कष्ट है, जैसे बाढ़-ग्रस्त इलाके हैं, वहां पर इन कामों को चलाने से वहां के आदमियों को इस से आमदनी होती है। यह आमदनी वहां पर ज्यादा होगी जहां पर लेबर अधिक है, जहां पर श्रम ज्यादा है और आबादी ज्यादा है। जहां पर उद्योग-धंधे हैं, जहां से कानपुर जैसे शहरों में लेबर जा सकता है और जहां पर कपड़े की इंडस्ट्री (उद्योग) है वहां हैंडलूम का कपड़ा या उद्योग सफल नहीं हो सकता। हैंडलूम या चर्खा वहां टेक्स्टाइल इन्डस्ट्री (सूती कपड़ा उद्योग) को सप्लिमेंट (अनुपूरित) कर सकता है। जहां पर बड़े-बड़े शहर नहीं हैं, जिस जगह के आसपास लेबर अधिक है और उसकी बहुतायत है, वहां पर इस उद्योग को कुछ सफलता मिल सकती है। लेकिन और जगहों पर मैं समझता हूं कि आप इस तरह हैंडलूम के काम को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। जहां पर हमारी घनी आबादी है, जहां पर लोग काम नहीं पाते हैं, जहां के लोग बड़े शहरों में जाकर अपनी रोजी नहीं कमा सकते हैं, वहां के लिये चरखा और हैंडलूम का काम बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। पूर्वी-उत्तर प्रदेश में जहां बाढ़ हर साल आती है और जहां की आबादी भी घनी है, वहां पर इस काम में बहुत सफलता मिली है और इससे सरकार के प्रति लोगों की सद्भावना बहुत बढ़ गई है। वहां के लोग दूर जाने में असमर्थ हैं। पास बड़े-बड़े शहर नहीं हैं, कोई दूसरा काम नहीं मिलता है। इससे, इस काम के कारण अगर कोई बूढ़ा और गरीब आदमी है तो वह भी आठ आना १२ आना रोज पैदा कर लेता है। यद्यपि यह बड़ी रकम नहीं है, पर इससे वह किसी न किसी तरह अपनी जीविका चला लेता है। इसलिये सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये कि जहां घनी आबादी है, जहां के लोग बड़े-बड़े शहरों में जाकर जीविका नहीं कमा सकते हैं, और जहां प्राकृतिक विपत्तियां आती रहती हैं, वहां पर इस तरह के उद्योग चालू हों। वहां पर यह काम जल्दी आगे बढ़ सकता है और इससे लोगों को भी लाभ हो सकता है।

जहां सरकार ने छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिये इतना काम किया है वहां पर हमें एक विषय में एक शिकायत भी है। और वह यह है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा उद्योग धन्धा नहीं चालू किया। इसका कारण मैं नहीं जानता। लेकिन उत्तर प्रदेश में उद्योग बहुत बढ़ा हुआ नहीं है। वहां पर सिर्फ चीनी मिलें हैं जिनमें कि साल में तीन-साढ़े तीन महीने काम होता है। कानपुर को छोड़ कर

[श्री विश्वनाथ राय]

और किसी शहर में बड़े उद्योग धन्धे नहीं हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में वहां पर कोई बड़ा उद्योग-धंधा नहीं खोला गया। इतने बड़े प्रदेश में जहां ६ करोड़ की आबादी है बड़े उद्योग का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन वहां पर अब तक कोई बड़ा उद्योग-धन्धा नहीं चलाया गया। हम आशा करते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार इस बात का ध्यान रखेगी।

यह कहा जा सकता है कि वहां पर इसलिये बड़े उद्योग नहीं चालू किये गये कि वहां पर पावर (विद्युत्) नहीं है। लेकिन इस कमी के लिये हमारी दिल्ली की केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है। वहां पर इतनी बड़ी-बड़ी नदियां हैं। अगर वहां पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट (परियोजना) चलाया जाता तो वहां पावर पैदा हो सकती थी। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो दो साल में उत्तर प्रदेश में पावर पैदा हो सकती है और बड़े उद्योग चलाये जा सकते हैं। सरकार से हमारा अनुरोध है कि वह पावर न होने के कारण उत्तर प्रदेश को बड़े उद्योगों से वंचित न करे। उत्तर प्रदेश की सरकार पावर मुहैया करने के लिये तैयार है जिससे बड़े उद्योग चलाये जा सकते हैं। इस ओर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये।

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, १४ अप्रैल, १९५६ के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, १२ अप्रैल, १९५६]

पृष्ठ

अनुदानों की मांगें २२०५–५८

गृह-कार्य मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर और आगे चर्चा जारी रही चर्चा समाप्त हुई और मांगों की पूरी राशि स्वीकृत हुई ।

लोहा और इस्पात मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । मांगों की पूरी राशि स्वीकृत हुई ।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २२३५

दुर्गापुर निर्माण कार्य तथा सामान्य परामर्श के सम्बन्ध में इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कम्पनी, लिमिटेड, लन्दन के साथ किये गये दो करारों की प्रतियां सभा-पटल पर रखी गईं ।

शनिवार, १४ अप्रैल, १९५६ के लिये कार्यावलि

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों और गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा ।

M114LSD—190—18-11-1957—GIPF